

समेकित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011
(दिनांक 29.08.2025 की अधिसूचना तक समेकित)

संहिता का नाम	संहिता क्रमांक	राजपत्र में प्रकाशन दिनांक
मूल संहिता – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011	39/सी.एस.ई.आर.सी./2011	28/11/2011
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (प्रथम संशोधन), 2013	60/सी.एस.ई.आर.सी./2014	01/01/2014
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (द्वितीय संशोधन) 2018	79/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2018	06/04/2018
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2023	99/सी.एस.ई.आर.सी./2023	20/03/2023
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन), 2024	109/सीएसईआरसी/2024	08/08/2024
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन), 2024 का शुद्धिपत्र	111/सी.एस.ई.आर.सी./2024	03/01/2025
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (पांचवा संशोधन), 2025	112/सीएसईआरसी/2025	29/08/2025

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2012

क्र. 39/सी.एस.ई.आर.सी./2011 – विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 के क्र. 36) की धारा 43(1) सहपठित धारा 181(टी) धारा 44, धारा 46, सहपठित धारा 181(1) धारा 47(1) सहपठित धारा 181(व्ही), धारा 47(4) सहपठित धारा 181 (डब्ल्यू), धारा 47(2)(3) एवं (5), धारा 84(बी) एवं धारा 50 सहपठित धारा 181(एक्स) तथा धारा 56 में और भारत शासन के विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी विद्युत (कठिनाईयों को हटाना) आदेश 2005 दिनांक 08/06/2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा विद्युत के वितरण एवं आपूर्ति और उसकी प्रक्रियाएँ तथा देयक पद्धति, उसके भुगतान का स्वरूप, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शक्तियों, कृत्यों और दायित्वों तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं दायित्वों को अधिषासित करते हुए निम्नलिखित संहिता बनाता है। यह संहिता ऐसे प्रक्रियाओं को भी उल्लेखित करता है जिन्हें अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ताओं को दक्षतापूर्ण, मूल्य प्रभावी तथा मैत्रीपूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु अपनाना चाहिए।

अध्याय 1 : संक्षिप्त शीर्षक, प्रारम्भ तथा समीक्षा प्रक्रिया

- 1.1 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 के नाम से जानी जाएगी।
- 1.2 यह संहिता छत्तीसगढ़ राजपत्र में मूल अंग्रेजी पाठ के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी।
- 1.3 यह सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी।

- 1.4 यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी तथा उन सभी व्यक्तियों पर जो विद्युत वितरण के व्यवसाय में विद्युत अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्यरत हों, उनके अभिकर्ताओं सहित विद्युत उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी। यह संहिता उन सब व्यक्तियों पर भी लागू होगी जिन्हें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्ति लेने से विमुक्त किया गया हो।
- 1.5 इस संहिता तथा उपभोक्ता विवाद प्रतियोगिता हेतु विनियम की समय-समय पर संशोधित प्रतियां अनुज्ञप्तिधारियों के पंजीकृत कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, वृत्त कार्यालयों, सम्भागीय कार्यालयों, वितरण केन्द्रों और अनुज्ञप्तिधारी अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कार्यालयों में रखी जाएंगी।

विद्युत प्रदाय संहिता के समीक्षा हेतु तंत्र (मेकेनिज्म)

- 1.6 ²[आयोग, नियमित आधार पर उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए विनियम के साथ साथ इस विद्युत प्रदाय संहिता की समीक्षा हेतु, विद्युत प्रदाय संहिता पुनर्विलोकन समिति (पुनर्विलोकन समिति) का गठन करेगा। पुनर्विलोकन समिति में निम्न सदस्य होंगे:—
- (ए) कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचालन एवं संधारण), छ.ग.रा.वि.वि.कं.लि., राज्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी, समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- (बी) कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (वाणिज्य एवं योजना), छ.ग.रा.वि.पा.कं.लि., राज्य पारिषद उपयोगिता (एसटीयू), समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- (सी) अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि — सदस्य।
- (डी) एलटी उपभोक्ता, एचटी उपभोक्ता, ईएचटी उपभोक्ता, उनके संगठन एवं कोई अन्य उपभोक्ता समूह; तथा कोई अन्य हितबद्ध समूह, एनजीओ सहित, जैसा कि आयोग उचित समझे, — सदस्य।

परंतु यह कि समीक्षा समिति की कार्यवाहियां, केवल किसी रिक्त या गठन में त्रुटि की विद्यमानता के आधार पर ही निरसित नहीं होगी तथा ऐसे मामलों पर आयोग का विनिश्चय, अंतिम एवं निर्णयात्मक होगा।

टीपः (सी) एवं (डी) में उल्लिखित सदस्यों की पदावधि, दो वर्ष की अवधि के लिये होगी।

- 1.7 समीक्षा समिति का अध्यक्ष, सदस्य सचिव के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा। संबंधित अनुज्ञप्तिधारी, समिति को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सभी अपेक्षित सहायता, प्रशासनिक या अन्यथा, की व्यवस्था करेगा।²
- 1.8 समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।
- 1.9 समीक्षा समिति का सदस्य सचिव बैठक आयोजित होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर बैठक की कार्यवाही विवरण आयोग को प्रेषित करेगा।
- 1.10 आयोग विद्युत प्रदाय संहिता को स्वप्रेरणा से अथवा समीक्षा समिति की अनुषंगताओं के आधार पर संशोधित कर सकेगा। तथापि संहिता में किसी भी प्रकार के संशोधन के पूर्व आयोग प्रस्तावित संशोधन के संबंध में सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य पारिषद युटिलिटी, पारिषद अनुज्ञप्तिधारी और आम जनता से सुझाव प्राप्त करेगा।
- 1.11 विद्युत प्रदाय संहिता में संशोधन की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनके विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में बहुप्रसारित कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाएगा जिसमें उल्लेखित किया जाएगा कि संशोधित विद्युत प्रदाय की प्रतियां कंडिका 1.5 में दर्शाए कार्यालयों में क्रय हेतु उपलब्ध हैं।

अध्याय 2 : परिभाषाएँ

2.1 इस संहिता में जब तक संदर्भ अन्यथा न हो —

- (ए) “अधिनियम” से तात्पर्य है विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का क्रमांक 36) जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो।
- ⁴[(ए)(i) “एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई)” से अभिप्रेत है स्मार्ट मीटर, संचार नेटवर्क और डेटा प्रबंधन प्रणालियों की एक एकीकृत प्रणाली है, जो उपयोगिताओं और ऊर्जा मीटरों और एडवांसड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सामान्यतः हेड एंड सिस्टम, वाइड एरिया नेटवर्क, नेबरहुड एरिया नेटवर्क, डेटा कंसंट्रेटर यूनिट और होम एरिया नेटवर्क शामिल हैं, के कार्यात्मक ब्लॉकों के बीच दो-तरफा संचार को सक्षम बनाता है;]⁴
- (बी) “अनुबंध” से तात्पर्य इस संहिता के तहत अपने व्याकरण्य विभेदों और समीपीय अभिव्यक्तियों के साथ अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य किए गए अनुबंध से है।
- (सी) “उपकरण” से तात्पर्य है विद्युत उपकरण और इसमें सभी मशीन पूर्ण, सहायक उपकरण और यंत्र सम्मिलित हैं जिसमें विद्युत चालकों का उपयोग किया जाता है।
- (डी) ⁴“आवेदक” से अभिप्रेत है किसी भूमि/परिसर के स्वामी या अधिषासी जो अधिनियम, उसके अधिन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में, विद्युत की आपूर्ति स्वीकृत भार या अनुबंधित मांग में वृद्धि या कमी करने, शीर्षक में परिवर्तन या नामांतरण, उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन, आपूर्ति को विच्छेदित करने या पुनर्संयोजित करने या अनुबंध समाप्त करने, कनेक्शन के स्थानांतरण या अन्य सेवाओं, यथास्थिति, के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है।]⁴
- (ई) “आवेदन” से तात्पर्य है आवश्यक भुगतान तथा अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने संबंधी प्रपत्र सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चाहे गए उपयुक्त प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र।
- (एफ) “आवेदन प्रपत्र” से तात्पर्य है राशि के भुगतान पूर्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चाहे गए प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन पत्र।
- (जी) ⁴“आपूर्ति का क्षेत्र” से अभिप्रेत है वह क्षेत्र, जिसके भीतर लाइसेंसधारी, विद्युत की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत है और इसमें ऐसे क्षेत्र शामिल होंगे, जहां फ्रेंचाइजी अभिनियोजित की जा सकती है;]⁴
- (एच) “औसत पॉवर फेक्टर” से तात्पर्य औसत मासिक पावर फेक्टर है, जिसे बिलिंग माह में प्रदाय किये गये कुल किलोवाट घंटों को कुल किलो वोल्ट एम्पियर घंटों के अनुपात में प्रतिषत में दर्शाया जावेगा। इस प्रतिषत को दशमलव के दो पूर्णांकों में दर्शाया जावेगा। दशमलव के तीसरे स्थान पर पॉच या इससे अधिक संख्या होने पर उसे दशमलव के दूसरे स्थान पर स्थित अंक से एक अंक अधिक कर पूर्णांक बनाया जावेगा। यदि किलोवाट घंटों या किलो वोल्ट एम्पियर घंटों में वाचन सुविधा उपलब्ध न हो और यदि मीटर में किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव घंटे रिकार्ड करने की सुविधा हो तो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव घंटों के वाचन के आधार पर औसत मासिक पावर फेक्टर की गणना की जावेगी।
- (आई) “बिलिंग माह या माह” से तात्पर्य है माहवारी बिलिंग की स्थिति में बिल किये जाने के प्रयोजन हेतु ली गई क्रम से दो मीटर वाचन के बीच में लगभग 30 दिवस की अवधि।
- (जे) “बिलिंग साइकिल” से तात्पर्य है बिलिंग हेतु दो निकटवर्ती मीटर वाचन के मध्य 30 दिवस से अधिक की अवधि जैसे कि द्विमासिक/त्रैमासिक बिलिंग।
- (के) “ब्रेकडाउन या व्यवधान” से तात्पर्य है विद्युत लाइन सहित विद्युत आपूर्ति प्रणाली के उपकरण से संबंधित कोई घटना जो सामान्य कार्यप्रणाली को रोक देती है।

- (एल) **“संहिता या प्रदाय संहिता”** से तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता जैसे कि समय-समय पर लागू हो।
- (एम) **“आयोग”** अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।
- (एन) **“चालक”** से तात्पर्य है ऐसा कोई तार, केबल, छड़, नली (ट्यूब), रेल (रेलपोल) या प्लेट जो विद्युत ऊर्जा के चालन में प्रयुक्त होता है तथा इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया हो ताकि इसे विद्युत प्रणाली से संयोजित किया जा सके।
- (ओ) ³**“संबद्ध भार”** से अभिप्रेत है — उपभोक्ता के परिसर में ऊर्जा की खपत करने वाले समस्त उपकरण जो विद्युत की मुख्य धारा से संयोजित हैं तथा एक साथ उपयोग किये जा सकते हैं की उत्पादक द्वारा दी गयी सकल रेटिंग। इसे के.डब्ल्यू. या एच.पी. इकाईओं से अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इस संहिता की ‘उपकरणों की रेटिंग’ की कंडिका 5.48 में निहित प्रक्रिया के द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है।³
- (पी) **“संयोजन बिन्दु”** से तात्पर्य है वह बिन्दु जहाँ उपभोक्ता के स्थापना और/या संयंत्र वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली से जुड़ते हैं।
- (क्यू) ⁴**“उपभोक्ता”** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिस, उसके स्वयं के उपयोग के लिए, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी या सरकार या विद्युत अधिनियम, 2003 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन साधारण जनता को अवद्युत आपूर्ति के व्यवसाय में संलग्न किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जिसके परिसरों को किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सरकार या ऐसे किसी व्यक्ति, यथास्थिति, के कार्यों के साथ तत्समय विद्युत प्राप्ति के प्रयोजन के लिए संबद्ध किया जाता है, द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है।
- (क्यू)(ए) **“प्रोज्यूमर”** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करने के साथ-साथ उसी आपूर्ति स्थल का उपयोग करते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए ग्रिड में विद्युत प्रवाहित भी कर सकता है।⁴
- (आर) **“उपभोक्ता की स्थापना”** से तात्पर्य है कोई भी संयुक्त विद्युत इकाई जिसमें विद्युत तार, पुर्जे, मोटरें, चलित एवं स्थाई उपकरण शामिल होंगे जो उपभोक्ता द्वारा या उसके लिये उपभोक्ता के परिसर में स्थापित या तारों से जोड़े गये हैं।
- (आर)(i) ⁴**“उपभोग प्रभार (खपत शुल्क)”** से अभिप्रेत है प्रभार केडब्ल्यूएच या केव्हीएच में विद्युत ऊर्जा की खपत को मांग प्रभार/नियत प्रभार, ईंधन अधिभार समायोजन (एफएसए), और पीक लोड छूट प्रभार, जो भी लागू हो, सहित लागू ऊर्जा प्रभार से गुणा किया जाता है। इनमें सभी प्रकार के शुल्क और कर, सेवा प्रभार और किराया शामिल नहीं हैं। उपभोग प्रभार (खपत शुल्क) को विद्युत की बिक्री (एसओपी) शुल्क भी कहा जा सकता है;⁴
- (एस) **“संविदा भार या संविदा मांग”** से तात्पर्य है किलोवाट, किलोवोल्ट एम्पियर या हार्सपावर जैसा भी प्रकरण हो में अधिकतम विद्युत भार जिसकी आपूर्ति किये जाने हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत हुआ हो और जिसके लिये उपभोक्ता ने अनुबंध किया हो एवं जो अनुबंध में उल्लेखित हो।
- (टी) **“कट आउट”** से तात्पर्य है कोई उपकरण जो विद्युत तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के पूर्व निर्धारित मात्रा से अधिक होने की दशा में स्वचालित रूप से विद्युत प्रदाय अवरुद्ध करता है एवं इसमें फ्यूज होने वाले तार का कट आउट भी सम्मिलित है।

- (यू) **“कनेक्शन प्रदान करने की तिथि”** से तात्पर्य वह तिथि है जब अनुज्ञापिधारी उपभोक्ता की स्थापना को मीटर लगाकर वितरण में से जोड़ते हुए ऊर्जीकृत करता है।
- (यू)(i) **4{“दिवस” से पूर्ण कार्यदिवस अभिप्रेत है;}**⁴
- (व्ही) **“अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि”** से तात्पर्य वह तिथि है जो उपभोक्ता को दी गई उसके परिसर तक विद्युत प्रदाय उपलब्धता की सूचना पत्र जारी होने के उपरांत निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए एक माह व उच्चदाब तथा अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के लिए तीन महीनों के बाद पड़ने वाली प्रथम तिथि अथवा संयोजन (कनेक्शन) जारी करने की वास्तविक तिथि में से जो भी पहले हो।
- (डब्ल्यू) **“मांग प्रभार”** से तात्पर्य किसी बिलिंग माह के लिए उपभोक्ता से बिलिंग मांग के आधार पर लिया जाने वाला वह प्रभार है, जिसकी गणना आयोग द्वारा अधिनियम के भाग VII के अंतर्गत पारित टैरिफ आदेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।
- (डब्ल्यू)(i) **4{“विच्छेदन (डिसकनेक्शन)” से अभिप्रेत है लाइसेंसधारी की प्रणाली से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति जारी न रखना;}**⁴
- (एक्स) **“वितरण मेन्स”** से तात्पर्य वितरण प्रणाली का वह भाग है जिससे सर्विस लाइन जोड़ा गया हो या निकट भविष्य में जोड़ा जाने वाला हो।
- (वाई) **“वितरण प्रणाली”** से तात्पर्य है वितरण अनुज्ञापिधारी के तारों की प्रणाली तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण जो उपभोक्ता की स्थापना से जोड़ा गया हो या जोड़ा जाने वाला हो। जिसमें विद्युत लाइन, सब-स्टेशन, विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित है जो कि संबंधित अनुज्ञापिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत वितरण हेतु संधारित किये जाते हैं तथापि ऐसी लाइन, सब-स्टेशन या विद्युत संयंत्र चाहे उच्चदाब केबल या बिरोपरि लाइन हो या उनसे संबंधित हो अथवा प्रसंगवश अन्यो के लिए विद्युत पारेषण हेतु उपयोग में लाया जाता हो।
- (जेड) **“भूयोजित या भूमि से संयोजित”** से तात्पर्य है भूमि से इस प्रकार संयोजित करना कि ऊर्जा का उन्मोचन (डिसचार्ज) सभी समय तत्काल एवं प्रभावी रूप से बिना खतरे के हो सके।
- (एए) **“विद्युत निरीक्षक”** से तात्पर्य अधिनियम की धारा 54 में परिभाषित निरीक्षक से है।
- (बीबी) **“विद्युत लाइन”** से तात्पर्य है कोई लाइन जो कि किसी भी प्रयोजन के लिए विद्युत प्रवाहित करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है:
- किसी लाइन का सपोर्ट (संबल) जैसे कि कोई ढांचा, टावर, पोल (खम्भा) या अन्य जिसमें से, जिसके ऊपर या जिससे होकर ऐसी लाइन लटकायी या ले जायी जाती है या ले जायी गई है।
 - कोई तंत्र जो कि विद्युत प्रवाहित करने हेतु ऐसी किसी लाइन से जुड़ी हो।
- (सीसी) **“ऊर्जा”** से तात्पर्य ऐसी विद्युत ऊर्जा जो कि
- किसी उद्देश्य के लिये उत्पादित, पारेषित या प्रदाय की जा रही हो। अथवा
 - जो संदेश प्रसारित करने के अलावा किसी और कार्य के लिये उपयोग की जा रही हो।
- (डीडी) **“ऊर्जा प्रभार”** से तात्पर्य उस प्रभार से है जो कि टैरिफ के अनुसार उपभोक्ता को प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा (किलोवाट घंटा या किलोवोल्ट एम्पियर घंटा) के आधार पर लगाया जाता है।
- (ईई) **“अति उच्चदाब”** से तात्पर्य वह वोल्टेज है जो 33000 वोल्ट से अधिक हो तथा जिसका प्रतिषत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।

- (एफएफ) **“फीडर”** से तात्पर्य है निम्नदाब, उच्चदाब या अति उच्चदाब वितरण लाइन (वितरक) जो कि सब-स्टेशन से निकलती है जिससे कि निम्नदाब, उच्चदाब या अति उच्चदाब उपभोक्ता संयोजित है।
- (जीजी) **“स्थिर प्रभार”** से तात्पर्य है वह प्रभार जो कि आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी हेतु जारी प्रचलित टैरिफ आदेश में प्रावधानित है।
- (एचएच) **“हार्मोनिक्स”** से तात्पर्य है 50 हर्ट्ज की मौलिक विद्युत फ्रिक्वेंसी के एकीकृत गुणक सामयिक तरंग या घटक जिससे वोल्टेज या विद्युत धारा की शुद्ध सीनोसाइडल तरंग के आकार में विकृति आती है यह IEEE STD 519-1992, “IEEE रिकमेंडेड प्रक्टिसेस एंड रिकवायरमेन्ट फार हारमोनिक कंट्रोल इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम” से शासित होंगे और अधिनियम की धारा 185(2)(सी) के अधीन बनाये गये मापदंडों के अनुसार होंगे।
- (आईआई) **“उच्चदाब”** से तात्पर्य है सामान्य परिस्थिति में 650 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक की वोल्टेज जिसका प्रतिषत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।
- (जेजे) **“स्वतंत्र/समर्पित (इण्डिपेंडेंट/डेडीकेटेड) फीडर”** से तात्पर्य है वह फीडर जिसका निर्माण किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह की राशि से किया गया हो तथा जिससे सिर्फ उस उपभोक्ता या उन उपभोक्ताओं के समूह को ही विद्युत प्रदाय किया जाता हो।
- (केके) **“अनुबंध की प्रारंभिक अवधि”** से तात्पर्य है अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष का समय। अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि उस माह के अंतिम दिवस तक प्रभावी रहेगा जिस माह में दो वर्ष का अंतिम दिवस समाप्त होता है।
- (एलएल) **“स्थापना”** से तात्पर्य है ऐसी संयुक्त विद्युत इकाई जो विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, रूपांतरण, पारेषण, परिवर्तन, वितरण अथवा उपभोग में प्रयुक्त हो रही हो।
- (एमएम) **“अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार”** से तात्पर्य उस ठेकेदार से है जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सुरक्षा नियमन 2010 की कंडिका 29 के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।
- (एनएन) **“अनुज्ञप्तिधारी”** से तात्पर्य है जब तक अन्यथा न हो ऐसा विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत विद्युत वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया हो।
- (ओओ) **“लोड फैक्टर”** से तात्पर्य किसी समयावधि में खपत की गई कुल यूनिटों तथा संविदा मांग/स्वीकृत भार के उस अवधि में पूर्ण उपयोग होने की स्थिति में आकलित विद्युत खपत का अनुपात जिसे सामान्यतः प्रतिषत में अभिव्यक्त किया जाएगा।
- प्रतिषत में लोड फैक्टर = $\frac{\text{दिए गए समयावधि में खपत की गई विद्युत यूनिटों में} \times 100}{\text{स्वीकृत भार किलोवाट में} \times \text{दिये गये समयावधि में घंटों की संख्या}}$
- (पीपी) **“निम्नदाब”** से तात्पर्य है सामान्य परिस्थिति में वोल्टेज 230 वोल्ट से अधिक न हो तथा जिसका प्रतिषत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।
- (क्यूक्यू) **“अधिकतम मांग”** से तात्पर्य उस मांग से है जिसकी गणना संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिये आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश के अनुसार हो।
- (आरआर) **“मध्यम दाब”** से तात्पर्य है सामान्य परिस्थितियों में 230 वोल्ट से अधिक परन्तु 650 वोल्ट से अधिक न हो तथा जिसका प्रतिषत परिवर्तन इस संहिता की कंडिका 3.3 के अनुसार हो।
- (एसएस) **“मीटर”** से तात्पर्य है एकीकृत उपकरणों व यंत्रों का समूह जैसा कि आवश्यक हो जिसे किलोवाट घंटे, या किलोवोल्ट एम्पियर घंटों में ऊर्जा, किलोवाट या किलोवोल्ट एम्पियर में अधिकतम मांग, के.व्ही.ए.आर. घंटे में रिएक्टिव ऊर्जा इत्यादि को दिए गए समय में मापने और/या अंकित करने और/या संग्रहण करने हेतु प्रयुक्त किया जावे। इसमें पूर्ण (होल) करंट मीटर सहित ऐसे मीटर या उसके मीटरिंग उपकरणों के यथा करंट ट्रान्सफॉर्मर (सीटी), कैपासिटर वोल्टेज ट्रान्सफॉर्मर (सीव्हीटी), पोटेंशियल ट्रान्सफॉर्मर (पीटी) सहित केबल वायरिंग

तथा परीक्षण व सुरक्षा हेतु लगाये जाने वाले अन्य साधन यथा टेस्ट टर्मिनल ब्लाक, स्विच, एमसीबी/लोड लिमिटर फ्यूज तथा उनके लगाने हेतु उपयोग किया गया बाक्स व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये जाने वाले सील व सीलिंग व्यवस्था भी सम्मिलित होंगे।

(एसएस)(i) ⁴‘न्यूनतम शुल्क’ से अभिप्रेत है न्यूनतम शुल्क जो उपभोक्ताओं द्वारा उनके परिसर में बिना किसी भी खपत के बावजूद लगाया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा पारित प्रचलित टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट है।⁴

(टीटी) ‘प्रदाय बिन्दु या आपूर्ति बिन्दु’ से तात्पर्य है उपभोक्ता द्वारा स्थापित स्वीचगियर के लिये वितरण प्रणाली के आने वाले अंतिम छोर (इनकमिंग टर्मिनल) का बिन्दु।

(यूयू) ‘पावर फैक्टर’ से तात्पर्य है प्रत्यावर्ती धारा (अल्टरनेटिंग करंट) सर्किट में वोल्टेज व विद्युत धारा (करंट) व्हेक्टर के मध्य विद्युतीय झुकाव का कोसाइन (कोज्या)।

(व्हीव्ही) ‘परिसर’ से तात्पर्य है भूमि, भवन, ढांचा का भाग या उनका संयोजन जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु अलग से मीटर या मीटरिंग व्यवस्था की गई हो।

(व्हीव्ही)(i) ⁴‘प्रीपेड/प्रीपेमेंट मीटर’ से अभिप्रेत है प्रासंगिक आईएस के अनुरूप एक स्मार्ट मीटर, जो अग्रिम भुगतान के बाद ही विद्युत के उपयोग की सुविधा देता है; ⁴

(डब्ल्यूडब्ल्यू)² ‘ग्रामीण क्षेत्र’ से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यथा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र।²

(एक्सएक्स) ‘स्वीकृत भार’ से तात्पर्य है किलोवाट, किलोवोल्ट एम्पियर या हार्स पावर जैसा भी प्रकरण हो में भार जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के साथ अनुबंध की अनुपस्थिति में भी शासित नियम व शर्तों के अनुसार प्रदाय हेतु सहमत हुआ हो।

⁴[(एक्सएक्स)(i) ‘सुरक्षा जमा (एसडी)’ से अभिप्रेत है एक उचित सुरक्षा, आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी ऐसे व्यक्ति से आवश्यकता हो सकती है, जिसे अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के प्रावधानों के अनुसार बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता हो।

परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता का हकदार नहीं होगा यदि व्यक्ति को आपूर्ति प्रीपेड/प्रीपेमेंट मीटर के माध्यम से दी जाती है।

(एक्सएक्स)(ii) ‘स्मार्ट मीटर’ से अभिप्रेत है उपयोग का समय रजिस्टर, आंतरिक कनेक्ट और डिस्कनेक्ट स्विच (लैच रिले) के साथ दो-तरफा संचार क्षमता वाला एक एसी स्टैटिक वाट-घंटा मीटर। इसे आगे (आयात) या दोनों आगे (आयात) और रिवर्स (निर्यात) दोनों के प्रवाह को मापने, प्रासंगिक मानकों में परिभाषित अन्य मापदंडों के साथ स्टोर करने और संचारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। डेटा/घटनाक्रमों को एकत्र करने और परिसर में विद्युत की आपूर्ति के लिए वितरण उपयोगिता द्वारा प्रदान किए जाने वाले चुनिंदा मापदंडों हेतु प्रोग्रामिंग के लिए इसे दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जाएगा;⁴

(बाईबाई) ‘टैरिफ आदेश’ से तात्पर्य है अनुज्ञप्तिधारी के लिये आयोग द्वारा हाल ही में जारी आदेश जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से विद्युत प्रदाय हेतु बिल किये जाने वाले विद्युत दर का उल्लेख हो।

⁴[(वाईवाई)(i) ‘टैरिफ’ से अभिप्रेत है आयोग द्वारा यथा अनुमोदित विद्युत ऊर्जा और सेवाओं की आपूर्ति के लिए नियत प्रभार और मासिक न्यूनतम प्रभार सहित कीमतों या शुल्कों की अनुसूची, जो लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली ऐसी सभी सेवाओं पर लागू होती है;⁴

- (जेडजेड) “चोरी” से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत परिभाषित विद्युत चोरी।
- (एएए) “पारेषण अनुज्ञप्तिधारी” से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत पोरषण लाइन के निर्माण व संचालन हेतु अधिकृत करते हुए अनुज्ञप्ति जारी किया गया है।
- (बीबीबी) “पारेषण प्रणाली” से तात्पर्य है ऐसी प्रणाली जिसमें अति उच्चदाब पर संचालित विद्युत लाईन सहित प्रणाली (जनरेटर को प्रणाली से जोड़ने के लिए समर्पित लाइनों को छोड़कर) जो कि एक पॉवर स्टेशन से किसी सब-स्टेशन या दूसरे पॉवर स्टेशन या दो सब-स्टेशनों के मध्य या किसी बाह्य जुड़े उपकरण से वितरण प्रणाली तक जिसमें विद्युत के पारेषण हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व व उपयोग होने वाले यंत्र, संयंत्र व मीटर सम्मिलित हो परन्तु किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली का कोई भाग सम्मिलित न हो।
- (सीसीसी) ² [‘नगरीय क्षेत्र’ से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र।
- (डीडीडी) ‘सामान्य कनेक्शन’ से अभिप्रेत है विद्युत कनेक्शन, जहां मुख्य वितरण एवं आपूर्ति बिन्दु के बीच की दूरी 30 मीटर के भीतर हो और विद्यमान वितरण साधन (मेन्स) का परिवर्धन/संवर्धन/ उन्नयन, अपेक्षित न हो।
- (ईईई) ‘विस्तारित प्रकरण’ से अभिप्रेत है ऐसे सभी प्रकरण, जो सामान्य कनेक्शन क्षेत्र के अन्तर्गत न आता हो।
- (एफएफएफ) ‘आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार’ से अभिप्रेत है उपभोक्ता के मांग की पूर्ति के लिए वितरण प्रणाली के विस्तार, उन्नयन करने एवं सामर्थ्य बनाने की लागत।]²
- 2.2(ए) [सीईए दिशानिर्देशों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 या यथा लागू किसी भी अन्य भारत सरकार के दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार, उपभोक्ता डेटा संरक्षण को लाइसेंसधारी द्वारा समय-समय पर निगमित और सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (बी) अन्य सभी अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है। अन्य अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु इस संहिता में या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, किन्तु राज्य में विद्युत उद्योग पर लागू संसद द्वारा पारित किसी भी विधि के तहत परिभाषित हैं या अधिनियम की धारा 62 के तहत आयोग द्वारा पारित टैरिफ आदेश में कथित है, उनके वही अर्थ होंगे, जैसा कि इस प्रकार की विधि में उनके लिये समनुदेशित है। उपरोक्त के अध्यधीन रहते हुए, अभिव्यक्तियां, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु इस संहिता या अधिनियम में या संसद द्वारा पारित किसी भी विधि में विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जैसा कि सामान्यतः विद्युत आपूर्ति उद्योग में उनके लिये समनुदेशित है।]⁴

अध्याय 3 : विद्युत प्रदाय प्रणाली तथा उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

आपूर्ति प्रणाली

- 3.1 प्रत्यावर्ती धारा (अल्टरनेटिंग करेंट/ए.सी.) की घोषित फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल प्रति सेकेंड (हर्ट्ज) होगी।

3.2 ए.सी आपूर्ति की घोषित वोल्टेज निम्नानुसार होगी :-

(ए) निम्न दाब (एल.टी)

(i) एकल फेज : 230 वोल्ट – फेज व न्यूट्रल के मध्य ;

(ii) तीन फेज : 400 वोल्ट – फेजों के मध्य ;

(बी) उच्च दाब (एच.टी) – तीन फेज : 11 के.व्ही या 33 के.व्ही फेजों के मध्य;

(सी) अति उच्च दाब (ई.एच.टी.) – तीन फेज : 132 के.व्ही या 220 के.व्ही. फेजों के मध्य रेल्वे ट्रेक्शन (कर्षण) हेतु दो फेज पर विद्युत प्रदाय हो सकती है।

3.3 अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली को पारेषण प्रणाली के अनुसार आकल्पित एवं संचालित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय के बिन्दु पर घोषित वोल्टेज से भिन्न वोल्टेज की अनुमति निम्नलिखित स्थितियों के सिवाय नहीं देगा:-

(ए) निम्न दाब की दशा में घोषित वोल्टेज से 6 प्रतिशत से अधिक का अंतर;

(बी) उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर स्तर पर 6 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर स्तर पर 9 प्रतिशत से अधिक का अंतर ;

(सी) अति उच्च दाब वोल्टेज की दशा में उच्चतर स्तर पर 10 प्रतिशत से अधिक और निम्नतर स्तर पर 12.5 प्रतिशत से अधिक का अंतर।

उपर्युक्त से विलग कोई भी अनुमति केवल उपभोक्ता की लिखित सहमति अथवा आयोग के पूर्वानुमोदन से दी जाएगी।

उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली वोल्टेज तथा संविदा मांग की सीमा

3.4 ⁵[वोल्टेजवार न्यूनतम व अधिकतम संविदा मांग पर विद्युत आपूर्ति सामान्यतः निम्नानुसार होगी:-

विद्युत आपूर्ति की वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	—	5 किलोवॉट
400 वोल्ट	—	200 एच.पी. तक या 150 किलोवॉट
11 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए	500 के.व्ही.ए
33 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए	15000 के.व्ही.ए
132 के.व्ही	4000 के.व्ही.ए	40000 के.व्ही.ए
220 के.व्ही	15000 के.व्ही.ए	150000 के.व्ही.ए.

]⁵³[*कृषि / औद्योगिक तथा गैर-डी.एल.एफ. इन मानदण्डों के अपवाद है जिसके लिए कमतर भारों के लिए भी 3 फेज कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

परंतु यह कि तकनीकी कारणों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के अनुमोदन के उपरांत, उपरोक्त प्रावधानों को शिथिल कर सकता है। उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता की संविदा मांग यदि उपर्युक्त अधिकतम संविदा मांग से अधिक होती है तो आयोग द्वारा, सुसंगत टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार उन पर लगाया जाएगा।

परंतु यह भी कि उन मामलों में जहाँ पहुँच पाना कठिन हो, अनुज्ञप्तिधारी उन निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए उच्चदाब मीटर स्थापित कर सकता है, जिनकी अधिकतम संविदा मांग 50 एच.पी. या 37.5 कि.वा. से अधिक है। ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की बिलिंग 3 प्रतिशत ट्रांसफार्मेशन हानि को ध्यान में रखते हुए, लागू निम्नदाब टैरिफ के अनुसार की जाएगी।]³

- 3.5 इस संहिता की कंडिका 3.4 में दर्शित न्यूनतम संविदा मांग ऐसे विद्युत उत्पादन संयंत्र (जनरेटर) जिन्होंने स्टार्ट-अप पावर लिया है तथा केप्टिव जनरेटिंग प्लांट के ऐसे केप्टिव तथा नान-केप्टिव उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगी जो इस संहिता की कंडिका 12.14 व 12.15 के अनुसार अपनी संविदा मांग किसी भी सीमा तक यथा शून्य तक कम कर सकते हैं।
- 3.6 रेल्वे कर्षण (ट्रेक्शन) के प्रकरण में इस संहिता की कंडिका 3.4 में दर्शित अधिकतम व न्यूनतम संविदा मांग की सीमाओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक आवश्यकता व साध्यता के आधार पर परस्पर सहमति से विधिल किया जा सकता है।

हार्मोनिक्स

- 3.7 इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर्स (AIEEE) मानक 519 (1992) जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) टेक्नीकल स्टैंडर्ड आफ कनेक्टिविटी टू ग्रिड) नियमन 2007 (सीईए तकनीकी मान नियमन) भाग II की कंडिका 5 में अंगीकृत किया गया है के अनुसार हार्मोनिक्स में अधिकतम अनुमति योग्य सीमा निम्नानुसार है:-

(ए) वोल्टेज विकृति (डिस्टार्शन) सीमा (प्रतिशत में) – अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी

बस वोल्टेज	अधिकतम वैयक्तिक (इनडिविजुवल) वोल्टेज विकृति	कुल अधिकतम वोल्टेज विकृति
33 के.व्ही. व 132 के.व्ही.	3.0	5.0
220 के.व्ही.	2.0	2.5
400 के.व्ही.	1.5	2.0

(बी) करेंट (धारा) विकृति (डिस्टार्शन) – उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी

संयोजन बिन्दु पर पारेषण प्रणाली से लिये जाने वाले करेंट (धारा) की कुल हार्मोनिक विकृति 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- 3.8 वोल्टेज का असंतुलन यथा किसी भी दो फेज के मध्य वोल्टेज का अंतर 33 के.व्ही. तथा अधिक वोल्टेज के प्रकरण में प्रदाय बिन्दु पर 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

भार का संतुलन

- 3.9 तीन फेज प्रदाय लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को अपने विद्युत भार इस प्रकार संतुलित करना चाहिए ताकि प्रत्येक फेज का भार और तीनों फेज के औसत भार का अंतर 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

उपभोक्ताओं का वर्गीकरण

- 3.10 उपभोक्ताओं का वर्गीकरण, टैरिफ और प्रत्येक वर्ग को लागू विद्युत आपूर्ति की शर्तें आयोग द्वारा समय-समय पर अधिनियम की धारा 62 के अधीन पारित टैरिफ आदेश या अन्यथा किये गये निर्धारण के अनुसार होगा। अनुज्ञप्तिधारी समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुरूप उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत या पुनर्वर्गीकृत कर सकेगा।
- 3.11 उपभोक्ताओं के वर्गीकरण एवं उपयुक्तता के लिए आयोग का स्पष्टीकरण अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता दोनों के लिए अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

अध्याय 4 : नए संयोजन (कनेक्शन) देने तथा वर्तमान में स्थित संयोजन में परिवर्तन की प्रक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत आपूर्ति के दायित्व

4.1 अनुज्ञप्तिधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में स्थित किसी परिसर के स्वामी अथवा अधिवासी (आक्यूपेंट) से आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे परिसर को इस संहिता की कंडिका 4.58 में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर विद्युत की आपूर्ति करेगा, यदि :

- (ए) विद्युत की आपूर्ति तकनीकी रूप से साध्य हो,
- (बी) आवेदक द्वारा इस संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया गया हो, तथा
- (सी) आवेदक इस संहिता में विनिर्दिष्ट आपूर्ति के लिए विस्तार का मूल्य वहन करे।

4.1(डी) I वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्राथमिकता के आधार पर अपनी वेबसाइट ओर अपने नामित कार्यालयों के सूचना पटल पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करेगा, अर्थात्:—

- (i) नए कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, मीटर या सेवा लाइन के स्थानांतरण, उपभोक्ता वर्ग प्रवर्ग में परिवर्तन, भार में वृद्धि, भार में कमी या नाम में परिवर्तन, स्वामित्व के हस्तांतरण, परिसरों के स्थानांतरण एवं उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र आदि की स्वीकृति देने के बारे में विस्तृत प्रक्रिया;
- (ii) नामित कार्यालयों का पता और दुरभाष/मोबाइल नम्बर जहां भरे गए आवेदन या संबंधित शिकायत का प्रस्तुत किया जा सकता है ;
- (iii) आवेदन प्रारूप या संबंधित शिकायत ऑनलाइन जमा करने के लिए वेबसाइट का पता;
- (iv) आवेदन के साथ संलग्न किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियों की पूर्ण सूची;
- (v) आवेदन द्वारा जमा किए जाने वाले सभी लागू प्रभार;

II सभी प्रकार के कनेक्शनों के साथ-साथ मौजूदा कनेक्शन में उपांतरण करने के लिए सभी आवेदन पत्रों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के सभी स्थानीय कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसकी वेबसाइट पर निः शुल्क डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

III ऑनलाइन आवेदन प्रारूपों को जमा करने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी एक वेब पोर्टल ओर एक मोबाइल एप का निर्माण करेगा।

IV आवेदक के पास आवेदन प्रारूपों को हार्ड कॉपी के रूप में या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

V यदि किसी आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रस्तुत की जाती है, तो इसके प्राप्त होने के तुरंत बाद इसे कसैत करने वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा उस आवेदक के लिए रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ पावती का सृजन किया जाएगा और इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।

- VI यदि किसी आवेदन पत्र को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वेब पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाता है, तो आवेदन के प्रस्तुतीकरण के बाद रजिस्ट्रीकरण संख्या और पावती का सृजन किया जाएगा।
- VII सभी अपेक्षित जानकारीयों की दृष्टि से पूर्ण किसी आवेदन को पावती के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या के सृजन की तारीख को प्राप्त समझा जाएगा। हार्ड कॉपी के जरिए प्रस्तुत किए जाने के मामले में, पावती के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या का सृजन ऐससी अवधि जो आयोग द्वारा विहित की जाए, जो सभी अपेक्षित जानकारीयों के साथ पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के चौबीस घंटे से अधिक नहीं होगी, के भीतर किया जाएगा।
- VIII आवेदन पर कार्रवाई के विभिन्न चरणों जैसे आवेदन की प्राप्ति, स्थल निरीक्षण, मांग नोट का निर्गमन, बाह्य कनेक्शन, मीटर संस्थापना और विद्युत प्रवाही की स्थिति की निगरानी के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वेब आधारित एप्लीकेशन या मोबाइल एप या एसएमएस या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या आधारित आवेदन ट्रैकिंग तंत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- IX यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच कोई करार निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, वह आवेदन पत्र के भाग के रूप में किया जाएगा तथा किसी पृथक करार पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- X. यदि कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति करने में असफल रहता है तो वह ऐसे जुर्माने, जो आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए, जो चूक के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगा, का दायी होगा।
- XI. 150 किलोवाट तक या उससे अधिक भार, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, के विद्युतीकृत क्षेत्र के लिए, नए कनेक्शन के लिए कनेक्शन प्रभार, भार, मागे गए कनेक्शन की श्रेणी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कनेक्शन की औसत लागत के आधार पर नियत किए जाएंगे ताकि प्रत्येक अलग-अलग मामले के लिए स्थल निरीक्षण और मांग प्रभारों के अनुमान से बचा जा सके। ऐसे मामलों में, मांग प्रभारों का भुगतान नए कनेक्शन के लिए आवेदन के समय किया जा सकता है।
- XII. एसोसिएशन के अधीन आने वाले क्षेत्र के भीतर:
- (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे एसोसिएशन में अधिकांश घर या फ्लैट के स्वामियों की पसंद के आधार पर या तो एसोसिएशन के लिए एकल बिंदु कनेक्शन या प्रत्येक स्वामी के लिए अलग कनेक्शन देगा तथा विकल्प का अभिनिश्चय वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोगजित किए जाने वाले पारदर्शी मतदान के माध्यम से किया जाएगा,
- परंतु यह कि यदि पचास प्रतिशत से अधिक स्वामीव्यक्तिगत कनेक्शन पसंद करते हैं तो प्रत्येक स्वामी को व्यक्तिगत कनेक्शन दिया जाएगा।

(ख) मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण निम्न के लिए पृथक रूप से की जाएगी:—

- (i) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त व्यक्तिगत विद्युत खपत,
 - (ii) एसोसिएशन द्वारा आपूर्ति की गई बैकअप विद्युत की व्यक्तिगत खपत, और
 - (iii) ऐसे एसोसिएशन के सामान्य क्षेत्र के लिए विद्युत की खपत जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त होती है।
- (ग) एकल बिंदु कनेक्शन की दशा में मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण के लिए एसोसिएशन उत्तरदायी होगा तथा व्यक्तिगत कनेक्शनों के लिए, ये उत्तरदायित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त होती है।
- (घ) एकल बिन्दु कनेक्शन की दशा में :
- (i) व्यक्तिगत विद्युत की खपत के लिए एसोसिएशन द्वारा प्री-पेमेंट मीटर के माध्यम से काटे गए प्रभार या बनाए गए बिल, बिना लाभ-हानि के आधार पर होंगे।
 - (ii) एसोसिएशन को एकल बिंदु कनेक्शन देने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी का टैरिफ, लो टेंशन घरेलू प्रवर्ग हेतु औसत बिलिंग दर से अधिक नहीं होगा।
 - (iii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत के लिए एसोसिएशन द्वारा की गई कुल बिलिंग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त कुल टैरिफ से अधिक नहीं होगी।
 - (iv) व्यक्तिगत उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत उपलब्ध कराने के लिए उपगत उप-वितरण नेटवर्क लागत हेतु समुचित आयोग द्वारा विहित अतिरिक्त रकम प्रभारित की जा सकती है।

XIII किसी एसोसिएशन या किसी एसोसिएशन में फ्लैट या घर के स्वामी या किसी अन्य उपभोक्ता के अनुरोध पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्रणाली के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अलग कनेक्शन प्रदान करेगा।⁴

⁵{ई} यदि कोई उपभोक्ता 10 किलोवाट से अधिक क्षमता का रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करना चाहता है, तो निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान लागू होंगे;

- (i) कोई तकनीकी व्यवहार्यता (technical feasibility) जाँच नहीं की जाएगी।
- (ii) यदि संविदा मांग (contract demand) रूफटॉप सोलर प्लांट की क्षमता से कम है जिसे उपभोक्ता स्थापित करना चाहता है, तो संविदा मांग को उस सीमा तक बढ़ाया हुआ माना जाएगा।
- (iii) जिस मामले में उपभोक्ता की संविदा मांग को खंड (ii) के तहत कथित प्रावधान के अनुसार बढ़ाया जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा शुल्क वहन करने का दायित्व आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार होगा।
- (iv) उपभोक्ता को प्रावधान के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा राशि जमा (additional security) करने की आवश्यकता होगी।

- (v) 5 किलोवाट या उससे कम के स्वीकृत लोड वाले सिंगल-फेज कनेक्शन के लिए, यदि उपभोक्ता 10 किलोवाट तक का रूफटॉप सोलर पी. व्ही. प्रणाली स्थापित करना चाहता है, तो ऐसे उपभोक्ता के लिए सिंगल-फेज कनेक्शन को थ्री-फेज में परिवर्तित करना आवश्यक है और जब तक यह रूपांतरण नहीं हो जाता, तब तक स्वचलित भार वृद्धि केवल 5 किलोवाट तक ही मान्य होगी। हालाँकि, जैसे ही उपभोक्ता अपने परिसर को थ्री-फेज कनेक्शन के लिए तैयार होने की सूचना देगा, अनुबंधित मांग को उस सीमा तक बढ़ा हुआ माना जाएगा।⁵

उपरोक्त उल्लेखित आवेदन का आषय सभी संदर्भों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षित समुचित प्रारूप में प्रपत्रों सहित पूर्ण आवेदन से है जिसमें आवश्यक राशि के भुगतान संबंधी प्रपत्र सहित अन्य परिपालनों यथा अनुबंध करना व टेस्ट रिपोर्ट (परीक्षण प्रपत्र)/विद्युत निरीक्षक से अनुमति जैसा प्रकरण हो भी सम्मिलित है।

अनुज्ञप्तिधारी पर वितरण प्रणाली के विस्तार का दायित्व तथा उपभोक्ता का लागत में हिस्सा

- 4.2 वर्तमान के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय हेतु प्रणाली के सुदृढीकरण व उन्नयन का खर्च अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जावेगा जिसे टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ताओं से प्राप्त किया जावेगा।
- 4.3 ²[वितरण साधन (मेन्स) के विस्तार तथा नवीन उपभोक्ता की मांग की पूर्ति एवं विद्यमान उपभोक्ता के भार संवर्धन के लिए अपेक्षित प्रणाली के विस्तार/उन्नयन की लागत, अधिनियम की धारा 46 के अनुसार आयोग द्वारा यथा अनुमोदित विविध एवं सामान्य प्रभार में किये गये प्रावधानों के अनुसार होगा।
परंतु यह कि अनुज्ञप्तिधारी, मांग अध्यपेक्षा, चाहे वह सामान्य कनेक्शन या विस्तार प्रकरण हो, की पूर्ति के लिए, कृषि से भिन्न सभी उपभोक्ता संवर्गों से आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार वसूल करेगा।
- 4.4 यदि एलटी औद्योगिक कनेक्शन, चाहे नवीन या विद्यमान भार का संवर्धन हो, के मामले में, जिससे विद्यमान ट्रांसफार्मर की क्षमता का संवर्धन या पृथक ट्रांसफार्मर का संस्थापन अपेक्षित हो, यदि सार्वजनिक भूमि पर उपकेन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव न हो तो उपभोक्ता ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र और स्विचगियर के लिए सुलभ पहुंच वाली भूमि/कक्ष बिना मूल्य उपलब्ध करायेगा, जिसके लिए कोई भाड़ा या प्रीमियम, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं दिया जायेगा।²
- 4.5 वितरण प्रणाली का विस्तार चाहे इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया गया हो अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी जिसका संधारण (रखरखाव) अनुज्ञप्तिधारी अपने खर्च पर करेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह इस विस्तार कार्य का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को विद्युत आपूर्ति हेतु करे बशर्ते कि ऐसे उपयोग से पूर्व से ही वितरण नेटवर्क से संयोजित उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।
- 4.6 ⁴[जब अनुज्ञप्तिधारी विस्तार के बाद विद्युत आपूर्ति करने के लिये तैयार हो जाए तो वह निम्न दाब के प्रकरण में एक माह तथा उच्च व अति उच्चदाब के प्रकरण में तीन माह की सूचना (नोटिस) यह दर्शित करते हुए आवेदक को प्रदान करेगा कि विद्युत उसके परिसर तक उपलब्ध करा दी गई है तथा उपभोक्ता कनेक्शन प्राप्त कर ले। सूचना व्यक्तिगत रूप से या पावती सहित रजिस्ट्रीकृत पोस्ट/ईमेल (आवेदन के दौरान आवेदक द्वारा दिया गया) से प्रेषित किया जायेगा। यदि उपभोक्ता सूचना पत्र की अवधि के भीतर कनेक्शन लेने में असमर्थ होता है तो वह सूचना अवधि की समाप्ति की तिथि के अगले दिन से इस संहिता के प्रावधानों के भीतर प्रचलित टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट दर से देय प्रभारों का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।⁴

संयोजन प्रदान करने की शर्तें तथा उपभोक्ताओं का दायित्व

- 4.7 ⁴[विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा स्वीकार्य मापदंड के अनुरूप सर्विस लाइन विछायेगा। वितरण मेंस से प्रदाय बिन्दु तक जहाँ मीटर लगाया जाना हो तक के सर्विस लाइन की लम्बाई सामान्यतः 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सर्विस लाइन शिरोपरि या भूमिगत केबल हो सकेगी और उसमें किसी भी प्रकार का जोड़ मान्य नहीं होगा। सर्विस लाइन बिछाने के अतिरिक्त उपभोक्ता को सुरक्षा निधि, सर्विस कनेक्शन, अनुबंध शुल्क तथा अन्य प्रभार जो कि आयोग द्वारा समय-समय पर जारी मिसलेनियस एवं जनरल चार्जस के आदेश में विनिर्दिष्ट हो, का भुगतान आवश्यक होगा। विद्युत भार वृद्धि के प्रकरण में जहाँ भी आवश्यक हो उपभोक्ता को सर्विस कनेक्शन केबल के परिमाण (साइज) में वृद्धि करनी होगी।]⁴
- 4.8 ²[यदि एलटी कनेक्शन की निस्तार में वितरण प्रणाली का विस्तार या अन्यथा अंतर्वलित होता है तो सर्विस लाइन बिछाने का कार्य प्राधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा।]
- 4.9 ऐसे प्रकरणों में, जहां वितरण साधन (मेन्स) का विस्तार अपेक्षित हो, तो अनुज्ञप्तिधारी, विविध एवं सामान्य प्रभारों में यथा विनिर्दिष्ट विस्तार लागत और आपूर्ति सामर्थ्य प्रभारों को वसूलने के पश्चात लाइन विस्तार (30 मी. से अधिक) कार्य पूर्ण कर सकता है। तथापि, ऐसे प्रकरण में, उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदित लेआउट, ड्राइंग तथा डिजाइन के अनुसार प्राधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से सभी लाइन विस्तार कार्य को निष्पादित करने हेतु प्राथमिकता रखता हो, ऐसे प्रकरणों में, उपभोक्ता से, आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार के अतिरिक्त सामग्री की लागत तथा मजदूर प्रभार पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित होगा। सभी लाइन विस्तार कार्य के पूर्ण होने पर यह परिसंपत्ति अनुज्ञप्तिधारी को सौंप दिया जायेगा तथा कनेक्शन के निस्तार के पश्चात, लाइन को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वामित्वधीन रखा जायेगा तथा संधारण किया जायेगा।]²
- 4.10 ⁴[यदि उपभोक्ता लाइन विस्तार कार्य अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार से कराना चाहे तो उपभोक्ता स्वयं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वीकृत उत्पाद (मेक) तथा स्वीकृत वेंडर सूची से सामान खरीद सकता है अन्यथा गारंटी अवधि में किसी उपकरण के फेल (खराब) होने पर बदलने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। सामग्री संबंधित बी. आई.एस. मानकों या उसके समतुल्य होने चाहिये तथा जहाँ लागू हो वहाँ आई.एस. आई. चिन्हित होने चाहिये। अनुज्ञप्तिधारी उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता की जाँच के लिए दस्तावेजी साक्ष्य मांग सकता है। स्थापित किये गये ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन इस संहिता की कंडिका 5.10 से 5.17 के अनुसार होना चाहिए।]⁴
- 4.11 जहाँ लाइन विस्तार कार्य उपभोक्ता द्वारा कराया जायेगा वहाँ कार्य इस संहिता की कंडिका 4.58 में निर्धारित समय सीमा में करना होगा अन्यथा अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की सूचना देकर विद्युत प्रदाय का आवेदन निरस्त कर सकता है।

नये कनेक्शन प्रदान करने की प्रक्रिया

विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन

- 4.12 विद्युत आपूर्ति के लिये आवेदन जैसा भी प्रकरण हो संलग्नक 1 /संलग्नक 2 में दर्शित प्रारूप के अनुसार होगा जिसकी प्रतियाँ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से

निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदन पत्र की प्राप्ति पर तत्काल पावती दी जावेगी। प्रपत्रों की छायाप्रति अथवा अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट से प्राप्त की गई प्रतियां भी उपभोक्ता द्वारा प्रयुक्त की जा सकेंगी और अनुज्ञप्तिधारी उन्हें स्वीकार करेगा।

- 4.13** परिसर, जिसके लिए आपूर्ति अपेक्षित है पर अधिवासी व्यक्ति आवेदन में पूरा नाम, पोस्टल पता, दूरभाष/मोबाईल नंबर (यदि उपलब्ध हो), विद्युत प्रदाय बिन्दु आदि दर्शित करेगा। आवेदन पत्र भरने में आवेदक को कोई सहायता या जानकारी की आवश्यकता होने पर यह उपभोक्ता को उस कार्यालय से प्रदान किया जायेगा जहाँ आवेदन पत्र जमा होना है। परिसर पर अधिवासी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि मशीन/उपकरणों के स्थापना तथा वायरिंग का कार्य, इसे करने के लिये अधिकृत अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से कराया जावे।
- 4.14** नये संयोजन अथवा विद्यमान कनेक्शन में परिवर्तन के आवेदन के लिए अनुज्ञप्तिधारी वेबसाइट, कॉल सेंटर के माध्यम से नयी प्रक्रियाएं भी अपनायेगा जिससे कि इस प्रक्रिया में उपभोक्ता के साथ सम्पर्क की न्यूनतम आवश्यकता हो।
- 4.15** ²[नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को भी संलग्न किया जायेगा:—
- i) डीएलएफ/बीपीएल प्रयोजन:—**
- ए) आवेदक का फोटो चस्पा किया हुआ पहचान का प्रमाण (विहित अनुसार)।
- बी) परिसर के स्वामित्वता का दस्तावेज/स्वामी से एनओसी यदि आवेदक, परिसर का किरायादार हो।
- सी) राज्य शासन द्वारा अनुमोदित प्रचलित बीपीएल सूची के बीपीएल प्रयोजन हेतु।
- ii) एनडीएलएफ प्रयोजन:—**
- ए) आवेदक का फोटो चस्पा किया हुआ पहचान का प्रमाण (विहित अनुसार)।
- बी) परिसर के स्वामित्वता का दस्तावेज/स्वामी से एनओसी यदि आवेदक, परिसर का किरायादार हो।
- iii) कृषि/संबद्ध कृषि प्रयोजन:—**
- ए) परिसर के स्वामित्वता/कब्जे का विधिक दस्तावेज ।
- बी) आवेदक का फोटो चस्पा किया हुआ पहचान का प्रमाण (विहित अनुसार)।
- iv) औद्योगिक प्रयोजन:—**
- ए) परिसर के स्वामित्वता/कब्जे का विधिक दस्तावेज ।
- बी) प्राधिकार पत्र यदि आवेदक फर्म/कंपनी का भागीदार है और पहचान का फोटो प्रमाण यदि आवेदक, फर्म का स्वामी है।
- v) लोक उपयोगिता प्रयोजन:—**
- ए) कोई दस्तावेज नहीं।
- 4.16** आयोग द्वारा यथा विनिश्चित रजिस्ट्रेशन—कम—प्रोसेसिंग फीस, नवीन कनेक्शन/भार संवर्धन हेतु उदग्रहित किया जायेगा। ये प्रभार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वापस नहीं किये जायेंगे किन्तु भविष्य के विद्युत देयक में समायोजित किये जायेंगे।

पहचान का प्रमाण:-

निम्नलिखित स्व-प्रमाणित कोई भी दस्तावेज, स्वीकृतयोग्य पहचान के प्रमाण के रूप में विचारणीय होंगे:-

(ए) यदि आवेदक व्यक्ति है:

- (i) मतदाता पहचान पत्र
- (ii) पासपोर्ट
- (iii) ड्राइविंग लाइसेंस
- (iv) राशन कार्ड
- (v) शासकीय अभिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- (vi) पैन कार्ड
- (vii) सरपंच या कोई ग्राम स्तरीय शासकीय कार्यकारी जैसे पटवारी/पोस्टमास्टर/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी आदि से फोटो प्रमाणपत्र
- (viii) आधार कार्ड
- (ix) मनरेगा रोजगार कार्ड
- (x) पेंशन दस्तावेज फोटो सहित
- (xi) बैंक पासबुक फोटो सहित
- (xii) स्वास्थ्य बीमा कार्ड

(बी) यदि आवेदक कंपनी, न्यास, शैक्षणिक संस्थान, शासकीय विभाग आदि है, तो आवेदन प्ररूप, सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और संबंधित संस्थान के संबंधित संकल्प/प्राधिकार पत्र के साथ होगा।

टीप: अनुज्ञप्तिधारी, सत्यापन हेतु उपभोक्ता से मूल दस्तावेजों को मांग सकेगा।

4.17 विलोपित]²

4.18 घरेलू श्रेणी के नये कनेक्शन हेतु आवेदक, यदि परिसर के विधि सम्मत अधिवासी होने का सबूत देने में असमर्थ हो तो वितरण केन्द्र (लोकल ऑफिस) के प्रभारी द्वारा ऐसे सबूत की आवश्यकता को, लिखित रूप में इसके कारणों को दर्शाते हुए समाप्त किया जा सकता है। परन्तु ऐसे मामलों में आवेदक, परिसर को विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली क्षति की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति तथा भविष्य में भूमिस्वामी द्वारा कोई अड़चन/एतराज करने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने अधिकृत करते हुए बंधपत्र निष्पादित करेगा। तथापि उन मामलों में, जहां लाइन का विस्तार भूमि पर किया जाना आवश्यक हो, उपभोक्ता भूस्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा। ऐसे प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय द्वारा 90 दिन की औसत खपत के आधार पर सुरक्षा निधि उपभोक्ताओं से जमा कराई जायेगी। इस प्रकार के परिसर में प्रदाय किये गये विद्युत कनेक्शन को, परिसर पर कानूनी अधिकार होने या किसी अन्य कानूनी सबूत के तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

4.19 यदि उपभोक्ता, किसी पूर्ववर्ती अनुबंध जो कि उसके नाम से निष्पादित किया गया था या उस फर्म या कम्पनी जिसके साथ वह पूर्व में भागीदार, निदेशक या प्रबंध निदेशक के रूप में संबद्ध रहा हो के नाम में निष्पादित किया गया था, पर उस परिसर जहां नवीन कनेक्शन का आवेदन

दिया जाता है, अन्य बकाया राशि है और यह बकाया राशि अनुज्ञप्तिधारी को देय है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति के आवेदन पर तब तक कोई विचार नहीं किया जायेगा जब तक बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता है। किसी व्यक्ति का एक नई सम्पत्ति का अधिष्ठाता बनने पर उसका यह दायित्व होगा कि आधिपत्य ग्रहण करने के पहले वह पूर्व महीनों के विद्युत बिलों की जांच करे अथवा आपूर्ति संयोजन के विच्छेदित रहने की स्थिति में परिसर के अधिष्ठापन के शीघ्र पहले, अनुज्ञप्तिधारी के अभिलेखों से बकाया राशि की जानकारी प्राप्त करे और यह सुनिश्चित करे कि बिल में दर्शायी बकाया विद्युत राशि का निपटान एवं भारमोचन हो चुका है। ऐसे किसी व्यक्ति के आवेदन पर उस परिसर में पूर्व में या वर्तमान में स्थापित कनेक्शन पर बकाया राशि का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर जारी करने तथा भुगतान पश्चात कनेक्शन चालू करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी बाध्य होगा।

4.20 ³[(i) किसी उपभोक्ता को पूरे परिसर के लिये एक बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की जाएगी। आपूर्ति की निबंधनों एवं शर्तों के उद्देश्य से परिसर को पृथक निरूपित किया जाएगा:-

(ए) यदि विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व में हो या विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लीज पर या किराए पर लिया गया हो, घरेलू, सिंगल फेज, गैर-घरेलू तथा सड़क बत्ती के उद्देश्य से संयोजनों के मामले में संयोजन के समय किराए अथवा लीज की अवधि की वैधता किसी भी अवधि की हो तथा घरेलू, सिंगल फेज, गैर-घरेलू तथा सड़क बत्ती से भिन्न उद्देश्य से संयोजनों के मामले में संयोजन के समय न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि की हो,]³

(बी) यदि घरेलू श्रेणी के भवन जिनके पास परिसर को पृथक दर्शाने हेतु स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी संबंधित दस्तावेज हो,

(सी) ऐसे घरेलू परिसर जिसका कोई भाग गैर-घरेलू उद्देश्य के लिये प्रयुक्त किया जा रहा हो, तथा

(डी) ऐसी औद्योगिक स्थापनायें जो विभिन्न उत्पादों का एकल उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में उत्पादन नहीं करते हों और उनका भौतिक अस्तित्व पृथक एवं भिन्न हो।

(ii) प्रत्येक पृथक परिसर को पृथक बिन्दु पर विद्युत आपूर्ति की जावेगी। यह कि उच्चदाब उपभोक्ता उसी परिसर में अपने अति आवश्यक भार के लिए इस संहिता की कंडिका 4.40 में दर्शित प्रावधान के तहत अलग से निम्नदाब कनेक्शन ले सकते हैं।

⁵[यदि कोई भी उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता को छोड़कर, एक ही परिसर में EV चार्जिंग हेतु EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त मीटरिंग और मीटरिंग उपकरण के साथ अलग निम्नदाब (LT)/उच्चदाब (HT) कनेक्शन प्राप्त कर सकता है।]⁵

4.21 निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रकार से पूर्ण व संबंधित प्रपत्रों सहित विद्युत प्रदाय के लिये उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन को प्रस्तुति दिवस पर आवेदन पत्र की प्राप्ति माना जायेगा।

उपभोक्ता से आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात इस संहिता की कंडिका 6.4 व 6.5 के अनुसार सुरक्षा निधि सहित सभी शुल्कों के भुगतान पश्चात अनुबंध करने व अन्य दायित्व यथा परीक्षण प्रपत्र/ विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा जहां लागू हो इस संहिता की कंडिका 4.17 के अनुसार संबंधित प्रपत्रों की प्राप्ति को प्रस्तुति दिवस पर आवेदन की प्राप्ति माना जायेगा।

आवेदन पत्र पर कार्यवाही

4.22 ⁴[आवेदन अनुज्ञप्तिधारी कार्यालयों में ऑनलाइन/मोर बिजली ऐप/ हार्डकॉपी में ऑफलाइन के माध्यम से जमा किया जा सकता है।]⁴

- 4.23** अनुज्ञप्तिधारी सभी प्राप्त आवेदन पत्रों का आवेदन पत्र रजिस्टर या डाटा बेस में स्थाई रिकार्ड रखेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र को उनके प्राप्त होने के क्रमानुसार (पहचान हेतु) स्थाई आवेदन पत्र क्रमांक दिये जायेंगे। विभिन्न श्रेणियों के आवेदन पत्र जैसे जिसमें लाइन विस्तार कार्य करने की आवश्यकता है व जहां लाइन विस्तार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है के लिए अलग-अलग रजिस्टर/डाटाबेस रखना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक आवेदन पत्र पर अदिनांक तक (अपडेटेड) स्तरवार की गई कार्यवाही दर्शित करते हुए रजिस्टर/डाटाबेस रखना होगा।
- 4.24** ⁴[सर्विस लाइन पहुंच स्थान तक खींचा जायेगा व मीटर इस संहिता की कंडिका 8.9 व 11.64 के अनुसार परिसर के प्रवेश स्थल पर इस प्रकार लगाया जायेगा कि वह वर्षा आदि में सुरक्षित रहे तथा परिसर को बिना खुलाये या बिना ताला खुलाये मीटर रीडिंग (वाचन) लिया जा सके।]⁴
- 4.25** यदि आवेदन पत्र में सही रूप से पोस्टल पता नहीं लिखा है तो अनुज्ञप्तिधारी सही पोस्टल पता दर्ज करेगा तथा परिसर के पास के मुख्य लैंडमार्क (चिह्नित स्थल) सहित पोल नंबर जहां से सर्विस तार खींचा जाना हो भी दर्ज करेगा।
- 4.26** उपभोक्ता के परिसर का अग्रभाग मार्ग पर स्थित न होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के वितरण मेन से खींची जाने वाली सर्विस लाइन किसी अन्य व्यक्ति के लगे हुए परिसर से उसके ऊपर या नीचे से (लगा हुआ परिसर उपभोक्ता एवं ऐसे उस व्यक्ति के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा न हो) उपभोक्ता अपने स्वयं के खर्च पर वितरण लाइन का निर्माण करने या सर्विस लाइन डालने के लिए आवश्यक पहुंच रास्ता (वे-लीव) अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को देगा। जब तक वे लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की व्यवस्था हो नहीं जाती अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति नहीं करेगा। वे-लीव अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति की शर्तों के अनुसार आपूर्ति लाइन डालने में किया गया अतिरिक्त व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जायेगा। वे-लीव की पर्याप्तता व प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी पर नहीं होगी, यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी।
- 4.27** वे-लीव, अनुज्ञप्ति अथवा स्वीकृति के निरस्त होने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में सर्विस लाइन में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा नई सर्विस लाइन के प्रावधान, जो इस परिस्थिति में अपरिहार्य हो जाये, की व्यवस्था उपभोक्ता को अपने स्वयं के खर्च पर करनी होगी या उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य किये जाने की स्थिति में इस कार्य की पूर्ण लागत का भुगतान उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा। भुगतान न होने या भुगतान में विलम्ब की दशा में उपभोक्ता की आपूर्ति विच्छेदित किये जाने योग्य होगी।
- 4.28** ⁴[विद्यमान लाइन से विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव होने की स्थिति में जो कि 30 मीटर के अंदर एवं बिना कोई लाइन विस्तार के संभव हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी सभी शुल्क यानी आपूर्ति वहन शुल्क, सुरक्षा जमा, सेवा कनेक्शन शुल्क, कोई अन्य शुल्क शामिल करते हुए आवेदक को सलाह (मांग नोट) आवेदन के दिनांक को ही जारी करेगा। उपभोक्ता को 07 दिनों के भीतर मांग शुल्क की राशि जमा करना होगी। आवेदक से मांग शुल्क की संपूर्ण राशि प्राप्त होने के बाद शहरी क्षेत्रों में 07 दिनों के भीतर और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, आवेदक को विद्युत आपूर्ति दे दी जाएगी।

- 4.29** यदि उपभोक्ता को आपूर्ति देने में वर्तमान वितरण लाइन का विस्तार करना आवश्यक हो, तो वितरण लाइन के विस्तार की राशि, सुरक्षा निधि की राशि तथा लागू अन्य प्रभारों का एक मांग पत्र अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्रों में 07 दिनों में एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 14 दिनों में उपभोक्ता को प्रेषित तथा अन्य औपचारिकताओं को सूचित करेगा। आवेदक द्वारा इस राशि का पूर्ण भुगतान 15 दिनों में किया जायेगा। भुगतान के प्राप्त होने के बाद ही सर्विस लाइन डालने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को निर्धारित मांग पत्र में यह भी दर्शित करेगा कि राशि भुगतान पश्चात उपभोक्ता अनुबंध करे व कनेक्शन प्राप्त करने हेतु सर्विस लाइन खींचने के पश्चात परीक्षण पत्र प्रस्तुत करे।⁴
- 4.30** उपभोक्ता द्वारा 15 दिवसों में औपचारिकताएं पूर्ण करने में विफल रहने पर अनुज्ञप्तिधारी अगले 15 दिनों में औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु उसको सूचना देगा अन्यथा जिसमें विफल रहने पर उसका आपूर्ति का आवेदन पत्र सूचना देते हुए निरस्त कर दिया जायेगा। उसके बाद उपभोक्ता को प्रक्रिया फीस सहित नया आवेदन पत्र देना होगा।
- 4.31** ⁴[सुरक्षा निधि सहित आवश्यक राशि के भुगतान तथा अनुबंध करने के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी वितरण लाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ करेगा। विस्तार कार्य अधिकतम निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में (पंप को छोड़कर) 90 दिन में, उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 90 दिन तथा अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 180 दिन में पूर्ण करेगा। कृषि पंप के प्रकरण में यह अवधि उपभोक्ता परिसर तक जहां खेतों तक पहुंच हो 90 दिन तथा जहां पहुंच न हो 180 दिन होगा। आवश्यक पहुंच रास्ता (वे-लीव) (राईट ऑफ वे) स्वीकृति की जिम्मेदारी उपभोक्ता पर होगी। अनुज्ञप्तिधारी लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने पर तथा संयोजन प्रदान करने हेतु तैयार होने पर इस संहिता की कंडिका 4.6 के अनुसार उपभोक्ता को सूचना (नोटिस) जारी करेगा।]⁴
- 4.32** कार्य की प्राक्कलित राशि के भुगतान पश्चात यदि लाइन विस्तार कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है तो कार्य पूर्ण होने के 90 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी लाइन विस्तार कार्य में हुए वास्तविक राशि का आकलन कर उपरोक्त निर्धारित समय में अतिरिक्त राशि यदि लिया गया निकलता है तो वापस करेगा। वापसी में देर होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वापस होने योग्य राशि पर 1 प्रतिशत प्रति माह या उसके अंश पर ब्याज देना होगा। इस कार्य हेतु इस संहिता की कंडिका 4.6 के अनुसार नोटिस जारी करने की तिथि कार्य पूर्ण होने के तिथि मानी जायेगी। यदि किया गया वास्तविक खर्च प्राक्कलित व लिए गए राशि से अधिक पाया जाता है तो अंतर की राशि उपभोक्ता से वसूली योग्य होगी। यदि उपभोक्ता यह राशि जमा नहीं करता तो आवश्यक नोटिस के पश्चात उक्त राशि नियमित मासिक बिल में जोड़ दिया जायेगा व वसूली की कार्यवाही की जायेगी।
- 4.33** ²[यदि उपभोक्ता, स्वयं लाइन विस्तार कार्य निष्पादित करने हेतु अधिमानता रखता है तो उपभोक्ता, समय समय पर आयोग द्वारा यथा अनुमोदित लागू पर्यवेक्षण प्रभार और आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान करेगा। उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्य के आवश्यक पर्यवेक्षण करने हेतु विस्तार कार्य के प्रारंभ के बारे में अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अग्रिम सूचना देगा। उपभोक्ता को कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व अग्रिम में आवश्यक वैधानिक अनुमति अभिप्राप्त करना होगा। उपभोक्ता, इस संहिता के विनियम 4.58 में विहित समय सूची के भीतर विस्तार कार्य भी पूर्ण करेगा, तथा अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में विस्तार कार्य के पूर्ण होने की तिथि की सूचना देगा।]²

निम्नदाब संयोजन प्रदाय करना

- 4.34** ⁴[परीक्षण प्रपत्र व अन्य आवश्यक विधिक अनुमति प्रकरण अनुरूप होगा तथा जानकारी प्राप्त होने पर कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापना कार्य व सर्विस लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है, यदि निरीक्षण की आवश्यकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी 3 कार्य दिवस के भीतर उपभोक्ता को निरीक्षण/जांच दिवस की सूचना देगा। ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी सेन्ट्रल एलेक्ट्रीसिटी ऑथोरिटी (मेटर्स रिलेटिंग टु सेप्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम) के विनियम 31 के अनुसार आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि और उसके विद्युत ठेकेदार के समक्ष निरीक्षण व परीक्षण कार्य करेगा। निरीक्षण के समय अनुज्ञप्तिधारी यदि कोई त्रुटि (जैसे कि उपभोक्ता का स्थापना कार्य पूर्ण न हुआ हो, तार के खुले सिरे या जोड़ इन्सुलेटिंग टेप से सही ढंके न हो, की गई वायरिंग जीवन/सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो) पाई जाती है तो इसकी सूचना आवेदक को यथासम्भव स्थल पर ही उपयुक्त पावती के साथ देना चाहिए।]⁴
- 4.35** आवेदक इस संहिता की कंडिका 4.34 के अनुसार उल्लेखित त्रुटियों की सूचना प्राप्ति के 10 कार्य दिवस के भीतर ठीक कर अनुज्ञप्तिधारी को पावती सहित लिखित सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने या उपरोक्त समयावधि में अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने में विफल रहता है तो आवेदन पत्र शून्य माना जायेगा तथा आवेदक को नये रूप से आवेदन करना होगा। यदि आवेदक त्रुटि की सूचना प्राप्ति के 10 दिवस के भीतर लिखित निवेदन करता है तो अनुज्ञप्तिधारी कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दे सकता है।
- 4.36** आवेदक से त्रुटि दूर होने की सूचना प्राप्ति पर अनुज्ञप्तिधारी आवेदक से स्थल पर ही चर्चा कर पुनर्निरीक्षण की तिथि तय कर लिखित पावती सहित सूचित करेगा। पुनर्निरीक्षण, जानकारी प्राप्त होने व आवश्यक राशि जमा करने के पश्चात की तिथि से शहरी क्षेत्र में 3 कार्य दिवस व ग्रामीण क्षेत्र में 5 कार्य दिवस के भीतर किया जाना चाहिए।
- 4.37** यदि पुनर्निरीक्षण में पूर्व में उल्लेखित त्रुटियां यथावत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी उन्हें पुनः रिकार्ड करेगा और उसकी प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को प्रदान करेगा, तब आवेदन पत्र शून्य माना जावेगा और इसकी लिखित सूचना आवेदक को पावती सहित दी जावेगी।
- यदि आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के इस कार्य से असंतुष्ट हो तो वह संबंधित विद्युत निरीक्षक को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- 4.38** परीक्षण के परिणाम से संतुष्ट होने पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की उपस्थिति में मीटर स्थापित व सील कर इस संहिता में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर संयोजन प्रदान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर बाक्स के भीतर मीटर स्थापित किया जावेगा।
- 4.39** सर्विस कनेक्शन, ट्रांसफार्मर व पावर लोड हेतु अनुषंसित परिमाण (साइज) व रेटिंग संलग्नक 10 में दर्शित है। सर्विस कनेक्शन हेतु एक फेज कनेक्शन के लिए ट्विन कोर (दो कोर) तथा तीन फेज कनेक्शन के लिए 4 कोर केबल का उपयोग करना चाहिए।
- 4.40** उच्चदाब उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी उच्चदाब औद्योगिक संयोजन के परिसर में अलग से एक स्वतंत्र निम्नदाब संयोजन प्रदान कर सकता है ताकि आकस्मिक स्थिति में जब

उच्चदाब कनेक्शन में विद्युत उपलब्ध न हो तो उसके अत्यावश्यक भार की मांग की पूर्ति की जा सके जिसकी शर्त निम्नलिखित होंगी:

- (i) अधिकतम अनुमति योग्य भार 20 किलोवाट
- (ii) बिलिंग गैर घरेलू दर पर
- (iii) प्रचलित नियम के अनुसार उपभोक्ता को लाइन विस्तार कार्य सहित सर्विस कनेक्शन शुल्क व सुरक्षा निधि आदि आवश्यक राशि भुगतान करने होंगे।
- (iv) निम्नदाब संयोजन उस स्थापना से जहां से उच्चदाब संयोजन से विद्युत का उपयोग हो रहा है से अलग व दूर होना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में उसे उच्चदाब स्थापना से अंतःसंबंधित (इन्टरकनेक्टेड) नहीं होना चाहिए।
- (v) उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार इस प्रकार की अचूक व्यवस्था करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक आपूर्ति से दूसरे में फीड बैक होने की सम्भावना न हो। फीड बैक की सम्भावना की स्थिति में निम्नदाब कनेक्शन विच्छेदित किया जा सकता है।
- (vi) इसके लिए अलग से निम्नदाब अनुबंध करना होगा तथा अनुबंध में कंडिका 4.40 की उपकंडिका (iv) व (v) की शर्तें समाहित होंगी।
- (vii) निम्नदाब संयोजन तभी प्रदाय किया जायेगा जबकि उच्चदाब कनेक्शन के विरुद्ध कोई भुगतान बकाया न हो।

उच्च व अति उच्चदाब संयोजन प्रदाय करना

4.41 ¹[उच्चदाब/अति उच्चदाब पर विद्युत के प्रदाय हेतु कोई आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी, 05 कार्य दिवसों के भीतर उपभोक्ता को आवेदित प्रदाय की व्यवहार्यता के परीक्षण हेतु स्थल निरीक्षण की लिखित सूचना देगा। परीक्षण के समय उपभोक्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। उस दशा में जहाँ अति उच्चदाब पर प्रदाय/अति उच्चदाब वोल्टेज पर संयोजकता हेतु उपकेन्द्र की आवश्यकता हो, आवेदक को संयोजकता के लिए पारेषण कम्पनी को आवेदन की प्रतिलिपि साथ में प्रस्तुत करनी होगी। वितरण अनुज्ञप्तिधारी और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयुक्त परीक्षण सम्पन्न कराया जाएगा। और उनके प्रदाय की व्यवहार्यता का परीक्षण, टेक ऑफ बिन्दु का निश्चय, प्रदायकर्ता की लाईन से आगम बिन्दु, मीटर की स्थिति, मीटर उपकरण और प्रदायकर्ता के अन्य उपकरणों की जाँच की जाएगी। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवेदन प्रपत्रों की प्राप्ति से 30 कार्य दिवस के भीतर संयोजकता की व्यवहार्यता अथवा अन्यथा स्थिति की सूचना दी जाएगी और व्यवहार्यता प्रतिवेदन जारी करने के 60 दिवस के भीतर अनुमान स्वीकृति के पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए मांग पत्र जारी करेगा और उसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भेज देगा। वितरण कम्पनी भार की स्वीकृति देगी, और सुरक्षानिधि जमा कराने और अनुबंध के निष्पादन के लिए मांग पत्र जारी करेगी। तथापि खण्ड 4.58 में विहित विभिन्न गतिविधियों के लिए विहित समयसीमा का संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुपालन किया जाएगा।]¹

4.42 जहां उच्चदाब कनेक्शन वितरण प्रणाली से सम्बद्ध होना है के लिए साध्यता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर जारी होना है। पुनः साध्यता प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी प्राक्कलन स्वीकृत कर सुरक्षा निधि तथा अनुबंध आदि शुल्क दर्शित करते हुए मांग पत्र जारी करेगा। परिसर में प्रवेश स्थल पर मीटर इस प्रकार लगाया जायेगा ताकि वह वर्षा आदि से सुरक्षित रहे तथा बिना परिसर को खोले (ताला सहित) रीडिंग (वाचन) के लिए सुलभ रूप से उपलब्ध रहे। उच्चदाब संयोजन का अंतिम स्पान एरियल बंच केबल युक्त रहेगा तथा उच्च व अति उच्चदाब दोनों संयोजनों में सीटीपीटी व मीटर का संयोजन आर्मर्ड केबल के माध्यम से होगा।

- 4.43** उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सामान्यतः ऐसे फीडर (संभरक) से दी जायेगी जो कि विशेष कर उद्योगों के लिए निर्धारित हो। ऐसे औद्योगिक उपभोक्ताओं जो सतत प्रक्रिया (कन्टीनुअस प्रोसेस) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं अथवा जिनका भार 3 एम.व्ही.ए. या उससे अधिक हो के प्रकरण में विद्युत आपूर्ति समीपस्थ 33/11 के.व्ही. या अति उच्चदाब सब-स्टेशन से पृथक फीडर के माध्यम से किये जाने को प्राथमिकता दी जावेगी। किसी भी दशा में दो अति उच्चदाब सब-स्टेशनों को जोड़ने वाली ट्रंक लाइन से किसी उपभोक्ता को आपूर्ति नहीं की जायेगी।
- 4.44** 33 के.व्ही. व 11 के.व्ही. दोनों के उच्चदाब उपभोक्ताओं को सामान्यतः विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से नहीं की जायेगी। यदि आपूर्ति ग्रामीण फीडर से की जाती है तो उपभोक्ता को सूचित किया जायेगा कि प्रणाली की परिस्थिति के अनुसार ग्रामीण फीडरों की आपूर्ति को प्रतिबंधित व विनियमित किया जा सकता है। ऐसे उपभोक्ता आपूर्ति में प्रतिबंधों के लिए अनुज्ञप्तिधारी पर क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करने का एक बंध पत्र अनुज्ञप्तिधारी को देंगे।
- 4.45** उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता आपूर्ति बिन्दु पर CEA (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations 2010 के विनियम 35 के अनुसार उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरण लगायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी के सुरक्षा प्रणाली से उपभोक्ता के सुरक्षा प्रणाली का समन्वयन (कोऑर्डिनेशन) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने के पूर्व स्वीकृत किया जायेगा। मीटर व उससे संबंधित उपकरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति बिन्दु पर स्थापित किया जायेगा।
- 4.46** उच्चदाब (33 के.व्ही. व 11 के.व्ही.) उपभोक्ता के स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के उच्चदाब के वाइंडिंग डेल्टा व निम्नदाब के वाइंडिंग स्टार व्हेक्टर ग्रुप के होंगे तथा न्यूट्रल टर्मिनल पूर्णरूपेण भूयोजित होंगे। ट्रांसफार्मर प्रथमतः (प्रिफरेवली) ऊर्जा कृषल हो सकते हैं।
- 4.47** उपभोक्ता अपने परिसर में स्थापना कार्य पूर्ण कर उसके ऊर्जीकरण के लिए विद्युत निरीक्षक का अनुमति पत्र तथा जहां आवश्यक हो पर्यावरण संबंधी अनुमति पत्र अनुज्ञप्तिधारी को जमा करेंगे। खदानों के प्रकरण में इन्सपेक्टर आफ माइन्स के अनुमति प्रस्तुत करने होंगे।

उपभोक्ता परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण की क्षति

- 4.48** मीटर तथा अन्य उपकरण किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये (handle) या हटाये नहीं जायेंगे जो कि अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि न हो। सीलें, जो कि मीटर/मीटरिंग उपकरण, तथा मीटर बाक्स पर लगी हों, किसी भी कारण से छेड़ी, नष्ट अथवा तोड़ी नहीं जायें। उपभोक्ता के परिसर में लगे अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण तथा मीटर/मीटरिंग उपकरणों पर लगी सीलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
- 4.49** यदि उपभोक्ता या उसके किसी कर्मचारी/प्रतिनिधि के किसी कार्य, उपेक्षा अथवा गलती से उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरणों को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी लागत, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बताई जायेगी, का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी की मांग के 30 दिनों के भीतर यदि उपभोक्ता इसका भुगतान नहीं करता है तो इसे आपूर्ति के अनुबंध की शर्तों और निबन्धन का उल्लंघन माना जायेगा तथा समुचित सूचना के बाद आपूर्ति विच्छेदित कर दी जायेगी। हालांकि, उपभोक्ता इस संहिता की कडिका 10.19 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्संयोजन के पूर्व संदर्भित टैरिफ आदेश के अनुसार लंबित प्रभारों का भुगतान करने को बाध्य होगा।

समर्पित फीडर (संभरक) :-

- 4.50** संबंधित फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के इच्छुक उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी सुविधा के लिए अनुरोध कर सकेगा। संबंधित फीडर को सब-स्टेशन से उपभोक्ता के आपूर्ति बिन्दु में, यदि साध्य हो, विस्तारित किया जा सकेगा। ऐसे मामले में, उपभोक्ता, फीडर के लगाने एवं आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार के लागत के अतिरिक्त, इस फीडर के लिए सब-स्टेशन में प्रावधानित खण्ड (Bay) एवं सभी सुरक्षा स्वीचगीयर एवं इसके उपकरणों की लागत भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। यदि उपभोक्ता, स्वयं का फीडर लगाने का कार्य निष्पादित करने की अधिमानता रखता है तो उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को पर्यवेक्षण प्रभार भुगतान करने के पश्चात “अ” श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के माध्यम से कार्य निष्पादित करेगा। ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में संबंधित फीडर लगाने के गुणदोष के आधार पर संभाव्यता की जांच करेगा। ऐसे संबंधित फीडर, अनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होगी तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसका संधारण किया जायेगा। ऐसे फीडर का, उस उपभोक्ता, जिसने लाइन एवं खण्ड (Bay) का भुगतान किया है, की सहमति के बिना, उसके कार्य की तिथि से दो वर्ष की आरंभिक अवधि के भीतर किसी अन्य उपभोक्ता को आपूर्ति विस्तार हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा।

निम्नदाब संयोजन के लिए प्रकाश व पंखे का भार आकलन का आधार:-

- 4.51** एलटी कनेक्शनों के लिए लाइट और पंखे के भार का निर्धारण:

(ए) भवन/भवनों के समूह या बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स के भार के निर्धारण के लिए, निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया जायेगा:-

(i) आवासीय उपयोग

(ए) प्रत्येक 250 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए-	
(i) नगर निगम	1.00 कि.वा.
(ii) नगरपालिका	0.75 कि.वा.
(बी) प्रत्येक 400 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए-	
(i) नगर पंचायत / ग्राम पंचायत	0.50 कि.वा.
(सी) शासन की किसी योजना के अंतर्गत निर्मित किये जा रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास, प्रत्येक 400 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए-	0.50 कि.वा.

(ii) गैर-आवासीय उपयोग

(ए) प्रत्येक 200 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए-	
(i) नगर निगम	1.00 कि.वा.
(ii) नगरपालिका	0.75 कि.वा.
(iii) नगर पंचायत / ग्राम पंचायत	0.50 कि.वा.
(बी) शेड/भंडारगृह/विद्यालय/धर्मशाला/भाण्डारगार के लिए, प्रत्येक 1000 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए-	1.00 कि.वा.

(बी) हाउसिंग कालोनी में आवासीय भूखण्ड एवं गैर आवासीय भूखण्ड के भार के निर्धारण के लिए, निम्नलिखित मानदण्ड अपनाया जायेगा:-

(i) आवासीय भूखण्डो हेतु

(ए) प्रत्येक 300 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए-	
(i) नगर निगम	1.00 कि.वा.
(ii) नगरपालिका	0.75 कि.वा.

(बी) प्रत्येक 500 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए—	
(i) नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत	0.50 कि.वा.

(ii) गैर-आवासीय भूखण्डो हेतु

(ए) प्रत्येक 200 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिए	
(i) नगर निगम	1.00 कि.वा.
(ii) नगरपालिका	0.75 कि.वा.
(iii) नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत	0.50 कि.वा.

टीप:-

- (i) भार के निर्धारण के लिये उपरोक्त मानदण्ड, लागू नहीं होगा जहां उपभोक्ता, मांग आधारित टेरिफ कनेक्शन के लिए आवेदन करता हो।
- (ii) भार का निर्धारण, हाउसिंग कालोनी/बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स के लिए सक्षम प्रधिकारी द्वारा अनुमोदित योजना (प्लान) के अनुसार किया जायेगा।
- (iii) सामान्य सुविधाओं जैसे लिफ्ट, वाटर पम्प, स्ट्रीट लाईट आदि का भार, विकासकर्ता/भवन निर्माता/सोसाइटी/उपभोक्ता द्वारा विनिश्चित अनुसार विचारणीय होगा।
- (iv) भार के प्राक्कलन के लिए उपरोक्त प्रक्रिया, भार के निर्धारण में अनुरूपता लाने के प्रयोजन के लिए तथा अधोसंरचना व्यवस्थित करने के लिए है। तथापि, सुरक्षानिधि आदि, का समाधान, उपभोक्ता एवं वैयक्तिक उपभोक्ता/बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स एवं हाउसिंग कालोनी द्वारा अनुरोध अनुसार वास्तविक भार के आधार पर किया जायेगा।
- (v) भार के संगणना के प्रयोजन के लिए, आवासीय बहु-उपभोक्ता काम्पलेक्स की दशा में वैयक्तिक उपभोक्ता के निर्मित क्षेत्रफल को लिया जायेगा, जबकि गैर आवासीय बहु-उपभोक्ता काम्पलेक्स की दशा में काम्पलेक्स के पूरे निर्मित क्षेत्रफल विचारणीय होंगे। तथापि, आवेदक, अपने वास्तविक आवश्यकता के आधार पर संगणित भार से अधिक के लिए आवेदन कर सकेगा तथा ऐसे प्रकरणों में अधोसंरचना, अध्यपेक्षित भार के लिए विकसित करनी होगी।
- (vi) ³[विद्युतिकृत बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स/हाउसिंग कालोनी के पूर्ण / आंशिक हस्तांतरण के पश्चात, यदि वैयक्तिक आवेदक (जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी आदि) निर्धारित भार या संगणित भार से अधिक के लिए आवेदन करता है तो आवेदक से संबंधित भार के लिए विनियम 4.3 के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।
परंतु यह कि वैयक्तिक आवेदक (जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी आदि), वैयक्तिक कनेक्शन के समय पूर्व में निर्धारित भार या संगणित भार पर पृथक से कोई आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान नहीं करेगा।]³
- (vii) स्वामी/भवन निर्माता/विकासकर्ता, चरणबद्ध रीति में परियोजना के बाह्य विद्युतिकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार, उस चरण के निर्धारित/आवेदित भार, जो भी उच्चतर हो, पर लागू होंगे। तथापि, अपेक्षित सब-स्टेशन के निर्माण या अन्यथा के लिए भूमि, पूरे अनुमोदित प्लान के आधार पर निर्धारित किये जाने चाहिए तथा भूमि, प्रथम चरण के विद्युतिकरण के पूर्व लिया जायेगा।

4.52 बहु-उपभोक्ता काम्पलेक्स एवं हाउसिंग कालोनी को आपूर्ति-विशेष शर्तें :

- (i) ³[भवन/भवनों के समूह, जो सामान्यतः इस संहिता के विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित, ⁵150 किलोवाट⁵ या अधिक के कुल भार के लिए एक या एक से अधिक निम्न दाब कनेक्शनों की अपेक्षा करते हैं, को विद्युत आपूर्ति के प्रयोजन के लिए बहु-उपभोक्ता काम्पलेक्स के रूप में समझे जायेंगे। बहु-उपभोक्ता काम्पलेक्स में आवासीय, गैर आवासीय एवं वाणिज्यिक काम्पलेक्स, हाउसिंग कालोनी, आफिस काम्पलेक्स, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल होंगे।]³
- (ii) बहु-उपभोक्ता काम्पलेक्स हेतु आपूर्ति की व्यवस्था, पर्याप्त क्षमता, किन्तु जो आवेदक द्वारा उपबंधित स्थान पर 100 कि.वो.ए. की क्षमता से कम न हो, के पृथक वितरण ट्रांसफार्मर के माध्यम से किया जायेगा। वितरण ट्रांसफार्मर की उच्चतर क्षमता की दशा में, ऐसी क्षमता का होगा जो सामान्यतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयोग किया जाता हो।
- (iii) ³[बाह्य विद्युतीकरण कार्य जैसे कि 11 के.वी. लाइन का विस्तारीकरण, वितरण ट्रांसफार्मर उप-स्थानक (वितरण ट्रांसफार्मर को छोड़कर) तथा कॉलोनी के दायरे में निम्न दाब लाइन / तार बिछाना, विकासकर्ता / निर्माणकर्ता / आवासीय समिति / उपभोक्ता समूह / उपभोक्ता जो बाह्य विद्युतीकरण हेतु आवेदन करता है अपनी स्वयं की लागत पर करवाएगा। उपरोक्त विस्तार कार्य, प्राक्कलित लागत का भुगतान पर्यवेक्षण प्रभागों सहित करके, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा भी निष्पादित करवाए जा सकते हैं। वितरण ट्रांसफार्मर, पैकेज टाईप उप-स्थानकों के मामलों को छोड़कर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित किये जाएंगे। वितरण ट्रांसफार्मर की लागत का भुगतान कॉलोनाईजर के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा जो बहु-उपभोक्ता परिसर / आवासीय कॉलोनी की आवश्यकता के आधार पर ट्रांसफार्मरों की स्थापना करेगा।]³
- (iv) यदि 33 कि.वो. या 11 कि.वो. अतिरिक्त खण्ड (Bay), यथास्थिति, विद्यमान/नवीन प्रस्तावित 33/11 कि.वो. या 132/33 कि.वो. एस/एस में अपेक्षित हो, तो सहबद्ध उपकरणों सहित अतिरिक्त खण्ड (Bay) की लागत, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जायेगा।
- (v) यदि आवेदक, ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन अन्तर्वास में निर्माण करना चाहता है तो आवेदक, ऐसा व्यवस्था कर सकता है कि ट्रांसफार्मर, ऊर्जापूर्ण होते हुए, शुष्क प्रकार का हो तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार सभी सुरक्षा उपाय किया जाना चाहिए तथा अपेक्षित अनुसार अनुपालन किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों में, अन्तर्वास ट्रांसफार्मर के एचव्ही टरमिनल के लिये अनुज्ञप्तिधारी के ओव्हरहेड लाईन को संयोजित करने हेतु अपेक्षित केबल, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसी सभी प्रकरणों में, आवेदक, अत्यावश्यकताओं की पूर्ति के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी को अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करायेगा, जिसमें से प्रत्येक विभिन्न प्रकार/क्षमता के संस्थापित ट्रांसफार्मर होंगे।
- (vi) यदि आवेदक, सब-स्टेशन या वितरण ट्रांसफार्मर से परे कालोनी के भीतर भूमिगत केबल के माध्यम से 11 कि. वो. तथा/या एल.टी. लाईन बिछाना चाहता है तो इस शर्त के अध्वधीन ऐसा करने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा कि सम्बंधित भारतीय मानको का अनुपालन करे। आवेदक द्वारा संस्थापित कोई भी वितरण ट्रांसफार्मर ऐसी क्षमता का होना चाहिए, जो सामान्यतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रयुक्त हो तथा इसकी सम्पूर्ण लागत आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
- (vii) ³[यदि विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित भार 3000 कि.वा. से अधिक है किन्तु 5550 कि.वा. से अधिक नहीं है तो आवेदक परियोजना क्षेत्र के परिसर के भीतर अथवा परिसर से जुड़ा हुआ, आवश्यक भू-खण्ड जो 40*30 मीटर से कम न हो और यदि भार

5550 कि.वा. से अधिक एवं 10,000 कि.वा. से कम हो तो भू-खण्ड जो 50X40 मीटर से कम न हो, अपने स्वयं के लागत पर अनुज्ञप्तिधारी को 33/11 कि.वो. सब-स्टेशन के निर्माण के लिए रुपये 1/- के सांकेतिक प्रीमियम में उपलब्ध करायेगा। सब-स्टेशन की अवस्थिति आवेदक की सहमति से क्षेत्र के प्रभारी अभियंता द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

परंतु यह कि, यदि आवेदक द्वारा कम भूमि / कक्ष मुहैया करवाया जाता है जहाँ सिर्फ जी.आई.एस. उप-स्थानक / सघनित वितरण ट्रांसफॉर्मर केंद्र ही बैठाया जा सकता है, तब पारम्परिक एवं जी.आई.एस. उप-स्थानक जिसमें सहायक यंत्र शामिल हैं, की अंतर की लागत पूर्णतः विकासकर्ता / निर्माणकर्ता / आवेदक के द्वारा वहन की जाएगी तथा इसका कोई पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा। यह रख-रखाव, अग्नि तथा अन्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु सुगम प्रवेश के अध्वधीन होगा।³

- (viii) आवेदक, आयोग द्वारा अनुमोदित विविध एवं सामान्य प्रभारों के अनुसार आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार भुगतान करेगा।
- (ix) भार के अतिरिक्त निर्माण या अतिरिक्त अपेक्षाओं के कारण बहु-उपभोक्ता काम्प्लेक्स या हाऊसिंग कालोनी के संवर्गों के अन्तर्गत आने वाले भवन/भवनों का समूह, ऐसे मामले में अनुज्ञप्तिधारी सभी चरणों (विद्यमान एवं प्रस्तावित) सहित ऐसे बहु-उपभोक्ता काम्प्लेक्स/हाऊसिंग कालोनी के कुल भार पर विचार करते हुए आवेदन का निराकरण करेगा, जैसा कि उपरोक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट हो।
- (x) यदि बहु-उपभोक्ता काम्प्लेक्स एवं हाऊसिंग कालोनी के लिए, निर्धारित भार, विनियम 4.51 के अनुसार 10,000 कि.वा. से अधिक है तो ऐसे काम्प्लेक्स/कालोनी को विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिरूप (मॉडलिटीज) का विनिश्चय, अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध के आधार पर प्रकरण के अनुसार आयोग द्वारा किया जायेगा।²

4.53 अपूर्ण विकसित कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति – विशेष प्रावधान।

³[नगर निगम/ नगर परिषद्/नगर पंचायत के द्वारा चिन्हित की गयी अथवा प्रमाणित अर्द्धविकसित / अवैध घोषित कॉलोनियां

ऐसे कई मामले हैं जहाँ किसी विकासकर्ता / निर्माणकर्ता या विकासकर्ताओं / निर्माणकर्ताओं के समूह द्वारा भू खंडों या भवनों का अंशतः अथवा पूर्णतः विकास और निर्माण किया गया है, परन्तु उसके लिये, राज्य शासन / स्थानीय निकायों / सक्षम प्राधिकारियों से समुचित विधियों और नियमों के अधीन आवश्यक अनुमति/सहमति नहीं ली गयी है और लाइन विस्तार कार्य प्रारंभ या पूर्ण नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में सामान्यतः भू-खंडों / भवनों का क्रेता व्यक्ति विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दे सकता है। ऐसे व्यक्तिगत उपभोक्ता को, बाह्य विद्युतीकरण के कुछ व्ययों को वहन करने हेतु निश्चित लागत के भुगतान के बाद, विद्युत संयोजन दिया जा सकता है।

ऐसे इलाकों के विद्युतीकरण हेतु अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

- i. ऐसे इलाकों के उपभोक्ता(ओं) के आवेदन(नों) की प्राप्ति होने पर अनुज्ञप्तिधारी यह शिनाख्त / सुनिश्चित करेगा कि वह इलाका अर्द्धविकसित / अवैध घोषित कॉलोनी है जैसा कि नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पंचायत या स्थानीय निकायों के द्वारा शिनाख्त या प्रमाणित किया गया है।
- ii. तदुपरांत अनुज्ञप्तिधारी, प्रवृत्त(लागू) प्रदाय संहिता के आधार पर, संयोजित भार एवं विद्युतीकरण की प्राक्कलित लागत का निर्धारण करेगा।
- iii. उपरोक्त प्राक्कलन पर आधारित विद्युतीकरण की लागत प्रति किलोवाट (बाह्य विद्युतीकरण या 33 के.वी. या 11 के.वी. लाइन का विस्तारीकरण, कॉलोनी के दायरे के भीतर / बाहर

ट्रांसफॉर्मर्स, जो भी लागू हों), अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वृहद प्रसार हेतु समाचार पत्रों में घोषित तथा प्रकाशित की जाएगी। विद्युतीकरण के वास्ते उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले प्रभार, 5000 रुपये प्रति किलोवाट से अधिक नहीं होंगे।

- iv. ऐसी कॉलोनी में विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ करने हेतु उपरोक्त पैरा ii के तहत निर्धारित प्राक्कलित लागत का न्यूनतम 25% जमा कर दिया जाना चाहिये। यदि यह 25% उपभोक्ता(ओं) से उगाहे गये प्रभारों से हासिल नहीं हुए हों, तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदक(कों) को, एम.पी. / एम.एल.ए. / भारत सरकार / छ.ग. सरकार / प्रशाद निधि / पंचायत निधि / जिला खनिज फंड(डी.एम.एफ.) या अन्य किसी योजना से, 25% पूर्ण करने हेतु, धन की व्यवस्था करवाने की ताकीद कर सकता है। बकाया 75% का योगदान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, पूंजी निवेश योजना के तहत सामान्य विकास निधि (एन.डी. एफ.) से, किया जाएगा।
- v. जिस इलाके के लिये उपभोक्ताओं के द्वारा भुगतान किया गया हो उस इलाके का कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभागीय कार्य के बतौर किया जाएगा।
- vi. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं के कार्यों के लिये होना चाहिये, जिसकी निगरानी मुख्य अभियंता से अन्यून(नॉट बिलो) स्तर के अधिकारी के द्वारा की जाएगी।
- vii. यदि उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त धनराशि उस वित्तीय वर्ष के दौरान जमा नहीं कराई जाती जिस में प्राक्कलन स्वीकृत हुआ हो, तब उपभोक्ता द्वारा 7% प्रतिवर्ष या उसका भाग, आवेदन देते समय अतिरिक्त जमा करवाना होगा।
- viii. उक्त कॉलोनी में आगामी संयोजन हेतु उपभोक्ताओं को रुपये 5000/- प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा।³

4.54 निम्नदाब कृषि/सिंचाई पंप को विद्युत आपूर्ति – विशेष शर्तें

- (i) किसी पंजीकृत सहकारी समिति या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मान्य किसी किसानों के समूह को किसी एक बिन्दु पर कृषि/सिंचाई पम्प सेटों के लिए विद्युत प्रदाय की जावेगी।
- (ii) आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर खर्च की वह सीमा निर्धारित की जावेगी, जहाँ तक कृषि/सिंचाई पम्प सेटों को विद्युत की आपूर्ति पर होने वाले व्यय को अनुज्ञप्तिधारी वहन करेगा। आयोग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक होने वाले व्यय को उपभोक्ता वहन करेगा।
- (iii) यदि लाइन का विस्तार आवश्यक पाया जावे तो निरीक्षण से 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता को यह सूचना दी जावेगी कि अनुज्ञप्तिधारी अपनी निधि से कार्य प्रारंभ करेगा अथवा अतिरिक्त लागत की राशि उपभोक्ता द्वारा जमा कराये जाने के बाद कार्य प्रारंभ होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा अतिरिक्त राशि जमा कराया जाना आवश्यक हो तो उसे पत्र द्वारा वह निश्चित राशि सूचित की जावेगी जो उसके द्वारा जमा की जानी हो।
- (iv) यदि राज्य शासन कृषि पम्पों को विद्युत आपूर्ति हेतु लगने वाली अतिरिक्त लागत को पूर्णतः या अंशतः वहन करना चाहे तो ऐसी सबसिडी की राशि अनुज्ञप्तिधारी के पास अग्रिम में जमा करानी होगी। अनुज्ञप्तिधारी भी सिंचाई पम्पों को विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक वितरण लाइनों का विस्तार और/या वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य राज्य या केन्द्र शासन या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं की किसी योजना के अधीन उपलब्ध वित्तीय सहायता के आधार पर कार्य करने की सम्भावनायें तलाश करेगा।

4.55 सार्वजनिक सड़क बत्तियों को विद्युत आपूर्ति – विशेष शर्तें

- (i) सार्वजनिक सड़क बत्तियों को विद्युत आपूर्ति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 1) में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय या शासकीय विभाग या सार्वजनिक सड़क बत्तियों के रख-रखाव हेतु शासन द्वारा उत्तरदायी बनाये गये किसी अन्य संगठन (जिसे सार्वजनिक सड़क बत्तियों के संदर्भ में आगे सामान्यतः “स्थानीय निकाय” कहा जायेगा) के द्वारा दिया जायेगा।
- (ii) सड़क बत्तियों के आवेदन के साथ स्थानीय निकाय का संकल्प एवं वहां के विद्यमान या नवीन खंभों की संख्या जहां सड़क बत्तियों की आवश्यकता है दर्शाते हुये नक्शा प्रस्तुत करना होगा। यदि स्थानीय निकाय पर विद्युत का बकाया है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी नई सड़क बत्ती कनेक्शन या अतिरिक्त सड़क बत्ती प्रदान नहीं करेगा।
- (iii) इस संहिता की कंडिका 4.3 के अनुसार स्थानीय निकाय सार्वजनिक सड़क बत्ती प्रदाय के खर्च वहन करेंगे।
- (iv) अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र में आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर लगाने वाले लाइन विस्तार कार्य के खर्च की लिखित जानकारी देंगे। स्थानीय निकाय द्वारा आवश्यक राशि जमा करने व अनुबंध करने के उपरांत लाइन विस्तार कार्य किया जायेगा।
- (v) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मीटर लगाने हेतु मौसम से अप्रभावित उपयुक्त डबल कम्पार्टमेंट मीटर बाक्स लगाया जायेगा।
- (vi) ²[सड़क बत्ती, फिटिंग, बल्ब, टाइमर आदि, उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति किये जायेंगे तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर प्रतिस्थापन किये जायेंगे। सूर्यास्त के पन्द्रह मिनट पूर्व स्ट्रीटलाइट चालू तथा सूर्योदय के पन्द्रह मिनट पश्चात् स्ट्रीट लाईट बंद के आधार पर टाइमर को सेट किये जायेंगे। उपभोक्ता, स्ट्रीट लाईट के चालू करने बंद करने/पोल पर बल्ब/टाइमर के प्रतिस्थापन का कार्य करेंगे, विशेष स्ट्रीट लाईट अवलम्ब का संधारण कार्य जैसे स्थानीय निकाय द्वारा निष्पादित ट्यूबलर पोल, हाई मास्ट लाईट के साथ भूमिगत तारों से सम्बंधित कार्य केवल स्थानीय निकाय द्वारा किये जायेंगे।]²
- (vii) शहरी क्षेत्रों में नए सड़क बत्ती का कार्य उपयुक्त टाइमर के साथ करना वांछनीय होगा।

⁴4.55(ए) प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को आपूर्ति :

- (i) प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ता में, छत्तीसगढ़ राज्य में वितरण लाइसेंसधारियों के आपूर्ति क्षेत्र में कृषि उपभोक्ताओं के अलावा सभी श्रेणियों के उपभोक्ता शामिल होंगे।
- (ii) वितरण लाइसेंसधारी, उपरोक्त '4.55(क)(i)' के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति प्रदान करेगा, बशर्ते कि मूल संहिता के प्रासंगिक प्रावधान और उसके बाद के संशोधन के अनुसार, उस क्षेत्र में प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रदान करने की संभाव्यता हो।
- (iii) अधिनियम की धारा 56 के प्रावधान, जो पोस्ट-पेमेंट तंत्र के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति पर लागू होते हैं, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से आपूर्ति पर लागू नहीं होंगे।

- (iv) पोस्ट-पेड से प्री-पेड में स्थानांतरण और प्रीपेड पर नवीन कनेक्शन, लाइसेंसधारी द्वारा तय की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार होगा। इसमें प्री-पेड स्मार्ट मीटर परियोजना के लिए आवश्यक विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल होंगी, जिसमें पुराने मीटरों को हटाने, स्टोर में वापस लौटाने, देयक (बिल) जारी करने आदि से संबंधित सभी पहलू शामिल होंगे।

लाइसेंसधारी, इस संहिता की अधिसूचना के एक माह के भीतर आयोग को एसओपी प्रस्तुत करेगा।⁴

छोटे/गृह उद्योगों को विद्युत आपूर्ति – विशेष प्रावधान

4.56 ²[विलोपित।]²

संयोजनों के समूह के लिए एक बिन्दु पर विद्युत प्रदाय

- 4.57** आवासीय कॉलोनी एवं वाणिज्यिक संस्थानों में निम्नदाब उपभोक्ताओं के समूह को व्यक्तिगत संयोजनों के स्थान पर उच्चदाब संयोजन को प्रोत्साहित करने हेतु आयोग ऐसे उच्चदाब उपभोक्ताओं को लगाने वाले टैरिफ में कुछ प्रतिषत में छूट देने पर विचार कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी 11/0.4 के.व्ही. ट्रांसफार्मर तथा संबंधित उच्च व निम्नदाब सुरक्षा उपकरण स्थापित कर आयोग द्वारा अनुमोदित मासिक शुल्क बिल करते हुए ट्रांसफार्मर का संधारण कार्य कर सकता है। इससे उपभोक्ता को ट्रांसफार्मर सब-स्टेशन लगाने हेतु प्रारम्भिक पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा ट्रांसफार्मर के नियमित संधारण से भी मुक्ति मिलेगी।

इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी उपयुक्त अध्ययन तथा मूल्यांकन के पश्चात आयोग के समक्ष याचिका के माध्यम से आ सकता है जिसे आयोग द्वारा आवश्यक नियमन प्रक्रिया पश्चात अनुमोदित किया जायेगा।

- 4.58** ⁴[अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की कार्यवाही निम्नलिखित

सारणी में दर्शित नियत अवधि के भीतर की जाएगी। इस संहिता के उद्देश्य वास्ते शहरी क्षेत्र का तात्पर्य है, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य का तात्पर्य है, ग्रामीण क्षेत्र :-

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा (भुगतान की समयावधि को छोड़कर)
1 निम्नदाब कनेक्शन (ए) सामान्य कनेक्शन (सभी श्रेणी) (जहां विद्यमान डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में अतिरिक्त/क्षमता उन्नयन/ अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं है।)	‘ए’ संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 7 (सात) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 15 (पंद्रह) दिवस
(बी) सभी श्रेणी (i) जहां पॉवर सप्लाय हेतु डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन सहित डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में विस्तार आवश्यक है।	‘ए’ संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 90 (नब्बे) दिवस

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा (भुगतान की समयावधि को छोड़कर)
2 निम्नदाब कृषि कनेक्शन	
(i) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुँच उपलब्ध हो, के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 90 दिवस में
(ii) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुँच उपलब्ध नहीं हो, के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 180 दिवस में
3 उच्चदाब (एच.टी.) कनेक्शन	
(ए) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त फिजिबिलिटी की संसूचना	07 (सात) कार्य दिवस
(बी) आकलित शुल्क के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी करना	30 (तीस) दिवस
(सी) भुगतान एवं एग्रीमेन्ट के निष्पादन उपरान्त कार्य की पूर्णता के लिए समय	90 (नब्बे) दिवस
(डी)	
(i) लाइसेंसी द्वारा मीटर एवं मीटर उपस्कर की स्थापना कार्य की पूर्णता उपरान्त तीन माह का नोटिस जारी करना	7 (सात) दिवस
(ii) लाइसेंसी द्वारा विस्तार कार्य पूर्णता उपरान्त भार की विमुक्ति तथा विद्युत निरीक्षक से अनुमति हेतु आवेदन जमा करना	7 (सात) दिवस
4 अति उच्चदाब (ई.एच.टी.) कनेक्शन	
(ए) आवेदन पत्र, संयोजकता सहमति सहित, यदि जरूरी हो, प्राप्त होने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना	30 दिवस
(बी) साध्यता सूचना जारी करने के बाद प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना	60 दिन
(सी) भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने की अवधि	180 दिन
(डी) लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर आवेदक द्वारा आवश्यक प्रभारों का भुगतान करने, अनुबंध करने, मुख्य विद्युत निरीक्षक से अनुमति की प्राप्ति के अध्यधीन, कनेक्शन प्रदान करने की अवधि	30 दिन

J⁴**4.59 निम्नदाब और उच्च/अति उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत आपूर्ति**

- (i) ²[समय निर्भर प्रयोजन जैसे निर्माण गतिविधि, प्रदर्शन, व्यापार मेला, विवाह आदि, जो अस्थायी स्वरूप का है, के लिए विद्युत आपूर्ति की अपेक्षा करने वाले कोई भी व्यक्ति,

विहित प्ररूप (परिशिष्ट-1 या 2) में अस्थाई बिजली आपूर्ति हेतु आवेदन, इस संहिता के विनियम 4.16 एवं 4.17 में विहित दस्तावेज संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे। आवेदक, यथास्थिति, परिसर के कब्जे का प्रमाण या परिसर के स्वामी से एन.ओ.सी. भी प्रस्तुत करेगा। यदि आपूर्ति, स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व के स्थान में अपेक्षित है तो स्थानीय प्राधिकारी से एन.ओ.सी. अपेक्षित है। अस्थाई आपूर्ति, विस्तार के समय तकनीकी रूप से साध्य के आधार पर विस्तार के अध्यक्षीन रहते हुए अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदाय किया जायेगा।²

- (ii) अस्थाई संयोजन का दिया जाना कोई अधिकार का विषय नहीं है। यह तभी दिया जा सकता है जब तकनीकी दृष्टि से साध्य हो तथा सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करता हो।
- (iii) उन मामलों में जहाँ अस्थायी आपूर्ति निर्माण उद्देश्यों के लिए अपेक्षित हो, तथा जहाँ बाद में स्थायी कनेक्शन आवश्यक हो वहां अस्थायी आपूर्ति की स्वीकृति देने पूर्व स्थायी संयोजन की साध्यता परीक्षित की जाएगी। अस्थायी संयोजन प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक को बाद में लगने वाले स्थायी संयोजन की साध्यता के बारे में बताया जावेगा।
- (iv) अस्थाई संयोजन की स्वीकृति आवेदक के पक्ष में स्थाई संयोजन के दावे के लिए अधिकार निर्मित नहीं करेगा बल्कि अधिनियम तथा नियमन के प्रावधानों से शासित होगा।
- (v) यदि इसमें विस्तार कार्य की आवश्यकता हो और इसे आवेदक के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लाइन निर्माण व डिस्मेंटल हेतु देय राशि, आकलित मासिक खपत के बिल तथा मीटर, सामान व उपकरण के मासिक किराया आदि की राशि आवेदक को बतलाया जायेगा।
यह कि उपभोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि विद्युत आपूर्ति विच्छेद होने के पश्चात वह अस्थाई संयोजन में उपयोग किये गये सामान रख सकता है या प्रचलित नियम के अनुसार डिस्मेंटल सामान (जो अच्छी स्थिति में स्टोर में वापस होता है) का डेप्रीषिएटेड दर पर समायोजन (क्रेडिट) पा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता की कंडिका 6.3 के अनुसार लाइन या उपकरण हेतु सुरक्षा निधि ले सकता है।
- (vi) अस्थाई संयोजन प्रदान करने के पूर्व 3 माह या उस अवधि जिसके लिये अस्थाई संयोजन मांगा गया है जो भी कम हो के आकलित बिल की राशि जमा की जायेगी, जो कि समय-समय पर पुनः पूर्ति की जावेगी तथा विद्युत विच्छेदन के पश्चात अंतिम बिल में समायोजित किया जायेगा। यदि उपरोक्त समय पर बिल का भुगतान नहीं किया जाता तथा अनुज्ञप्तिधारी के पास उपलब्ध अग्रिम राशि शेष अवधि की आकलित बिल की राशि से कम होता है तो विद्युत विच्छेदन किया जा सकता है।
- (vii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान करने व अन्य औपचारिकताओं का पालन करने पर अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रकरणों में जहां लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न हो 3 कार्य दिवस के भीतर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करेगा। जहां वितरण प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता है वहां निम्नदाब उपभोक्ता के लिये 30 दिन, उच्चदाब व अति उच्चदाब उपभोक्ता के लिए 60 दिन के भीतर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करेगा।
- (viii) उपभोक्ता वितरण में से प्रदाय बिन्दु तक के लाइन को व्यवस्थित रखने हेतु जिम्मेदार होगा।
- (ix) अस्थाई कनेक्शन की अवधि में मीटर की नियमित रीडिंग ली जायें ताकि यह सुनिश्चित रहे कि वास्तविक खपत की राशि अग्रिम प्राप्त राशि से अधिक न हो। अस्थाई आपूर्ति के लिये माह का तात्पर्य संयोजन तिथि से 30 दिवस या उसका भाग है।

- (x) ²[अस्थाई आपूर्ति की कालावधि के विस्तार के लिए, उपभोक्ता अस्थाई आपूर्ति की समाप्ति की तिथि से कम से कम सात कार्य दिवस के पूर्व लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करेगा तथा उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई सुरक्षानिधि को, देय बकाया, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात् अपेक्षित अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, को निर्मुक्त करने के पश्चात् विस्तार के आगामी अवधि के लिए सुरक्षानिधि के रूप में समझा जायेगा।]²
- (xi) अस्थाई आपूर्ति की अवधि समाप्त होने तथा आपूर्ति के विच्छेदन के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी अंतिम बिल तैयार करेगा तथा आपूर्ति के विच्छेदन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा शेष वापसी योग्य राशि यदि कोई हो तो आपूर्ति विच्छेदन के 90 दिवस या मूल भुगतान रसीद जमा करने या मूल भुगतान रसीद गुम हो जाने की स्थिति में क्षतिपूरक प्रतिज्ञा पत्र/घोषणा पत्र जमा करने पर 60 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो वापस करेगा। भुगतान के लिये निर्धारित दिवस के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी वापसी योग्य देय राशि पर 1 प्रतिषत प्रतिमाह या उसके भाग पर की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। उपभोक्ता आवेदन पत्र में राशि की वापसी का माध्यम दर्शित कर सकता है।

अपवाद

- 4.60** इस अध्याय में उल्लेखित कोई भी बात अनुज्ञप्तिधारी को किसी परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु बाध्य नहीं कर सकती यदि इस संहिता की कंडिका 13.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियां अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करने से रोक रही हो।
- 4.61** यह कि यदि अस्थाई आपूर्ति ऐसे परिसर/स्थल में लेना हो जहां 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना हो तो आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट से अनापत्ति प्रमाण पत्र व विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्रस्तुत करना होगा।
- 4.62** यह कि संयोजन ऊर्जीकृत करने के पश्चात् यदि कोई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा वापस लिया जाता हो तो विद्युत आपूर्ति अविलंब विच्छेदित कर दिया जायेगा और तभी प्रारम्भ किया जायेगा जब अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4.63** यदि परिसर पर कोई राशि बकाया है तो तब तक अस्थाई आपूर्ति प्रदान नहीं किया जायेगा जब तक उपभोक्ता द्वारा पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता।

अध्याय 5 : विद्युत आपूर्ति के सामान्य नियम

आपूर्ति का बिन्दु

5.1 जब तक कि किसी और पर सहमति न हो, आपूर्ति के प्रारंभ का बिन्दु उपभोक्ता द्वारा स्थापित स्विच गियर के आने वाले टर्मिनल (इनकमिंग टर्मिनल) पर होगा:

(ए) निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कट आउट; एवं

(बी) उच्च अथवा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में कंट्रोल स्विचगियर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता के परिसर में उनकी आपसी सहमति से स्थापित किया जावेगा ।

5.2 प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संयोजित भार में 3 अश्वशक्ति या अधिक के इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर उपयुक्त क्षमता का निम्नदाब शंट कैपेसिटर समस्त मोटरों के टर्मिनलों पर लगाने की व्यवस्था करेंगे। 1500 आघूर्ण प्रति मिनट (आर.पी.एम.) के इन्डक्शन मोटर के टर्मिनल पर सीधे लगाए जाने वाले कैपेसिटर का अनुशंसित मान सामान्य मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट 11 में दर्शित है। तथापि उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए कैपेसिटर, मोटर की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है, ताकि आयोग द्वारा समय-समय पर टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट औसत मासिक पावर फेक्टर सुनिश्चित हो सके। जहाँ ऐसे मीटर लगे हैं जो पावर फेक्टर अंकित करते हैं, मीटर द्वारा अंकित पावर फेक्टर ही मासिक पावर फेक्टर होगा, भले ही किसी भी क्षमता का कैपेसिटर लगा हो।

परन्तु यह कि जहाँ लगाये गये मीटर, भार के औसत मासिक पावर फेक्टर अंकित नहीं कर सकते वहाँ परिशिष्ट 11 में संबंधित मोटर की क्षमता के समक्ष दर्शित क्षमता वाले, कार्यशील दशा में पाये गये, कैपेसिटर की क्षमता उपयुक्त मानी जायेगी।

उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी का उपकरण

5.3 उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को अपने स्वामित्व की आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायेगा तथा स्वयं के एवम् अन्य उपभोक्ताओं की सेवा हेतु अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से सीधे (डायरेक्ट) केबल या परोपरि लाइनों को लाने के लिये उचित सुविधा उपलब्ध करायेगा। इसके अलावा उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक स्विचगियर एवं उनके संयोजनों को लगाने हेतु तथा अपने परिसर में लगे केबल और टर्मिनल से अन्य उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने हेतु स्वीकृति देगा परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके मतानुसार इससे उपभोक्ता के विद्युत प्रदाय पर विपरीत प्रभाव नहीं होगा।

5.4 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर तथा उपकरणों के रख-रखाव के लिये जिम्मेदार होगा जिन से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति की जाती है।

आपूर्ति में अवरोध/फ्यूज उड़ना

5.5 यदि किसी समय अनुज्ञप्तिधारी की सर्विस लाइन का फ्यूज गलकर टूट जाते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिये। केवल अधिकृत कर्मचारी, जिनके पास अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया गया फोटो परिचय पत्र हो, को अनुज्ञप्तिधारी के कट आउट फ्यूज बदलने के लिये अनुमति होगी। उपभोक्ताओं को इन फ्यूजों को बदलने की अनुमति नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारी को अपने कर्मचारियों को उपभोक्ता की आंतरिक स्थापना में सुधार कार्य करने की अनुमति नहीं देना चाहिए।

5.6 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को सतत विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिये सभी उचित सावधानियाँ बरतेगा लेकिन कण्डिका 13.1 में उल्लेखित विशेष आकस्मिक परिस्थितियों के कारण हुये विद्युत

प्रदाय में व्यवधानों से उपभोक्ता या उसके संयंत्र व मशीनरी को पहुंचे नुकसान या हानि हेतु जिम्मेदार नहीं होगा ।

- 5.7 अनुज्ञप्तिधारी, अपनी आपूर्ति प्रणाली के संचालन से संबद्ध उद्देश्यों के लिये विद्युत आपूर्ति में ऐसी अवधि, जो कि आवश्यक हो और उपभोक्ता को कम से कम असुविधा हो के अस्थायी विच्छेदन का हकदार होगा बशर्ते इस संबंध में उपभोक्ता को उचित अग्रिम सूचना दिया गया हो ।

प्रदाय बिन्दु के पश्चात सुरक्षा प्रणाली:

- 5.8 सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा विद्युत आपूर्ति बिन्दु के बाद निम्नलिखित नियंत्रक स्थापित करना चाहिए ताकि वह सहज रूप से उपलब्ध रहे तथा उपभोक्ता की स्थापना के विद्युत प्रवाह को पूर्ण रूप से विच्छेदित करने हेतु शीघ्र क्रियान्वित हो सके। ऐसे उपकरण किसी पृथक सर्किट या यंत्र के नियंत्रण हेतु लगाए गये उपकरण के अतिरिक्त होंगे।
- ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो – फ्यूज सहित लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर
 - ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिनके ट्रांसफॉर्मर / यंत्रों की एकीकृत क्षमता 11 के.व्ही. आपूर्ति पर 1000 के.व्ही.ए. तक तथा 33 के.व्ही. आपूर्ति होने पर 2500 के.व्ही.ए. तक हो – फ्यूज सहित लिंक स्विच या सर्किट ब्रेकर
 - ऐसे उपभोक्ता द्वारा जिनके ट्रांसफॉर्मर/यंत्रों की एकीकृत क्षमता 11 के.व्ही. आपूर्ति की स्थिति में 1000 के.व्ही.ए. से अधिक व 33 के.व्ही. आपूर्ति में 2500 के.व्ही.ए. से अधिक हो – लिंक स्विच के साथ सर्किट ब्रेकर
 - उपभोक्ता को 33 के.व्ही. से अधिक के वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति में – उपयुक्त क्षमता का सर्किट ब्रेकर

पृथक ट्रांसफॉर्मर हेतु सुरक्षा प्रणाली

- 5.9 प्रत्येक पृथक ट्रांसफॉर्मर हेतु निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण होना चाहिए।

- 1000 के.व्ही.ए. व अधिक क्षमता के ट्रांसफॉर्मर हेतु प्रायमरी व सेकेंडरी दोनों ओर उपयुक्त क्षमता के सर्किट ब्रेकर।
- 1000 से कम क्षमता के ट्रांसफॉर्मर हेतु प्रायमरी व सेकेंडरी दोनों ओर फ्यूज सहित लिंक स्विच या उपयुक्त क्षमता का सर्किट ब्रेकर

यह कि ट्रांसफॉर्मर के प्रायमरी ओर का लिंक स्विच इतनी क्षमता का हो कि बंद (क्लोज) स्थिति में पूरा लोड करंट ले सके तथा नो लोड स्थिति में खोलते समय ट्रांसफॉर्मर का मेग्नेटाइजिंग करंट ले सके।

वितरण ट्रांसफॉर्मर सब-स्टेशन

- 5.10 सेंट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथोरिटी (टेक्नीकल स्टैंडर्ड फार कन्स्ट्रक्शन आफ इलेक्ट्रिकल प्लांट्स एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स) रेग्युलेशन 2010 (आगे सी.ई.ए. तकनीकी मानक विनियम 2010) के अनुसार वितरण ट्रांसफॉर्मर सब-स्टेशन के विवरण/पैरामीटर निम्नानुसार होंगे—

पैरामीटर	33 के.व्ही.	11 के.व्ही.	0.415 के.व्ही.
सामान्य प्रणाली वोल्टेज (के.व्ही.)	33	11	0.415

अधिकतम प्रणाली वोल्टेज (के.व्ही.)	36	12	0.450
प्रणाली भूयोजन (अर्थिंग)	पूर्णरूपेण भूयोजित	पूर्णरूपेण भूयोजित	पूर्णरूपेण भूयोजित
फ्रिक्वेंसी	50	50	50
लाइटनिंग इम्पल्स विथस्टैंण्ड वोल्टेज (के.व्ही.आर.एम.एस)	170	75	—
पावर फ्रिक्वेंसी विथस्टैंण्ड वोल्टेज (के.व्ही.आर.एम.एस)	70	28	3

- 5.11 वितरण ट्रांसफार्मर इंडोर या आउटडोर प्रकार का हो सकता है। जहां जगह की कमी हो या भूमिगत (अंडरग्राउंड) स्थापना को विद्युत प्रदाय करना हो, सब-स्टेशन भूमिगत हो सकता है। आवासीय या वाणिज्यिक भवन के भीतर शुष्क (ड्राई) प्रकार का ट्रांसफार्मर ही लगाना चाहिए। बाढ़ प्रभावी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बाढ़ के समय संभावित जल स्तर के ऊपर स्थापित करना चाहिए।
- 5.12 तेल भरे ट्रांसफार्मर में अधिकतम ऊर्जा हानि (लास) ब्यूरो आफ इनर्जी एफीषियन्सी (बी.ई.ई.) द्वारा कम से कम तीन स्टार श्रेणी (रेटिंग) के ट्रांसफार्मर हेतु निर्धारित हानि से अधिक नहीं होने चाहिए।

ट्रांसफार्मर लगाने हेतु ढांचा (स्ट्रक्चर)

- 5.13 ट्रांसफार्मर लगाने हेतु निम्नलिखित माउंटिंग व्यवस्था की जा सकती है—
- ट्रांसफार्मर के आकार, वजन तथा स्थल के अनुसार उसे एक पोल या दो पोल ढांचे पर या चबूतरा (पिल्लर) पर लगाया जाना चाहिए।
 - एक पोल पर माउंटिंग सिर्फ 25 के.व्ही.ए. तक के ट्रांसफार्मर हेतु उपयोग में लाया जाना चाहिए।
 - 25 के.व्ही.ए. से अधिक तथा 250 के.व्ही.ए. तक के ट्रांसफार्मर दो पोल ढांचे पर या चबूतरा पर लगाया जा सकता है। 250 के.व्ही.ए. से अधिक का ट्रांसफार्मर सिर्फ चबूतरा पर स्थापित करना चाहिए।

ट्रांसफार्मर की सुरक्षा

- 5.14 33/0.4 के.व्ही. के ट्रांसफार्मर के निम्नदाब की ओर हाई रचरिंग केपेसिटी कार्टरीज फ्यूज या मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर (एमसीसीबी) या मिनियेचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) या एयर ब्रेक स्विच लगाया जाना चाहिए। ऐसे ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर ड्राप आउट एक्सपल्शन टाईप फ्यूज या सर्किट ब्रेकर से सुरक्षित करना चाहिए।
- 5.15 100 के.व्ही.ए. व अधिक के 11/0.4 ट्रांसफार्मर के निम्नदाब की ओर उपयुक्त हाई रचरिंग केपेसिटी कार्टरीज फ्यूज या एमसीसीबी या एमसीबी या एयर ब्रेक स्विच लगाया जाना चाहिए। इस ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर ड्राप आउट एक्सपल्शन फ्यूज या सर्किट ब्रेकर से सुरक्षित करना चाहिए।
- 5.16 लाइटनिंग सर्ज (तड़ित विद्युत) को धरती की ओर जाने देने के लिए बाह्य प्रकार के सर्ज अरेस्टर 11 के.व्ही. के लिए 9 के.व्ही. क्षमता के, 22 के.व्ही. के लिए 20 के.व्ही. क्षमता तथा 33 के.व्ही. के लिए 30 के.व्ही. क्षमता के लगाने चाहिए।

ट्रांसफार्मर की अर्थिंग (भूयोजन)

5.17 ट्रांसफार्मर का भूयोजन निम्नानुसार होना चाहिए –

- (1) संबंधित भारतीय मानक (इंडियन स्टैंडर्ड) के अनुसरण में वितरण सब-स्टेशन में पाइप या छड़ से अर्थिंग करना चाहिए। 3 ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड, 3 अर्थिंग गड्ढे में लगाने चाहिए। जहां कहीं भी आवश्यक हो अर्थ रजिस्ट्रेस (भूमि प्रतिरोध) कम करने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रोड की व्यवस्था करनी चाहिए (आयोग के आदेश क्रमांक 01/Reg/20/2012/ 190, dated 21.05.2012 के अनुसार यथा संशोधित)।
- (2) भूयोजन निम्नानुसार करना चाहिए—
 - (ए) एक अर्थ इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज सर्ज अरेस्टर (लाइटनिंग अरेस्टर) से एक सीधे संयोजन से तथा यदि निम्न दाब सर्ज अरेस्टर लगाया गया हो तो एकअन्य सीधे संयोजन निम्नदाब सर्ज अरेस्टर से
 - (बी) अन्य बचे दो इलेक्ट्रोड में से प्रत्येक को—
 - (i) ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल से अलग कनेक्शन
 - (ii) ट्रांसफार्मर वाडी अर्थिंग से एक संयोजन तथा 33 के.व्ही. या 11 के.व्ही. एयर ब्रेक स्विच के हैंडल से तथा चैनल अर्थिंग से दूसरा संयोजन
 - (iii) पोल के अर्थिंग टर्मिनल से एक अलग संयोजन
- (3) ट्रांसफार्मर न्यूट्रल का भूयोजन गड्ढा सर्ज अरेस्टर के गड्ढे के सामने व अलग होना चाहिए।

ट्रांसफार्मर के लिए रिएक्टिव कम्पनसेशन

5.18 रिएक्टिव कम्पनसेशन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

- (1) जहां पावर फेक्टर कम हो वितरण ट्रांसफार्मर में उपयुक्त क्षमता का स्थिर या स्वचालित स्विच टाइप केपेसिटर लगाना चाहिए।
- (2) स्थिर केपेसिटर के प्रकरण में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केपेसिटर की क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि आफ पीक समय में अधिक (ओवर) कम्पनसेशन न हो सके।
- (3) जहां लोड बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तित होता है उपयुक्त डायनमिक (चलित) कम्पनसेशन स्विच केपेसिटर पर विचार करना चाहिए।

उच्चदाब उपभोक्ता के सुरक्षा उपकरण की सेटिंग

5.19 उपभोक्ता के संस्थान के सभी ट्रांसफार्मर, स्विचगियर विद्युत उपकरण तथा अन्य उपकरण जो सीधे अनुज्ञप्तिधारी के लाइन या फीडर से जुड़े हों अनुज्ञप्तिधारी के संतुष्टि अनुसार उपयुक्त विन्यास (डिजाइन) के होने चाहिए तदनुसार उपभोक्ता द्वारा संधारित होना चाहिए। उपभोक्ता के कंट्रोल गियर के फ्यूज, रिले सेटिंग तथा उसके सर्किट ब्रेकर की रचरिंग कपासिटी अनुज्ञप्तिधारी से अनुमोदित होने चाहिए। सर्किट ब्रेकर की रचरिंग केपेसिटी जहां सर्किट ब्रेकर लगाया जाना है के फाल्ट स्तर (लेवल) से कम से कम 20 प्रतिषत अधिक होने चाहिए ताकि भविष्य में बढ़ने वाले फाल्ट स्तर (लेवल) की आवश्यकता पूरी की जा सके।

उपकरण द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली को बाधित करना

5.20 यदि उपभोक्ता ऐसे उपकरण स्थापित करता है जो अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय पर बुरा प्रभाव डाल सकता है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को 24 घंटे की कारण बताते हुए नोटिस जारी कर विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के संतुष्टि अनुसार उपयुक्त सुधार कार्य करने पर विद्युत प्रदाय पुनः प्रारम्भ किया जायेगा।

विद्युत निरीक्षक से पूर्व अनुमति

- 5.21 इस संहिता की कंडिका 5.8 तथा 5.9 के प्रावधानों से प्रभावित हुए बिना उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के लिए आवश्यक है कि वे सामयिक कानून, नियम व विनियम के अनुसार सुरक्षा उपकरण या सर्किट ब्रेकर के उपयुक्तता तथा उसके ऊर्जीकरण हेतु विद्युत निरीक्षक से पूर्व अनुमति प्राप्त करें तथा संयोजन प्राप्त करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करें। आवश्यकता होने पर सभी उच्चदाब उपकरणों के निर्माता के परीक्षण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें।

अन्य सर्किट का स्पष्ट अंतर दर्शित करना

- 5.22 प्रत्येक जनरेटिंग स्टेशन, सबस्टेशन, जंकषन बाक्स या पिलर जिसमें कई सर्किट या उपकरण जो एक ही वोल्टेज या कई वोल्टेज पर क्रियान्वित किये जाने हो के मालिक स्थाई संकेतक व्यवस्था कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित सर्किट का एक दूसरे से स्पष्ट अंतर दृष्टिगोचर हो।

खतरा सूचना

- 5.23 250 वोल्टेज से अधिक के प्रत्येक संस्थान के मालिक स्पष्ट दिखाई पड़ने वाले उपयुक्त स्थान पर स्थाई रूप से हिन्दी और अंग्रेजी में खतरा सूचना पट प्रदर्शित करेंगे।

उपभोक्ता संस्थान के निरीक्षण व परीक्षण

- 5.24 निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वायरिंग या उपकरण को प्रणाली में जोड़ने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निरीक्षण कर अनुमति दिया जाना है तथा बिना अनुज्ञप्तिधारी की अनुमति के संयोजन प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 5.25 यदि उपभोक्ता की स्थापना संयोजन के लिए सुरक्षित नहीं पाया जाता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उन त्रुटियों/कमियों को दर्शाते हुए जिन्हें सुधारना है उपभोक्ता को लिखित में सलाह देगा। उन त्रुटियों को सुधार दिये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी स्थापना का पुनर्परीक्षण करेगा।
- 5.26 प्रथम परीक्षण के लिए अनुज्ञप्तिधारी कोई शुल्क नहीं लेगा। प्रथम परीक्षण में त्रुटि पाये जाने के कारण पुनर्परीक्षण हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित दर से परीक्षण शुल्क लिया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग या उपकरण के संधारण या परीक्षण की जिम्मेदारी नहीं लेगा।

कनेक्शन के पूर्व विद्युत लीकेज के विरुद्ध सावधानियाँ

- 5.27 किसी आवेदक के परिसर में स्थित उपकरण या स्थापना को अनुज्ञप्तिधारी तब तक अपने प्रणाली से नहीं जोड़ेगा जब तक वह यथोचित रूप से संतुष्ट नहीं हो जाता कि संयोजन के समय उस उपकरण या स्थापना से विद्युत की उस मात्रा की लीकेज नहीं होगा जो कि सुरक्षा के लिए खतरनाक होगा जो कि सी.ई.ए. के सुरक्षा विनियमन के विनियमन 35 के प्रावधान के अनुसार स्थापना के इन्सुलेशन रजिस्ट्रेंस की निम्नानुसार जांच करते हुए मापी जायेगी—
- सभी उपकरणों की इन्सुलेशन रजिस्ट्रेंस संबंधित भारतीय मानक के अनुसार होने चाहिए।
 - प्रत्येक चालू (लाइव) तार व भूयोजन के मध्य एक मिनट तक 500 वोल्ट डायरेक्ट करेंट (डी.सी.) लगाने पर ऐसे स्थापना व उपकरण जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो का इन्सुलेशन रजिस्ट्रेंस कम से कम एक मेगाओम या जैसा कि भारतीय मानक में विनिर्दिष्ट हो, होना चाहिए।

- (iii) प्रत्येक लाइव तार व भूयोजन के मध्य एक मिनट तक 2.5 के.व्ही. डी सी लगाने पर 650 वोल्ट से अधिक परन्तु 33 के.व्ही. तक के स्थापना व उपकरण के इन्सुलेशन रजिस्टेन्स कम से कम 5 मेगाओम या संबंधित भारतीय मानक में जो विनिर्दिष्ट हो, होना चाहिए।

5.28 यदि विद्युत आपूर्तिकर्ता इस संहिता की कंडिका 5.27 के तहत संयोजन प्रदान करने में इंकार करता है तो उसे आवेदक को इसका लिखित कारण सूचित करना चाहिए।

विस्तार व परिवर्तन

5.29 उपभोक्ता के परिसर में विद्युत स्थापना का कोई कार्य, जिसमें फेर-बदल, समायोजन, परिवर्धन अथवा सुधार कार्य सम्मिलित हैं, केवल बल्ब, पंखे, फ्यूज, स्विचेज, निम्न दाब घरेलू उपकरण एवं ऐसी अन्य फिटिंग्स को छोड़कर जो किसी भी प्रकार से कनेक्शन की क्षमता या चरित्र में बदलाव न करती हों, उपभोक्ता द्वारा नहीं किया जावेगा। इस प्रकार के कार्य केवल अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार एवं ऐसे व्यक्ति, जिसके पास इस प्रकार के कार्य करने का सक्षमता प्रमाण-पत्र हो, के सीधे पर्यवेक्षण में ही किया जावेगा। उच्च दाब/अति उच्च दाब स्थापना में विस्तार या भार परिवर्तन इत्यादि का अनुमोदन विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना होगा। इसी प्रकार खदानों के प्रकरणों में विद्युत स्थापना में विस्तार अथवा परिवर्तन के लिये खदान निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

5.30 यदि ऐसे प्रस्तावित विस्तार एवं फेर-बदल के कारण उपभोक्ता के संयोजित भार या संविदा मांग में बढ़ोत्तरी (वृद्धि) की संभावना है, तो उपभोक्ता अतिरिक्त आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। संविदा मांग या संयोजित भार में बढ़ोत्तरी का नियमितीकरण न कराने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमानुसार न केवल उच्च दर पर बिलिंग की जायगी, बल्कि उचित सूचना देने के उपरांत विद्युत आपूर्ति विच्छेदित भी की जा सकती है।

उपभोक्ता की स्थापना के निरीक्षण के लिये उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश/पहुंच

5.31 अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति किसी भी उचित समय पर परिसर के अधिवासी को अपने उद्देश्यों के बारे में जानकारी देकर किसी भी परिसर में जिसमें उसके द्वारा विद्युत आपूर्ति की गई हो या की गई थी या कोई स्थान, भूमि जिसके नीचे की ओर, ऊपर से होकर नियमानुसार विद्युत आपूर्ति लाइन का या अन्य कार्य किये गये हों निम्नलिखित कारणों से प्रवेश कर सकता है—

- (1) विद्युत लाइन, मीटर, फिटिंग उपकरण या अन्य कार्य जो विद्युत आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये हैं के निरीक्षण, परीक्षण सुधार तथा परिवर्तन हेतु
- (2) विद्युत की मात्रा या आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा ज्ञात करने हेतु
- (3) जहां भविष्य में विद्युत आपूर्ति चालू रखने की आवश्यकता न हो तथा जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने तथा अपने विद्युत आपूर्ति लाइन, मीटर फिटिंग उपकरण हटाने या अन्य कार्य हेतु अधिकृत हो।

5.32 अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार अधिकृत हो भी जिला मजिस्ट्रेट के इस संबंध में विशेष आदेश पर तथा अधिवासी को कम से कम 24 घंटे की पूर्व लिखित सूचना देकर —

- (1) इस संहिता की कंडिका 5.31 में दर्शित कार्य हेतु संबंधित परिसर या भूमि में प्रवेश कर सकता है।

- (2) परिसर जहां उसके द्वारा विद्युत आपूर्ति किया जाना हो तथा उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपयोग किया जाना हो में विद्युत तार फिटिंग उपकरण या अन्य कार्यों की जाँच तथा परीक्षण हेतु प्रवेश कर सकता है।
- 5.33 यदि उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा उपरोक्त कंडिका के अनुसार उपभोक्ता के परिसर या भूमि में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति को प्रवेश देने में इंकार करता है या जब अनुज्ञप्तिधारी या ऐसा व्यक्ति परिसर में प्रवेश करता है तो उसे ऐसा कार्य करने से मना करता है जिसके लिये वह उपरोक्त कंडिका के अनुसार अधिकृत है, या परिसर में प्रवेश या कार्य हेतु उचित सुविधा प्रदान नहीं करता है तो अनुज्ञप्तिधारी 24 घंटे की लिखित नोटिस देकर उक्त अवधि समाप्त होने पर उपभोक्ता का विद्युत प्रवाह विच्छेदित कर सकता है और तब तक विच्छेदन जारी रख सकता है जब तक यह इंकार या एतराज लागू रहता है।
- 5.34 उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता आयोग द्वारा समय-समय पर टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट औसत मासिक पॉवर फैक्टर बनाए रखेंगे। उपभोक्ता का पावर फैक्टर आयोग द्वारा निर्धारित पावर फैक्टर से भिन्न होने की स्थिति में उपभोक्ता दंड राशि का भुगतान करने या प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का अधिकारी होगा। किसी स्थापना की औसत मासिक पावर फैक्टर 70 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी 15 दिन की सूचना देकर विच्छेदन के कार्यकाल में डिमांड/न्यूनतम शुल्क वसूल करने के अपने अधिकार को प्रभावित किये बिना विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर सकता है।

निम्नदाब उपभोक्ता परिसर में सुरक्षा व्यवस्था तथा अर्थिंग (भूयोजन)

निम्नदाब उपभोक्ता परिसर में वायरिंग तथा उपकरण व यंत्र की स्थापना

- 5.35 उपभोक्ता तथा जनसामान्य की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के अनुसार होनी चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार द्वारा किया जाना चाहिए। वायरिंग के लिये उपयोग किया गया सामान संबंधित व्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड (बी.आई.एस.) मानकों या उसके तुल्य होने चाहिए। जहां लागू हो उपयोग किया गया सामान आई.एस.आई. चिन्हित होने चाहिए। जैसे ही निम्नदाब उपभोक्ता का स्थापना कार्य सम्पूर्ण रूप से पूर्ण होता है तथा ठेकेदार द्वारा परीक्षण किया जाता है, उपभोक्ता को ठेकेदार का परीक्षण प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी को जमा करना चाहिए। इस कार्य के लिये परीक्षण प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय में संयोजन प्रदान करने के पूर्व जमा करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उपरोक्त शर्तों का पूर्ण रूप से पालन हो अन्यथा संयोजन प्रदान करने में विलंब हो सकता है।
- 5.36 उपभोक्ता के स्थापना में सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 के विनियम 15 के प्रावधान का पालन होना चाहिए। उपभोक्ता की स्थापना में लाइन व भूयोजित तार को एक साथ क्रियान्वित करने हेतु लिंक स्विच ही उपयोग में लानी चाहिए।
- 5.37 सभी प्रकरण में उपभोक्ता के मेंस अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय बिन्दु तक लाये जाने चाहिए तथा अनुज्ञप्तिधारी के यंत्र से जोड़ने हेतु पर्याप्त केबल उपलब्ध कराना चाहिए।

स्विच तथा फ्यूज

- 5.38 विद्युत आपूर्ति बिन्दु के निकट उपभोक्ता द्वारा समुचित क्षमता के लिंकड क्विक मेक और ब्रेक मेन स्विच की व्यवस्था प्रत्येक कन्डक्टर में विद्युत धारा के चालू तथा बंद होने के प्रबंध हेतु की जायेगी। उपभोक्ता के परिसर के स्विच चालू तार (लाइव वायर) पर होंगे तथा न्यूट्रल तार को वहाँ पर चिन्हित किया जायेगा, जहाँ वह उपभोक्ता के मेन स्विच से मीटर में जुड़ने के लिये

जाता है। किसी भी न्यूट्रल कन्डक्टर में सिंगल पोल स्विच या कट आउट अन्तरस्थापित नहीं किया जायेगा।

घरेलू उपकरण

- 5.39 उपभोक्ता के परिसर में वायरिंग की सुरक्षा के लिए हीटर, गीजर, एयर कंडीशनर तथा खाना पकाने के उपकरण जैसे ओवन, माइक्रोवेव ओवन के लिए उपभोक्ता के मुख्य वितरण बोर्ड से समुचित माप के तारों का अलग सर्किट होगा। घरेलू उपकरणों की सर्किट के लिए उपयोग किये जाने वाले दीवार प्लग 3 पिन टाइप होंगे, तथा तीसरा पिन भूयोजित होगा। दो पिन वाले प्लगों के उपयोग की अनुमति नहीं है। स्नानघर में पानी गरम करने अथवा कपड़े धोने वाले अथवा गीली जगह में लगे हुए सभी उपकरणों को प्रभावी रूप से भूयोजित (अर्थ) किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता परिसर में भूयोजित टरमिनल

- 5.40 विद्युत आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के उपयोग के लिये उसके परिसर में पहुंच स्थल पर या प्रदाय बिन्दु के पास एक उपयुक्त भूयोजित टरमिनल प्रदान करना चाहिए तथा संधारण करना चाहिए। यह कि उपभोक्ता उपरोक्त भूयोजित व्यवस्था के अतिरिक्त एक स्वतंत्र इलेक्ट्रोड सहित स्वयं की भूयोजित प्रणाली की व्यवस्था करेंगे।
- 5.41 विद्युत आपूर्तिकर्ता के भूयोजित टरमिनल तथा लीड तार को यांत्रिक (मेकेनिकल) नुकसान से बचाने हेतु उपभोक्ता द्वारा उपयुक्त सावधानियां बरतनी चाहिए।

उपभोक्ता परिसर में भूयोजन

- 5.42 650 वोल्ट तक के विद्युत स्थापना में सुरक्षा प्रावधानों के तहत उपभोक्ता को निम्नलिखित व्यवस्था करनी चाहिए—
- (1) तीन फेज चार तार प्रणाली के न्यूट्रल तार को कम से कम दो अलग-अलग स्पष्ट दर्शित न्यूट्रल तारों के माध्यम से कम से कम दो या अधिक अलग भूयोजित इलेक्ट्रोड जैसा कि भूप्रतिरोध को संतोषप्रद स्तर तक लाने के लिए आवश्यक हो से भूयोजित करनी चाहिए।
 - (2) भूप्रतिरोध कम करने के लिये लगाये गये भूयोजन इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए।
 - (3) उपभोक्ता परिसर में किसी संयोजन को भूयोजित करने के अतिरिक्त वितरण प्रणाली में न्यूट्रल तार को भी एक या अधिक बिन्दुओं पर भूयोजित करना चाहिए।
 - (4) प्रणाली में सकेन्द्रीय (कान्सेक्ट्रिक) केबल से विद्युत आपूर्ति होने की स्थिति में केबल के बाहरी तार को दो स्वतंत्र तथा स्पष्ट दर्शित तारों के माध्यम से भूयोजित करनी चाहिए।
 - (5) प्रत्येक जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर तथा कोई भी यंत्र जो कि 250 वोल्ट से अधिक परन्तु 650 वोल्ट तक के वोल्टेज के नियमन व नियंत्रण करने के उपयोग में आते हो के फ्रेम को दो अलग तथा स्पष्ट दर्शित तारों से भूयोजित करनी चाहिए।
 - (6) प्रत्येक जनरेटर व ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल बिन्दु को कम से कम दो अलग तथा स्पष्ट दर्शित तारों के माध्यम से भूयोजन प्रणाली से जोड़नी चाहिए।
- 5.43 भूयोजन प्रयोजन के लिये किसी भी स्थिति में गैस तथा पानी के पाइपों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सभी वायरिंग को जितना सम्भव हो सके गैस तथा पानी के पाइपों से दूर होना चाहिए। वैकल्पिक विद्युत प्रदाय प्रणाली जैसे कि डीजल जनरेटिंग सेट आदि के लिए

अलग-अलग न्यूट्रल तथा भूयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रणाली में विद्युत की वापसी (फीडबैक) होने की सम्भावना न हो।

निम्नदाब उपभोक्ता के स्थापना का परीक्षण

- 5.44 सी.ई.ए. के सुरक्षा विनियम के विनियम 31 के प्रावधान के अनुसार नये संयोजन या अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु आवेदन प्राप्त होने पर तथा विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने या 6 माह पश्चात पुनर्प्रारम्भ करने के पूर्व विद्युत प्रदायदाता या तो स्वयं स्थापना का परीक्षण करेंगे या उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत परीक्षण प्रमाण पत्र जो कि अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित हो स्वीकार करेंगे।
- 5.45 स्थापना के इन्सुलेशन परीक्षण करने के पूर्व स्थापना की वायरिंग समग्र रूप से पूर्ण होनी चाहिए। परीक्षण करने के पूर्व सभी फिटिंग तार से जुड़े हों, सभी फ्यूज लगे हो तथा सारे स्विच चालू (आन) स्थिति में हों। मेगर से स्थापना व भूयोजन के मध्य 500 वोल्ट का दबाव 1 मिनट तक लगाने पर इन्सुलेशन रजिस्टेंस ऐसा हो कि लीकेज करेंट स्थापना के अधिकतम मांग करेंट के पांच हजारवें भाग से अधिक न हो। दो तारों के मध्य का परीक्षण फल (इन्सुलेशन रजिस्टेंस) भूयोजन से प्राप्त परीक्षण फल का कम से कम आधा हो।
- 5.46 ऐसे निरीक्षण और परीक्षण से यदि आपूर्तिकर्ता इस बात से संतुष्ट होता है कि स्थापना खतरनाक हो सकता है तो वह आवेदनकर्ता को लिखित में स्थापना को सुरक्षित बनाने आवश्यक सुधार करने हेतु नोटिस जारी करेगा तथा जब तक आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण नहीं किया जाता तब तक संयोजन प्रारम्भ या पुनर्प्रारंभ करने से मना कर सकता है।
- 5.47 यदि निरीक्षण के समय उपभोक्ता के स्थापना का इन्सुलेशन रजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि सी.ई.ए. के सुरक्षा विनियम की विनियम 34 के अनुसार सुरक्षात्मक विद्युत आपूर्ति की सम्भावना न हो तो अनुज्ञप्तिधारी या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपभोक्ता को 48 घंटे की लिखित सूचना देकर नियम के अनुसार अन्य कार्यवाही करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए परिसर का विद्युत प्रवाह तब तक विच्छेदित रखेगा जब तक कि उन त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता।

निम्नदाब स्थापना की विद्युत क्षमता का निर्धारण (रेटिंग)

- 5.48 घरेलू श्रेणी के अलावा सभी अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं के स्थापना, अनुज्ञप्तिधारी के विवेकानुसार, रेटिंग/पुनः-रेटिंग के पात्र होंगे, यदि नेमप्लेट रेटिंग स्पष्ट दर्शित न हो या संदेहास्पद हो। यदि उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निर्धारित की गई रेटिंग से संतुष्ट नहीं होता है तो वह शासकीय इन्जीनियरिंग संस्थाओं में से किसी एक से अपने उपकरण की क्षमता (रेटिंग) का निर्धारण करा सकता है। संस्था में भार निर्धारित करने की प्रक्रिया के समय, उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी, दोनों ही अपने प्रतिनिधि को उपस्थित रहने के लिये नियुक्त कर सकते हैं। संस्थान द्वारा दिये जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन के साथ किये गये परीक्षणों का विवरण संलग्न किया जाना होगा। संस्थान द्वारा निर्धारित की गई क्षमता (रेटिंग) अंतिमतः मान्य होगी तथा उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी, दोनों को स्वीकार्य होगी।

ए.सी. मोटर की स्थापना

- 5.49 कोई भी ए.सी. मोटर अनुज्ञप्तिधारी के निम्नदाब प्रणाली से तब तक नहीं जोड़ा जायेगा जब तक कि मोटर तथा स्थापना के प्रारम्भिक धारा (स्टार्टिंग करेंट) को निम्नलिखित तक सीमित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था न की गई हो।
- 5.50 निम्न दाब मोटर, कन्ट्रोल गेयर के साथ लगाई जायेगी, ताकि उपभोक्ता की स्थापना का प्रारम्भिक करेन्ट किसी भी स्थिति में निम्न अनुसूची में दी गई सीमा से अधिक न हो।

आपूर्ति का प्रकार	स्थापना का आकार	प्रारम्भिक करंट की सीमा
एकल फेज	1 बी.एच.पी. या उससे कम	कुल भार के अनुरूप करंट का 6 गुना
तीन फेज	1 बी.एच.पी. से अधिक एवं 10 बी.एच.पी. तक	कुल भार के अनुरूप करंट का 3 गुना
	10 बी.एच.पी. से अधिक तथा 15 बी.एच.पी. तक	कुल भार के अनुरूप करंट का 2 गुना
	15 बी.एच.पी. से अधिक	कुल भार के अनुरूप करंट का 1.5 गुना

इन आवश्यकताओं का पालन न करने पर उपभोक्ता का संयोजन 15 दिवस का परिपालन हेतु नोटिस देकर विच्छेदन योग्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी स्थल कार्यपरिस्थिति तथा तकनीकी आधार पर प्रारम्भिक धारा की सीमा विधिल कर सकता है।

- 5.51 मोटर सर्किट का नियंत्रण नो वोल्ट रिलीज तथा ट्रिपल पोल फ्यूज (ओवर लोड रिलीज) से रक्षित ट्रिपल पोल लिंक स्विच से होना चाहिए। यह आवश्यक है कि रिलीज प्रणाली को अच्छी तरह कार्यान्वित स्थिति में रखा जावे। मोटर की सभी तीन फेज वायरिंग धातु के खोल के भीतर हो जो प्रभावी रूप से भूयोजित हो तथा मोटर के फ्रेम से भी जुड़ा हो, जहां से दो पृथक भूयोजन तार भी जुड़े होने चाहिए। भूयोजन तार हेतु न्यूनतम स्वीकार्य साइज 14 स्टैंडर्ड गेज (एस.डब्ल्यू.जी.) है। सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम 2010 व समय-समय पर संशोधित प्रावधानों का पूर्णरूप से परिपालन होना चाहिये।

यंत्र का पावर फेक्टर – निम्नदाब शंट केपेसिटर

- 5.52 ³[प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संयोजित भार में 3 अश्वशक्ति या अधिक के इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर उपयुक्त क्षमता का निम्नदाब शंट केपेसिटर समस्त मोटरों के टर्मिनलों पर लगाने की व्यवस्था करेंगे। 1500 आघूर्ण प्रति मिनट (आर.पी.एम.) के इन्डक्शन मोटर के टर्मिनल पर सीधे लगाए जाने वाले केपेसिटर का अनुशंसित मान सामान्य मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट 11 में दर्शित है। तथापि उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए केपेसिटर, मोटर की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है, ताकि आयोग द्वारा समय-समय पर टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट औसत मासिक पावर फेक्टर सुनिश्चित हो सके। जहाँ ऐसे मीटर लगे हैं जो पावर फेक्टर अंकित करते हैं, मीटर द्वारा अंकित पावर फेक्टर ही मासिक पावर फेक्टर होगा, भले ही किसी भी क्षमता का केपेसिटर लगा हो।

परन्तु यह कि जहाँ लगाये गये मीटर, भार के औसत मासिक पावर फेक्टर अंकित नहीं कर सकते वहाँ परिशिष्ट 11 में संबंधित मोटर की क्षमता के समक्ष दर्शित क्षमता वाले, कार्यशील दशा में पाये गये, केपेसिटर की क्षमता उपयुक्त मानी जायेंगी।]³

- 5.53 जब तक पावर फेक्टर सुधार हेतु 3 अश्वशक्ति और अधिक की क्षमता के मोटर में उपयुक्त क्षमता के केपेसिटर न लगाया जाये तब तक विद्युत आपूर्ति प्रदान नहीं किया जायेगा।
- 5.54 कंडिका 5.52 में दर्शित 15 किलोवाट या अधिक के निम्नदाब उपभोक्ता (सिंचाई पंप व मोटिव लोड को छोड़ कर) उपयुक्त क्षमता का कैपासिटर लगायेंगे ताकि आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम औसत मासिक पावर फेक्टर सुनिश्चित हो सके। पावर फेक्टर में भिन्नता होने की दशा में उपभोक्ताओं द्वारा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिभार देय होगा या वे छूट (इन्सेन्टिव) प्राप्त करेंगे। तथापि 15 किलोवाट या अधिक के घरेलू तथा गैर घरेलू प्रकाश व

पंखों के संयोजन में कैपेसिटर लगाने की शर्तों पर उत्तरवर्ती (subsequent) टैरिफ आदेश में विचार किया जायेगा।

- 5.55 ऐसी किसी स्थापना जहां औसत मासिक पावर फैक्टर यदि 70 प्रतिशत से कम हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 15 दिवस की नोटिस के उपरांत, विच्छेदन अवधि में प्रयुक्त न्यूनतम शुल्क वसूल करने के अपने अधिकार को बिना प्रभावित किये संयोजन विच्छेदित कर सकता है।

अध्याय 6 : सुरक्षा निधि

- 6.1 अनुज्ञप्तिधारी उन व्यक्तियों से सुरक्षा निधि ले सकता है जो अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) की कंडिका (ए) के अनुसार विद्युत आपूर्ति लेना चाहते हैं।

⁴[परंतु यह कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर के साथ नवीन कनेक्शन के मामले में, वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (क) और उप-धारा (5) के अनुसरण में, कोई सुरक्षा अपेक्षित नहीं होगा। उपभोक्ता को, सुरक्षा के हिस्से के रूप में कोई सुरक्षा जमा (एसडी) जमा करना अपेक्षित नहीं होगा।

परंतु यह और कि स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था में स्थानांतरित होने वाले मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए, जिनके पास पिछले बिल में कोई बकाया शामिल नहीं है, लाइसेंसधारक के पास जमा एसडी को, प्रीपेड मीटर की स्थापना की तारीख पर, वर्तमान बिल के समायोजन के बाद, प्रारंभिक रिचार्ज के विरुद्ध जमा किया जाएगा।

उपभोक्ताओं, जिनके पास लाइसेंसधारी को देय बकाया है, उन्हें खण्ड 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 और 6.27 में दी गई बकाया समायोजन पद्धति के अनुसार समायोजित किया जाएगा अथवा विद्युत बकाया की वसूली के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56, 57 और धारा 135 के तहत पहले से ही लागू है।]⁴

- 6.2 सुरक्षा निधि नगद, ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। चेक के प्रकरण में विद्युत आपूर्ति चेक के भुगतान के पश्चात ही प्रारम्भ की जायेगी।

नये संयोजन हेतु यंत्र/लाइन संबंधी सुरक्षा निधि

- 6.3 अनुज्ञप्तिधारी उन उपभोक्ताओं से यंत्र या लाइन हेतु सुरक्षा निधि प्राप्त कर सकता है जहां ऐसे विद्युत यंत्र या लाइन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति हेतु किराये पर प्रदान किये जायेंगे।

ऊर्जा संबंधी सुरक्षा निधि

- 6.4 ³[किसी नये संयोजन के मामले में अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा राशि ले सकता है जिसकी गणना अनुबंधित भार/अनुबंधित मांग के आधार पर एच.पी./के.डब्ल्यू या के. वी., यथा प्रकरण तथैव, जैसा प्रदाय अनुबंध में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिये हो, निम्नांकित रीति से की जाएगी :-

क्रमांक	संवर्ग	सुरक्षा राशि की गणना हेतु निर्धारित खपत प्रतिमाह (30 दिवस)
01	घरेलु	i) 100 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश ii) 25 इकाई प्रति 250 वॉट्स या उसका अंश

02	गैर-घरेलु	i) 100 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश ii) 25 इकाई प्रति 250 वॉट्स या उसका अंश
03	जल उपक्रम	150 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश या 110 इकाई प्रति एच.पी. या उसका अंश
04	निम्नदाब औद्योगिक	100 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश या 75 इकाई प्रति एच.पी. या उसका अंश
05	कृषि	100 इकाई प्रति एच.पी. या उसका अंश
06	सड़क बत्ती	180 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश
07	उच्चदाब एवं अति उच्चदाब उपभोक्ता	250 इकाई प्रति के.वी.ए. या उसका अंश

]³

- 6.5 [सुरक्षा निधि, इस संहिता के विनियम 6.4 के अनुसार निर्धारित खपत के आधार पर निर्धारित की जायेगी और दिनों की विशिष्ट संख्या में अनुमानित खपत के समतुल्य राशि पर, प्रचलित दर और अन्य प्रभारों को जैसा कि निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट है, को लागू करते हुए की जायेगी: तथापि एचटी उपभोक्ताओं को कनेक्शन उपलब्ध कराने के पूर्व विनियम 6.4 के अनुसार एवं मासिक विद्युत बिल के साथ अधिकतम 6 (छः) समान किश्तों में बकाया राशि, निर्धारित सुरक्षा निधि की राशि का 50 प्रतिशत जमा करने हेतु अनुमति दी जायेगी ।

स.क्र.	उपभोक्ता की प्रकृति	दिनों की संख्या
01	कृषि i) स्थायी ii) अस्थायी	90 90 दिवस की अधिकतम के अध्यधीन अस्थायी कनेक्शन की संपूर्ण कालावधि हेतु, हुये
2	स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट	90
3	ऐसे उपभोक्ता जो परिसर के विधिक आधिपत्य का सबूत उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं	90
4	अन्य उपभोक्ता	60

परंतु यह कि यदि कोई नवीन एचटी/ईएचटी उपभोक्ता, विद्युत बिल के भुगतान के लिए 15 दिवस में भुगतान का विकल्प चुनता है तो ऐसे उपभोक्ताओं के सुरक्षा निधि 45 दिवस अनुमानित खपत के समतुल्य राशि, प्रचलित दर और अन्य प्रभारों को लागू करते हुए की जायेगी । ऐसे उपभोक्ता, बिलिंग चक्र के 15 दिवस पूर्ण होने पर निर्धारित मासिक विद्युत बिल का 50 प्रतिशत भुगतान करेगा ।

तथापि, यदि ऐसा उपभोक्ता, निर्धारित तिथि में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करने में एक बार असफल होता है तो उपभोक्ता, बिलिंग चक्र के 15 दिवस पर विद्युत बिल भुगतान के अपने विशेषाधिकार को स्थायी रूप से खो देगा और दिनों की संख्या पर संगणित राशि के अनुसार सुरक्षा निधि का भुगतान, जैसा कि उपरोक्त तालिका में विनिर्दिष्ट है, करेगा ।

विद्यमान उपभोक्ता, 15 दिवसीय भुगतान का विकल्प भी चुन सकेगा । ऐसे उपभोक्ता, बिलिंग चक्र के 15 दिवस पर पूर्ववर्ती माह के मासिक विद्युत बिल की 50 प्रतिशत राशि भुगतान करेगा। ऐसे उपभोक्ताओं का अतिरिक्त सुरक्षा निधि को आगामी माह की विद्युत बिल के अधिकतम छः समान किश्तों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समायोजित की जायेगी ।]²

- 6.6 उपरोक्त आधार पर गणना की गई सुरक्षा निधि रु. 10 के आगामी गुणांकों में होगी।

- 6.7 यदि नये संयोजन का आवेदनकर्ता ऐसी सुरक्षा निधि जमा नहीं करता तो अनुज्ञप्तिधारी यदि उपयुक्त समझता हो, विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु तब तक इंकार कर सकता है जब तक कि राशि जमा नहीं की जाती।
- 6.8 यदि विद्युत आपूर्ति इच्छुक व्यक्ति प्रीपेड मीटर (पूर्व भुगतानयुक्त मीटर) के माध्यम से विद्युत आपूर्ति लेने हेतु तैयार होता है तो अनुज्ञप्तिधारी उससे सुरक्षा निधि लेने हेतु अधिकृत नहीं होगा।

ऊर्जा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा निधि / सुरक्षा निधि की वापसी

- 6.9 ³[अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उपभोक्ता से ली गई सुरक्षानिधि की राशि का पुनरीक्षण, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान उसकी वार्षिक खपत के आधार पर किया जायेगा। इस पुनरीक्षण के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी औसत खपत के समतुल्य सुरक्षानिधि की राशि का निर्धारण संहिता के खण्ड 6.5 में उल्लिखित उस अवधि हेतु प्रयोज्य दर (टैरिफ) के अनुसार करेगा। यदि पुनरीक्षण पर, निम्नदाब के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित सुरक्षा निधि की राशि में ± 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन (वृद्धि या कमी) होता है और उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में रु. 10,000/- से अधिक का परिवर्तन होता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक मांग अथवा वापसी की जायेगी।]³
- 6.10 ¹[परंतु आधिक्य सुरक्षानिधि की वापसी के प्रकरण में उपभोक्ता के लेखे इस राशि को सामायोजन के माध्यम से उपभोक्ता के आगामी तीन माह के विद्युत देयको में सामायोजन के माध्यम से क्रेडिट कर दिया जायेगा। यदि ऐसे सामायोजन के पश्चात् भी कोई राशि शेष रहती है तो उसकी वापसी उपभोक्ता को 30 दिवस के भीतर नगद कर दी जायेगी। इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय संहिता, 2011 के खण्ड 6.20 में यथा परिभाषित ब्याज के भूगतान हेतु दायित्वाधीन होगा।]
- 6.11 ऐसे प्रकरण में जिन उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया है वहां अतिरिक्त सुरक्षानिधि वैसे अतिरिक्त भार के लिये उसी प्रकार संगणित की जायेगी जैसे किसी नये संयोजन हेतु की जाती है। इसी प्रकार यदि संविदा मांग घट जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षानिधि की पुनः गणना करेगा और अतिरिक्त सुरक्षानिधि, यदि कोई हो तो उसे उपभोक्ता के आगामी तीन माह के विद्युत देयको में सामायोजन के माध्यम से क्रेडिट करेगा। यदि ऐसे सामायोजन के बाद कोई राशि बच रहती है तो उसे उपभोक्ता को 30 दिवस के भीतर नगद वापस किया जायेगा। इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय संहिता, 2011 के खण्ड 6.20 में यथा परिभाषित ब्याज के भूगतान हेतु दायित्वाधीन होगा।]¹
- 6.12 उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अतिरिक्त सुरक्षा निधि भुगतान हेतु उपयुक्त मासिक किस्त की सुविधा दे सकता है।

सुरक्षा निधि पर ब्याज

- 6.13 ²[अनुज्ञप्तिधारी, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट 'बैंक दर' की दर से नगद में प्राप्त सुरक्षा निधि पर ब्याज का भुगतान करेगा।]²
- 6.14 ब्याज की गणना प्रति वर्ष अप्रैल माह में पूर्ववर्ती वर्ष के लिये की जायेगी। इस प्रकार गणना किये पूर्ण ब्याज की राशि का भुगतान माह मई के विद्युत बिल में सामायोजन के माध्यम से किया जायेगा तथा आवश्यकता होने पर आगामी माह के विद्युत बिलों में सामायोजित किया जावेगा।

- 6.15 सुरक्षा निधि के ब्याज भुगतान में देर होने पर अनुज्ञप्तिधारी ब्याज पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर सरल ब्याज का देनदार होगा।
- 6.16 सुरक्षा निधि के ब्याज के समायोजन में देर/3 माह से अधिक अवधि बीतने पर उपभोक्ता अधिनियम की धारा 42 उपधारा (5) के अंतर्गत निर्मित संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत दर्ज करा सकता है।

सुरक्षा निधि का समायोजन

- 6.17 ²[पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के अप्रैल में ब्याज की राशि संगणित की जायेगी। इस प्रकार संगणित की गई ब्याज राशि को उस वर्ष के मई माह हेतु मासिक विद्युत बिल के विरुद्ध पूर्णतः समायोजन द्वारा भुगतान की जायेगी। अनुज्ञप्तिधारी अनुबंध के प्रारंभ की तिथि से सुरक्षा निधि पर ब्याज का भुगतान करेगा तथा अनुबंध की समाप्ति तक भुगतान किया जायेगा।]²
- 6.18 यदि इसके पश्चात उपभोक्ता पुनर्संयोजन हेतु आता है तो पुनर्संयोजन के पहले उसे सुरक्षा निधि के समायोजित राशि के तुल्य राशि जमा करनी होगी।

सुरक्षा निधि की वापसी

- 6.19 स्थाई संयोजन के विच्छेदन या अस्थायी संयोजन की अवधि बीतने पर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन पश्चात अनुज्ञप्तिधारी उपलब्ध सुरक्षा निधि का समायोजन करते हुए अंतिम बिल (देयक) बना कर उपभोक्ता को स्थाई रूप से विद्युत विच्छेदन/अस्थायी कनेक्शन का विच्छेदन जैसा प्रकरण हो के 30 दिवस के भीतर प्रेषित करेगा तथा आगामी 60 दिवस के अंदर शेष राशि का भुगतान करेगा। तथापि इस संहिता की कंडिका 4.59 के अनुसार अस्थायी संयोजन (कनेक्शन) की स्थिति में राशि की वापसी आपूर्ति विच्छेदन के 90 दिन या जमा राशि की मूल रसीद/मूल रसीद गुमने की स्थिति में इन्डेमिटी वांड या घोषणा पत्र जमा करने के 60 दिवस जो भी बाद में हो के भीतर करेगा।
- 6.20 अनुज्ञप्तिधारी भुगतान हेतु निर्धारित समय पश्चात वापसी योग्य राशि पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर सामान्य दर से ब्याज का देनदार होगा।

सुरक्षा निधि वापसी का माध्यम

- 6.21 उपभोक्ता सुरक्षा निधि वापसी का माध्यम यथा नगद, चेक आदि चुन सकता है। यदि उपभोक्ता राशि वापसी का माध्यम डिमांड ड्राफ्ट / मनी आर्डर चुनता है तो राशि की वापसी डिमांड ड्राफ्ट / मनी आर्डर के शुल्क काटकर वापस किया जायेगा।
- 6.22 ⁴[बकाया, यदि कोई हो, लाइसेंसधारी के पास मौजूद सुरक्षा जमा (एसडी) के विरुद्ध पहले समायोजित किया जाएगा। शेष एसडी राशि, यदि कोई हो, उपभोक्ता के खाते में टॉप-अप राशि के रूप में जमा की जाएगी।
- 6.23 लाइसेंसधारी, एसडी की पहले से समायोजित राशि के अलावा बकाया की पूरी राशि, या तो 300 समान दैनिक किश्तों या पिछले 3 महीनों की खपत के आधार पर औसत दैनिक बिलिंग का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, वसूल करेगा।
- किसी माह के लिए इस प्रकार निर्धारित बकाया राशि की वसूली, माह के सभी दिनों में समान दैनिक किश्तों में की जा सकती है, जो उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध रिचार्ज शेष से काट ली जाएगी।

6.24 प्रीपेड उपभोक्ता के लिए, ऑडिट या अन्य सहित बाद के चरण में पाए गए किसी भी अतिरिक्त मांग/रिफंड के कारण उपभोक्ता खाते में किसी भी पुनरीक्षण के मामले में, पुनरीक्षित बिलिंग खाता नोटिस, लाइसेंसधारी द्वारा प्रीपेड बिलिंग प्रणाली में इसकी वास्तविक कार्यान्वयन की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले, अग्रिम रूप से, उपभोक्ता को मोबाइल ऐप/एसएमएस/ईमेल आदि पर भेजा जाएगा।

नोटिस के 15 दिनों के बाद, उपभोक्ता द्वारा/को देय बकाया या रिफंड की राशि (यदि कोई हो) को, उपभोक्ता के प्री-पेड शेष में निम्नलिखित तरीके से समायोजित किया जाएगा :

6.24.1 पूरी रिफंड राशि प्री-पेड शेष में जोड़ी जाएगी।

6.24.2 अन्य सभी मामलों में, भुगतान परामर्श, पृथक से भेजी जाएगी और संबंधित संभाग के कार्यपालन अभियंता, केवल मुद्दों को हल करने के बाद अतिरिक्त मांग को जोड़ने या रोकने में सक्षम होंगे, यदि उपभोक्ता, आपूर्ति संहिता के प्रावधान के अनुसार, उन्हें भेजे गए भुगतान परामर्श का विरोध करता है, वहां अंतिम मूल्यांकन बिल के भुगतान के लिए 07 दिनों की अनुमति देगा और उसके बाद आपूर्ति बंद करने से पहले 15 दिनों का नोटिस देगा।

6.24.3 भुगतान न करने की स्थिति में, राशि, नियमित बिल में जोड़ी जाएगी। यह उन मामलों पर लागू होता है, जहां कनेक्शन जांच के दौरान कदाचार/अनियमितता पाई जाती है। चोरी की घटना होने की स्थिति में, तत्काल लाईन काट दी जाएगी।

6.24.4 यदि उपभोक्ता, अंतिम आदेश से 30 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी/न्यायालय में प्रतिवाद/अपील करता है, तो संबंधित अधिकृत अधिकारी, अतिरिक्त मांग को रोक देगा।

6.24.5 आपूर्ति संहिता के तहत यथा लागू विच्छेदन (डिस्कनेक्शन) प्रक्रिया, क्षेत्र के संबंधित कार्यपालन अभियंता द्वारा की जाएगी।

6.24.6 प्रचलित बकाया समायोजन पद्धति के अनुसार बकाया राशि को प्रीपेड शेष से काटा जाना चाहिए।

परंतु यह कि लाइसेंसधारक को उपभोक्ता के पोस्ट-पेड से प्रीपेड सुविधा में स्विच करने की तारीख से दो वर्ष के भीतर संबंधित उपभोक्ता के खाते के ऑडिट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

6.25 उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सूचना/एसएमएस के माध्यम से बकाया के रूप में वसूली गई राशि के बारे में सूचित किया जा सकता है।

6.26 उपभोक्ताओं को एकमुश्त वसूली, या वसूली के आंशिक भुगतान का विकल्प चुनने का विकल्प भी प्रदान किया जा सकता है, यदि वह इसके लिये विकल्प चुनने का निर्णय लेता है।

6.27 अधिभार: किसी विशिष्ट तिथि तक उपभोक्ता के स्वामित्व वाली किश्तों की शेष राशि पर कोई अधिभार नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि उपभोक्ता बिना किसी असफलता के दैनिक किश्तों का भुगतान करे। यदि उपभोक्ता किस्त का भुगतान करने में असफल रहता है, तो प्रचलित प्रथा के अनुसार शेष राशि पर अधिभार लागू होगा।⁴

अध्याय 7 : संविदा माँग, अनुबन्ध

संविदा माँग

उच्चतम मांग आधारित (टू-पार्ट) टैरिफ के अलावा निम्न दाब उपभोक्ता ।

7.1 उच्चतम मांग आधारित (टू-पार्ट) टैरिफ के अलावा अन्य निम्नदाब उपभोक्ता की परिसर के लिये संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता के मध्य हुए अनुबंध में दर्शित भार होगी।

उच्चतम मांग (एम.डी.) आधारित निम्न दाब व सभी उच्च दाब व अति उच्च दाब उपभोक्ता

7.2 ¹[संविदा मांग उपभोक्ता और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परस्पर किये गये अनुबंध के अनुसार और उपभोक्ता के प्रतिस्थापन की आवश्यकता को देखते हुए होगी और संयोजित भार से स्वतंत्र रहेगी।

अनुज्ञप्तिधारी से नवीन उच्चदाब/अति उच्चदाब संयोजन लेने के लिए कोई आवेदक वांछित संविदा मांग को चरणोबद्ध रूप से भी, निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन ले सकेगा:—

- (i) 02 वर्ष से आगे की किसी अवधि के लिए किसी चरणबद्धता (फेजिंग) की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (ii) भार के अंतिम चरण को विमुक्त करने के पश्चात अनुबंध अवधि 02 वर्ष की होगी।
- (iii) उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग के अधिकतम 03 चरणों का लाभ लिया जा सकता है।
- (iv) अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच निष्पादित प्रदाय अनुबंध के अंतर्गत एक बार स्वीकृत चरणबद्धता की योजना को उसके उपरांत परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।।¹

संविदा मांग/संविदा भार में वृद्धि हेतु प्रक्रिया

7.3 संविदा मांग/संविदा भार में वृद्धि हेतु आवेदन प्रपत्र अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित प्रपत्र में (संलग्नक क्रमांक 5) में प्रस्तुत किया जायेगा।

7.4 30 दिनों के अन्दर, अनुज्ञप्तिधारी, बड़े हुए भार के लिये आपूर्ति की साध्यता का परीक्षण करेगा एवम् डिमांड नोट (मांग पत्र) के साथ उपभोक्ता को सूचित करेगा कि —

- (ए) क्या अतिरिक्त मांग विद्यमान वोल्टेज स्तर पर दी जा सकती है अथवा इससे ज्यादा वोल्टेज स्तर पर;
- (बी) क्या प्रणाली में कोई परिवर्तन, विस्तार या फेर-बदल करना आवश्यक है और यदि है तो उसके लिये उपभोक्ता द्वारा वहन की जाने वाली राशि की जानकारी;
- (सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि, जो जमा करना है; और
- (डी) उपभोक्ता के वर्गीकरण में परिवर्तन, यदि आवश्यक हो तो ।

7.5 यदि उपभोक्ता पर अनुज्ञप्तिधारी को किये जाने वाले भुगतान की राशि बकाया हो तो संविदा मांग में वृद्धि हेतु उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । तथापि, यदि उपभोक्ता पर बकाया राशि के भुगतान पर किसी न्यायालय या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के द्वारा रोक लगाई गई हो, या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बकाया राशि का किश्तों में भुगतान की सुविधा दी गई हो तो आवेदन स्वीकार किया जा सकता है ।

7.6 अनुज्ञप्तिधारी से मांग पत्र प्राप्त होने पर उपभोक्ता :—

- (ए) निम्नदाब संयोजन के प्रकरण में जहाँ स्थापना में फेर-बदल निहित है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की पूर्णता का प्रमाण पत्र तथा परीक्षण प्रपत्र प्रस्तुत करेगा।
- (बी) उच्च व अति उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन पत्र और जहां आवश्यक हो किसी अन्य लागू विनियमों के अधीन चाहे गये वैधानिक अनुमति पत्र प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार, खदानों की विद्युत स्थापना में अतिरिक्त भार हेतु खदान निरीक्षक का अनुमोदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (सी) अतिरिक्त सुरक्षा निधि तथा यदि प्रणाली में परिवर्तन या विस्तार की आवश्यकता हो तो उसकी लागत का भुगतान करेगा।
- (डी) पूरक अनुबंध का निष्पादन करेगा।

7.7 ¹[यदि प्रणाली में मीटरे प्रबंध सहित कोई परिवर्धन या परिवर्तन आवश्यक न हो, तो बड़े हुए भार को वैसी दिनांक से विमुक्त किया जायेगा जिसका उल्लेख पूरक अनुबंध में किया गया है अथवा उपभोक्ता द्वारा वांछित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, जो भी पहले हो किया जायेगा। उपभोक्ता द्वारा वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् 15 दिवस के भीतर मीटरे प्रबंध, यदि आवश्यक हो तो परिवर्तित कर दिये जायेंगे और अतिरिक्त प्रदाय विमुक्त किया जायेगा। यदि प्रणाली में किसी परिवर्धन या परिवर्तन की आवश्यकता है तो खण्ड 7.8 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।]¹

अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उपलब्धि की सूचना – जब लाइन विस्तार की आवश्यकता हो

7.8 जब अनुज्ञप्तिधारी लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने तथा जहां आवश्यक हो मीटर तथा मीटरिंग उपकरण बदलने के पश्चात्, अतिरिक्त विद्युत प्रदाय करने की स्थिति में हो तो निम्नदाब, उच्चदाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ता को अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति उपलब्धि की एक माह की लिखित नोटिस जारी करेगा। अतिरिक्त विद्युत प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को जारी किये गये एक माह की नोटिस पश्चात् या उक्त अवधि समाप्त होने के पूर्व कोई भी दिन यदि उपभोक्ता अतिरिक्त विद्युत लेना प्रारम्भ किये जाने की तिथि सूचित करता है, परन्तु सूचना जारी होने के दिन से पूर्व नहीं, से प्रभावी माना जायेगा।

संविदा भार/संविदा मांग में कमी हेतु प्रक्रिया

7.9 ²[50 प्रतिशत से अधिक के लिए संविदात्मक मांग/संविदात्मक भार को कम करने हेतु आवेदन प्रपत्र, करार की प्रारंभिक कालावधि के भीतर, जो संविदा के प्रारंभ की तिथि से दो वर्ष का हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिग्रहित नहीं की जायेगी। तथापि, इस संहिता के विनियम 3.4 के अनुसार संबंधित वोल्टेज आपूर्ति हेतु यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम संविदा मांग के अध्वधीन संविदा मांग/संविदा भार के 50 प्रतिशत तक की सीमा का कम किया जाना, दो वर्ष के करार की प्रारंभिक कालावधि के दौरान दो बार अनुज्ञेय होगी।

परन्तु यह कि उपभोक्ता जो किसी सी.पी.पी. का कंस्ट्रिक्ट/गैर-कंस्ट्रिक्ट भार के अंतर्गत हैं, के संबंध में संविदा मांग का कम किया जाना, इस संहिता के विनियम 12.14 के प्रावधानों के अनुसार निराकृत किया जायेगा।]²

7.10 संविदा भार में कमी हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र (संलग्नक 5) में अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ जमा करना होगा :-

- (ए) विद्युत स्थापना में परिवर्तन, सुधार सहित कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र तथा निम्नदाब संस्थान में परिवर्तन के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारक विद्युत ठेकेदार से परीक्षण प्रपत्र।

- (बी) संविदा भार में कमी करने या कोई और कारण ।
- (सी) उपभोक्ता द्वारा जनरेटर लगाने की स्थिति में जनरेटर का विवरण तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जनरेटर लगाने में सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति ।

7.11 ²[भार/संविदा मांग कम करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित कदम उठायेगा :

- (ए) अनुज्ञप्तिधारी, आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर, आवेदन में कहे गये आधारों का परीक्षण कर, उसे सत्यापित करेगा एवं इसके निर्णय से संसूचित करेगा। कोई उपभोक्ता, जो अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, अधिनियम की धारा 42 (5) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित विद्युत शिकायत निवारण फोरम के समक्ष अपने शिकायतों के निराकरण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। कोई उपभोक्ता, जो धारा 42 (5) के अधीन उसके शिकायतों के निराकरण नहीं होने से व्यथित है, अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त या पदाभिहित विद्युत लोकपाल से अपने शिकायतों के निराकरण हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसका निर्णय, जैसा कि किसी परिनियम के अधीन उपलब्ध हो, ऐसे उपचार के अध्यक्षीन अंतिम होगा।

परंतु यह कि एचटी एवं ईएचटी उपभोक्ताओं हेतु, जहां अनुज्ञप्तिधारी ने आवेदन प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के भीतर आवेदन में इसके निर्णय को संसूचित नहीं किया है, आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस पूर्ण पर आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से, संस्वीकृति समझी जायेगी एवं भार का कम किया जाना प्रभावी होगा ।

- (बी) एलटी कनेक्शन की स्थिति में, भार कम करने की संस्वीकृति हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्णय प्राप्ति पश्चात्, वह अपने भार को कम करेगा एवं प्राधिकृत अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार से नये जांच रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा। तत्पश्चात्, अनुज्ञप्तिधारी, शहरी क्षेत्र की स्थिति में 2 दिवस एवं ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में 5 दिवस के भीतर जांच करने की व्यवस्था करेगा। उसके बाद, अनुज्ञप्तिधारी, एलटी उपभोक्ता से अनुपूरक करार का निष्पादन करेगा। भार का कम किया जाना, आगामी बिलिंग माह, जिसमें अनुपूरक करार निष्पादित किया गया है, की प्रथम दिवस से प्रभावी होगा।

- (सी) एचटी एवं ईएचटी कनेक्शन की स्थिति में, आवेदन प्राप्ति के आगामी 15 दिवस पूर्ण होने के आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से भार में कमी, प्रभावी होगी। यदि उपभोक्ता बाद की तिथि, जो आवेदन की तिथि से 15 दिवस के अधिक होगी, में संविदा मांग कम करने का विकल्प चुनता है तो बिलिंग, बिलिंग माह, जिसके लिये संस्वीकृति दी गई है, के प्रथम दिवस से प्रारंभ होगी ।

आवेदक और अनुज्ञप्तिधारी, संस्वीकृति की तिथि से 15 दिवस के भीतर संविदा मांग कम करने हेतु अनुपूरक करार का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि आवेदक, निर्धारित कालावधि के भीतर अनुपूरक करार, निष्पादित करने में असफल रहते हैं तो अनुज्ञप्तिधारी, संविदा मांग कम करने हेतु संस्वीकृति को रद्द कर सकेगा ।]²

7.12 अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के बाद उपभोक्ता विद्यमान संविदा मांग में किसी भी सीमा तक कमी करने हेतु आवेदन कर सकता है। तथापि, उपरोक्त मांग में कमी खण्ड 3.4 में विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिये निर्धारित की गयी न्यूनतम संविदा मांग से कम नहीं की जावेगी। यदि उपभोक्ता अपनी संविदा मांग अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से कम कर किसी अन्य आपूर्तिकर्ता से (परन्तु केप्टिव उपभोक्ता जैसा नहीं) विद्युत प्रदाय प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में

अधिनियम की धारा 42 (4) के अनुसार उसे अतिरिक्त सरचार्ज (आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित क्रास सब्सिडी सरचार्ज) का भुगतान करना होगा ।

7.13 जब संविदा मांग में कमी की सहमति हो जाती है, तो उपभोक्ता एक पूरक अनुबंध निष्पादित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा निधि की पुनर्गणना करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के पास अधिक सुरक्षा निधि होने की स्थिति में उसे अगले बिल में समायोजित की जायेगी । समायोजन के पश्चात भी यदि कोई राशि बच जाती है तो उसे बिल जारी करने के 7 दिवस के भीतर वापस करेगा ।

7.14 ²[यदि कोई उपभोक्ता, जो किसी कारण से अपने संविदा भार/ संविदा मांग कम किया हो, ऐसे कमी के एक वर्ष के भीतर भार को पुनः स्थापन की इच्छा रखता है तो यह अनुज्ञेय होगी, किन्तु ऐसा पुनः स्थापन, तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन होगी और इस शर्त के अध्यधीन होगी कि भार /मांग का कम किया जाना करार की आरंभिक कालावधि के भीतर पुनः अनुज्ञेय होगा ।

परंतु यह कि यदि ऐसा उपभोक्ता, आवश्यक आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार/विस्तार प्रभार, जैसी भी स्थिति हो, के भुगतान करने के पश्चात् तथा विशिष्ट संविदा मांग हेतु अनुज्ञप्तिधारी से करार का निष्पादन एवं तत्पश्चात्, आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसके संविदा मांग /संविदा भार में कमी, किसी कारण से, संविदा मांग/संविदा भार को पुनः स्थापना की इच्छा रखता हो ऐसे कटौती के एक वर्ष के भीतर भार को पुनः स्थापन की इच्छा रखता है, तकनीकी संभाव्यता के अध्यधीन, आरंभिक रूप से उपभोग किये गये संविदा भार /संविदा मांग के अधिकतम सीमा में भार संवर्धन के लिए आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान करना आवश्यक नहीं है। यह सुविधा, उसके संयोजित रहने तक एक बार दिया जायेगा।]²

निम्नदाब संयोजन का उच्चदाब संयोजन में अंतरण

7.15 जब निम्नदाब संयोजन में भार वृद्धि के कारण उपभोक्ता को उच्चदाब कनेक्शन लेने की आवश्यकता हो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए:-

- (i) उपभोक्ता सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा तथा भविष्य में निम्नदाब संयोजन के विरुद्ध बकाया यदि कोई होता है का भुगतान करने का वचन देगा ।
- (ii) उच्चदाब संयोजन होने की तिथि से निम्नदाब अनुबंध निष्प्रभावी हो जायेगा ।
- (iii) परिसर में उच्चदाब संयोजन करने की तिथि पर निम्नदाब संयोजन विच्छेदित कर दिया जायेगा ।
- (iv) यदि उपभोक्ता द्वारा कोई दायित्व पूरा नहीं करने के कारण परिसर में उच्चदाब संयोजन प्रारम्भ नहीं किया जा सके तथा निम्नदाब आपूर्ति उपभोक्ता के परिसर में उपलब्ध रहता है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को वास्तविक मांग के स्थान पर इस संहिता की कंडिका 10.23 के अनुसार उच्चदाब के कम मांग सहित निम्नदाब संयोजन हेतु बिल किया जायेगा एवं तदनुसार उच्चदाब संयोजन की अनुबंध अवधि में वृद्धि की जायेगी ।
- (v) निम्नदाब संयोजन हेतु उपलब्ध सुरक्षा निधि को उच्चदाब संयोजन के विरुद्ध स्थानांतरित किया जायेगा ।
- (vi) ¹[उपभोक्ता को उच्चदाब संयोजन के लिए नवीन अनुबंध परियुक्त बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए, निष्पादित करना होगा ।

उच्चदाब संयोजन (11 के.व्ही./33 के.व्ही.) से निम्नदाब संयोजन में परिवर्तन]¹

7.16 संविदा मांग में कमी होने के कारण यदि उच्चदाब उपभोक्ता निम्नदाब संयोजन हेतु निवेदन करता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी चाहिए:-

- (i) ⁵[उपभोक्ता के 150 किलोवाट तक के संबंध भार तक के लिए निम्नदाब (LT) में परिवर्तित होने की अनुमति दी जा सकती है।]⁵
- (ii) उच्चदाब मीटरिंग व्यवस्था यथावत रहेगी तथा विद्युत आपूर्ति की बिलिंग 3 प्रतिषत ट्रांसफार्मेशन हानि कम करने के पश्चात निम्नदाब टैरिफ पर की जायेगी। मीटर किराया उच्चदाब मीटरिंग के आधार पर होगा।
- (iii) उपभोक्ता को उच्चदाब संयोजन की बकाया राशि का भुगतान करना होगा तथा उच्चदाब संयोजन के विरुद्ध भविष्य में बकाया राशि यदि कोई होता है का भुगतान करने वचन देना होगा।
- (iv) निम्नदाब संयोजन प्रारम्भ होने की तिथि से उच्चदाब अनुबंध निष्प्रभावी हो जायेगा।
- (v) उच्चदाब संयोजन के ट्रांसफार्मर का स्वामित्व अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में बिना मूल्य स्थानांतरित करना होगा तथा ट्रांसफार्मर का संधारण व उसके खराब होने पर बदलने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी पर होगा।
- (vi) उच्चदाब संयोजन हेतु उपलब्ध सुरक्षा निधि निम्नदाब संयोजन हेतु स्थानांतरित की जायेगी।
- (vii) ¹[उपर्युक्त बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए उपभोक्ता द्वारा नवीन निम्नदाब अनुबंध किया जायेगा।]¹

अनुबंध

7.17 विद्युत आपूर्ति के पूर्व उपभोक्ता को नया संयोजन प्राप्त करने हेतु अनुबंध करना होगा। नाम तथा प्रयोजन में परिवर्तन करने तथा स्वीकृत संविदा भार/ मांग में वृद्धि या कमी हेतु उपभोक्ता को पूरक अनुबंध करने की आवश्यकता होगी जो कि अनुबंध का भाग होगा। उपभोक्ता को अनुबंध पत्र के सभी पृष्ठ के निचले भाग पर हस्ताक्षर करने होंगे।

7.18 अनुबंध में निम्न समाहित होंगे:-

- (1) उपभोक्ता का नाम व पता
- (2) परिसर का पोस्टल पता जहां के लिये विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन किया गया है व जिसके लिये अनुबंध किया जा रहा है
- (3) संविदा भार/संविदा मांग
- (4) विद्युत उपयोग का प्रयोजन
- (5) उपभोक्ता द्वारा घोषणा-
 - (i) अधिनियम तथा इस संहिता का पालन करना
 - (ii) प्रचलित टैरिफ के आधार पर विद्युत आपूर्ति का भुगतान करना
 - (iii) इस संहिता तथा आयोग द्वारा समय-समय पर अनुज्ञप्तिधारी हेतु सामान्य तथा विविध शुल्क के अंतर्गत अनुमोदित सभी शुल्क का भुगतान करना।
 - (iv) अधिनियम तथा इस संहिता के प्रावधान के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता से प्राप्त सुरक्षा निधि जमा करना।

- 7.19 किये गये अनुबंध की एक प्रति उपभोक्ता को दिया जाये। जहां अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता के मध्य कोई लिखित अनुबंध न हो, यथा अस्थाई संयोजन, जनरेटर जिन्होंने स्टार्ट अप पावर संयोजन नहीं लिया हो तथा केप्टिव उपभोक्ता जो ओपन एक्सेस के माध्यम से प्रणाली से विद्युत प्राप्त करते हैं, विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ होने पर वे इस संहिता के नियम व शर्तों से शासित होंगे तथा संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के तहत बिल किये जायेंगे।
- 7.20 यदि स्वामित्व/अधिवासी बदलने पर भी यदि उपभोक्ता का नाम नहीं बदला जाता तो भी इस संहिता की नियम व शर्तें उस व्यक्ति पर लागू रहेंगी जो उस संयोजन से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करता है।
- 7.21 ऐसे उपभोक्ता जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ हुए अनुबंध के किसी विषय प्रावधान से शासित हैं, वे अनुबंध के उस विषय प्रावधान के तहत शासित रहेंगे।
- 7.22 आवेदक द्वारा, निर्धारित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर नया कनेक्शन लेने के लिये मानक प्रारूप में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में, उपभोक्ता एवं अनुज्ञप्तिधारी दोनों की सहमति से, अनुबन्ध में कुछ विशिष्ट खण्डों को जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि यदि ऐसे खण्ड विद्युत अधिनियम 2003, विद्युत प्रदाय संहिता एवं प्रभावशील अन्य नियमों तथा विनियमों के विपरीत नहीं हों। ये विशिष्ट खण्ड अनुबन्ध का हिस्सा होंगे।
- 7.23 घरेलू तथा एक फेज गैर घरेलू के सिवाय अन्य उपभोक्ता कम से कम 1 से.मी. = 12 मीटर (1 इंच = 100 फुट) स्केल का परिसर का प्लान नक्शा जिसमें परिसर जहां विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है की स्पष्ट रंग से सीमा, प्रस्तावित लाइन विस्तार व आपूर्ति बिन्दु दर्शित हो, अनुबंध के साथ प्रस्तुत करेंगे। जमा किया गया नक्शा जो कि उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी दोनों द्वारा स्वीकृत व हस्ताक्षरित हो अनुबंध का भाग होगा।

नये अधिवासी के नाम से संयोजन स्थानांतरित करना

- 7.24 उपभोक्ता के निधन होने या परिसर के स्वामित्व या अधिवासी में परिवर्तन होने पर इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में आवेदन करने पर संयोजित नये मालिक या अधिवासी के नाम पर स्थानांतरित किया जायेगा।
- 7.25 सम्पत्ति के स्वामित्व/अधिवासी में परिवर्तन होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के नाम परिवर्तन के आवेदन पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी—
- (1) उपभोक्ता के नाम परिवर्तन हेतु आवेदक इस संहिता के संलग्नक 4 में हाल में भुगतान किये गये बिल की प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा। जब तक संबंधित संयोजन के सभी भुगतान योग्य बकाया राशि पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक संयोजन स्थानांतरण का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र स्वामित्व/अधिवासी होने के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक के नाम पर सुरक्षा निधि के स्थानांतरण के प्रकरण में परिसर के पंजीकृत उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति/पूर्ववर्ती अधिवासी से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
 - (2) यदि पंजीकृत उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति/पूर्ववर्ती अधिवासी से आवेदक के नाम पर सुरक्षा निधि स्थानांतरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता जो ऐसी स्थिति में नाम स्थानांतरण का आवेदन फार्म तभी स्वीकार किया जायेगा जबकि इस संहिता में दिये गये प्रावधान के अनुसार नया सुरक्षा निधि जमा की जायेगी। तथापि मूल सुरक्षा निधि संबंधित व्यक्ति द्वारा मांग प्रस्तुत करने पर वापस किया जायेगा।

- (3) उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन आवेदन पत्र स्वीकार करने तथा पूरक अनुबंध निष्पादन पश्चात दो बिलिंग चक्र (साइकिल) के भीतर किया जायेगा।

विधिक उत्तराधिकारी के नाम पर संयोजन का स्थानांतरण

- 7.26 विधि मान्य उत्तराधिकारी के नाम पर संयोजन के स्थानांतरण संबंधी आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जायेगी –
- (1) उपभोक्ता के नाम परिवर्तन हेतु आवेदक इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में हाल में भुगतान किये गये बिल की प्रति के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र रजिस्ट्रीकृत वसीयतनामा/अनुबंध, उत्तराधिकार पत्र/ विधि मान्य उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, म्यूनिसिपल का म्यूटेशन/भूमि रिकार्ड या अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी होने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात स्वीकार किये जायेंगे।
 - (2) सुरक्षा निधि सहित उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन, आवेदन स्वीकार करने तथा पूरक अनुबंध निष्पादन पश्चात दो बिलिंग चक्र (साइकिल) के भीतर किया जायेगा।
 - (3) कोई विद्युत शुल्क या विद्युत संबंधी अन्य राशि जो बकाया है तथा अनुज्ञप्तिधारी को देय है, भूमि या परिसर के दिवंगत उपभोक्ता या भूतपूर्व मालिक/अधिवासी जैसा कि प्रकरण हो, के द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, की देनदारी उत्तराधिकारी या नये मालिक/अधिवासी पर लागू होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसर के ऐसे विधि मान्य प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी या नये मालिक/अधिवासी जैसा कि प्रकरण हो से वसूली योग्य होगा।

वर्तमान संयोजन/मीटर के स्थान परिवर्तन

- 7.27 आवेदक वर्तमान परिसर के संयोजन के स्थान परिवर्तन या वर्तमान लाइन हटाने हेतु इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी आवेदन पत्र पर इस संहिता की कंडिका 4.22 से 4.30 के प्रावधान के अनुसार स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्राक्कलित राशि हेतु मांग पत्र जारी करने तथा भुगतान प्राप्त हेतु कार्यवाही करेंगे।
- 7.28 ³[कार्यों को पूर्ण करने के लिये प्रभारों के भुगतान की तिथि से निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जाएगा :
- (1) मीटर/सर्विस लाईन को स्थानांतरित करना : 7 दिवस
 - (2) निम्नदाब/ उच्चदाब लाईन को स्थानांतरित करना : 60 दिवस
 - (3) ट्रांसफॉर्मर को स्थानांतरित करना : 60 दिवस]³

प्रयोजन /उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन

- 7.29 यदि यह पाया जाता है कि कोई उपभोक्ता टैरिफ में गलत श्रेणी में रखा गया है तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उपयुक्त श्रेणी में रखने हेतु कार्यवाही कर सकता है। उपभोक्ता को प्रस्तावित श्रेणी में रखने हेतु तथा सहमत न होने पर एतराज करने हेतु 30 दिवस की नोटिस जारी करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के जबाब पर यदि कोई हो, उपयुक्त विचार कर उपभोक्ता का श्रेणी परिवर्तन कर सकता है। मतभेद होने की स्थिति में प्रकरण उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को सौंपा जा सकता है।
- 7.30 यदि कोई उपभोक्ता अपने उपभोक्ता श्रेणी (केटेगिरी) में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे इस संहिता के संलग्नक 4 में दर्शित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षण में यदि आवेदक का श्रेणी परिवर्तन का आवेदन उपयुक्त पाया जाता है तो निरीक्षण के बाद के बिलिंग

माह के प्रारम्भ से श्रेणी परिवर्तन प्रभावशील किया जायेगा तथा इसकी लिखित पुष्टिकरण उपभोक्ता को भेजी जायेगी।

- 7.31 ¹[प्रारंभिक अनुबंध की 02 वर्ष की अवधि के दौरान उपभोक्ता द्वारा टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन का विकल्प एक बार दिया जा सकेगा उपभोक्ता को ऐसे विकल्प की अनुमति उस माह में जिसमें ऐसा अनुरोध किया गया हो के बाद बिलिंग माह के प्रथम दिवस से अथवा किसी अन्य बाद के माह से दी जा सकेगी, जैसी कि अनुज्ञप्तिधारी के निरीक्षण/सत्यापन के अध्याधीन रहते हुए उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किया जाय। बिलिंग में टैरिफ श्रेणी के परिवर्तन को वास्तविक रूप से प्रभावशील, पूरक अनुबंध को अंतिम रूप दिये जाने के उपरांत और मीटरो की प्रोग्रामिंग में परिवर्तन (यदि आवश्यक हो) संहिता के खण्ड 7.5 में उल्लिखित शर्त के अध्याधीन रहते हुए किया जायेगा।]¹
- 7.32 यदि उपभोक्ता श्रेणी परिवर्तन के आवेदन को उपयुक्त नहीं पाता तो वह उपभोक्ता को निरीक्षण के 10 दिवस के भीतर इसका कारण बतलाते हुए लिखित सूचना देगा।
- 7.33 उस अवधि में जब उपभोक्ता के श्रेणी परिवर्तन का आवेदन लंबित हो उपभोक्ता के विरुद्ध इस आधार पर विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के तहत कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अनुबंध का प्रारम्भ

- 7.34 उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत उपलब्ध होने की सूचना जारी करने के निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में एक माह तथा उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में 3 माह की अवधि समाप्ति के दिन के तुरंत पश्चात अथवा संयोजन की तिथि जो भी पहले हो अनुबंध प्रारम्भ होने की तिथि मानी जायेगी।

अनुबंध की निरंतरता

- 7.35 ²[इसके प्रारंभ की तिथि से करार के दो वर्ष की प्रारंभिक कालावधि के अवसान के पश्चात् अनुबंध, उन्हीं शर्तों एवं निर्बंधनों के आधार पर वर्ष दर वर्ष स्वमेव नियमित होती जायेगी, परंतु यह कि दोनों पक्षकार, इस संहिता के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुये आपूर्ति करार से बाहर नहीं गये हों।]²

अनुबंध की समाप्ति

- 7.36 ²[यदि करार (किसी पूरक करार के भीतर प्रवेश करने के बाद भी) की प्रारंभिक कालावधि के अवसान के पश्चात् उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति, संहिता के अधीन जारी किसी निर्देश के प्रभारों के अदेय या बकाया या गैर अनुपालन हेतु दो माह की कालावधि के लिये असंयोजित रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी, पंद्रह दिवस की विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर परिशिष्ट 6 के अनुसार दिये गये प्रारूप में कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। उपभोक्ता द्वारा असंयोजन के कारण को हटाने के लिये तथा पंद्रह दिवस की कालावधि के अवसान पर विद्युत आपूर्ति के पुनः स्थापन हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने की स्थिति में, विद्युत आपूर्ति करार, असंयोजन के माह के अंतिम दिवस, जिसमें आपूर्ति को असंयोजित किया गया था, समाप्त मानी जायेगी।]²
- 7.37 यदि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि में विच्छेदित होती है तो प्रचलित टैरिफ के आधार पर मांग/न्यूनतम प्रभाव बिल किया जायेगा। यदि उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बिना भुगतान किये दो माह तक कटी रहती है तो अनुज्ञप्तिधारी संलग्नक 6 में दर्शित प्रपत्र में बकाया राशि जमा करने तथा विद्युत आपूर्ति चालू करवाने, अन्यथा मीटर व मीटरिंग उपकरण हटा लिये जाने हेतु 15 दिवस की नोटिस जारी करेगा। यदि उपभोक्ता द्वारा कोई

कार्यवाही नहीं की जाती तो 15 दिवस की पुनः नोटिस देकर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के बिलिंग माह के 6 माह पश्चात या उस माह की अंतिम तिथि जब अनुबंध की आरम्भिक अवधि समाप्त होती है जो भी पहले हो, को मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल लिये जायेंगे।

- 7.38 यदि उपभोक्ता अनुबंध अवधि में पुनः विद्युत आपूर्ति लेने हेतु आता है तो परीक्षण प्रपत्र प्राप्त होने/ विद्युत निरीक्षक के स्वीकृति पश्चात यदि मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल लिये गये हैं तो पुनः स्थापित कर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ किया जायेगा।
- 7.39 घरेलू एकल (सिंगल) फेज गैर घरेलू तथा सड़क बत्ती श्रेणी के उपभोक्ता दो वर्ष की अनुबंध की अवधि में भी संलग्नक 7 में दर्शित प्रपत्र में एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकते हैं।
- 7.40 ²घरेलू सिंगल फेज गैर घरेलू एवं स्ट्रीट लाईट श्रेणी को छोड़कर समस्त उपभोक्ता, किसी पूरक करार के निष्पादन के उपरांत भी, परिशिष्ट-7 में दिये प्रारूप के अनुसार कम से कम एक माह की सूचना देने पर दो वर्ष की प्रारम्भिक कालावधि के अवसान के पश्चात् करार समाप्त कर सकते हैं। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं के अंतिम बिल तैयार करने को आसान बनाने आपसी सहमति की तिथि में विशेष मीटर रीडिंग की व्यवस्था करेगा। मासिक बिल की अंतिम तिथि पर करार समाप्त हो जायेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार अंतिम बिल प्रस्तुत करेगा।

उदाहरण: यदि दिनांक 3 सितम्बर की एक माह की नोटिस, अनुज्ञप्तिधारी को 5 सितम्बर को तामिल किया जाता है और बिलिंग चक्र 30 सितम्बर को पूर्ण होता है तो 31 अक्टूबर को करार समाप्त हो जायेगा। यदि एक माह की नोटिस को 15 सितम्बर को तामिल किया जाता है तो भी करार 31 अक्टूबर को समाप्त हो जायेगा अर्थात् समापन की तिथि, एक माह की नोटिस की कालावधि के अवसान के पश्चात् बिलिंग माह की अंतिम तिथि पर होगी।²

- 7.41 घरेलू सिंगल फेज गैर घरेलू तथा सड़क बत्ती के सिवाय अन्य उपभोक्ता के संयोजन किसी भी कारण से, अनुबंध की प्रारम्भिक अवधि के पूर्व समाप्त करने हो तो उपभोक्ता को अनुबंध की दो वर्ष की शेष अवधि के लिए इस संहिता की कंडिका 7.37 के आधार पर मांग/न्यूनतम प्रभार बिल किया जायेगा।
- 7.42 अनुबंध की समाप्ति की सूचना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयोजन के स्थाई विच्छेदन के पश्चात उपभोक्ता को संलग्नक 8 में दर्शित प्रपत्र में दी जायेगी।
- 7.43 अनुबंध समाप्ति के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में विद्युत आपूर्ति हेतु लगाये गये मीटर/सर्विस तार तथा अन्य उपकरण हटा सकता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के परिसर में ताला लगे होने तथा नोटिस जारी होने के पश्चात भी नहीं खोलने के कारण मीटर, मीटरिंग उपकरण नहीं हटा सके तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर तथा मीटरिंग उपकरण हेतु राशि बिल कर सकता है। स्थाई विच्छेदन के पश्चात यदि उपभोक्ता संयोजन पुनर्जीवित करना चाहता है तो उनका आवेदन नये संयोजन हेतु माना जायेगा तथा सभी बकाया राशि का भुगतान करने के पश्चात ही उस पर विचार किया जायेगा।

विविध

- 7.44 यदि अनुज्ञप्तिधारी की विद्युत आपूर्ति प्रणाली में व्यवधान आता है तो परिस्थितियों के आवश्यकतानुसार विद्युत की आपूर्ति कम की जा सकती है, रुक-रुक कर की जा सकती है या बंद की जा सकती है। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत आपूर्ति प्रणाली के नियमित रख-रखाव हेतु भी,

उचित सूचना देने के पश्चात्, उपभोक्ताओं के विद्युत प्रदाय की पूर्ति कम की जा सकती है, रोक-रोक कर दी जा सकती है या उसे पूरी तरह से बन्द की जा सकती है ।

- 7.45 आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त आदेशों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं की आपूर्ति को, उचित सूचना के उपरान्त, विनियमित (योजनाबद्ध विद्युत कटौती) कर सकता है ।
- 7.46 उपभोक्ता को आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा का उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के हितों के विरुद्ध उपयोग नहीं किया जायेगा तथा सभी उपयोग लागू अधिनियम तथा अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसार ही किये जावेंगे ।
- 7.47 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की जा रही विद्युत ऊर्जा का उपयोग अनुबन्ध में दिये गये प्रावधानों के विपरीत किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा अथवा लाईन का विस्तार परिसर के बाहर नहीं करेगा जब तक कि ऐसे विस्तार/विचलन के लिये अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम आवश्यक स्वीकृति न ली गई हो ।
- 7.48 जब किसी उपभोक्ता की स्थापना को शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से विच्छेदित किया जाता है, तो आपूर्ति का पुनर्संयोजन शासन, विद्युत निरीक्षक या अन्य समुचित प्राधिकारी के अनुमोदन, के उपरान्त तथा पूर्ण:संयोजन शुल्क के भुगतान के बाद किया जायेगा। उपभोक्ता के अस्थायी विच्छेदन की अवधि के दौरान, उपभोक्ता, मांग/न्यूनतम प्रभार के भुगतान के लिये बाध्य होगा।
यदि विद्युत विच्छेदन उपभोक्ता द्वारा अधिनियम, नियम अथवा विनियम के उल्लंघन के कारण न होकर जिला दंडाधिकारी के आदेश पर विधि तथा आदेश (लॉ एंड आर्डर) के कारण किया गया हो तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता से मांग / न्यूनतम प्रभार तथा विच्छेदन व पुनर्संयोजन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 7.49 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति किये गये किसी ऊर्जा को किसी अन्य व्यक्ति को या अन्य परिसर में तब तक प्रदाय नहीं करेगा, जब तक कि उसे आयोग/राज्य शासन से ऊर्जा विक्रय हेतु उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त न हो, या अनुज्ञप्ति लेने से छूट प्राप्ति हो, या उसे फ्रेंचाइजी के रूप में नियुक्त किया गया हो।

अध्याय 8 : मीटरिंग

मीटरों की आवश्यकता

- 8.1 बिना समुचित मापदंड व क्षमता के मीटर के कोई भी नया संयोजन नहीं दिया जायेगा।
- 8.2 सभी उपभोक्ताओं को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसर में उपयुक्त मीटरिंग उपकरण, लोड लिमिटर, छेड़-छाड़ रोधी बॉक्स या अन्य उपकरण स्थापित करना स्वीकार करना होगा एवम् उपभोक्ता को मीटर और संबंधित उपकरणों की स्थापना के लिए इस संहिता की कंडिका 11.64 व 4.24 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के अनुसार उपयुक्त स्थल व जगह प्रदान करना होगा ।
- 8.3 उच्चदाब विद्युत आपूर्ति के प्रकरण में यदि उच्चदाब मीटरिंग तुरंत स्थापित नहीं की जा सकती है तो उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के निम्नदाब की ओर निम्नदाब (एल.टी.) मीटरिंग लगाई जा सकती है । ऐसे प्रकरणों में बिलिंग हेतु विद्युत मात्राओं की गणना, ट्रांसफार्मेशन क्षति हेतु, एल. टी. मीटरिंग में दर्ज मात्रा में 3 प्रतिशत जोड़कर की जावेगी । यह व्यवस्था तीन माहों से

अधिक अवधि तक जारी नहीं रखी जा सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी इन तीन माहों के भीतर ट्रांसफार्मर के उच्चदाब की ओर मीटरिंग प्रणाली स्थापित करने का प्रबंध करेगा।

- 8.4 यदि उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ता को केवल उसके उपयोग के लिये विद्युत आपूर्ति एक अलग स्वतंत्र फीडर पर की जाती तो मीटरिंग की व्यवस्था या तो उपभोक्ता के परिसर में या, यदि आपसी सहमति हो तो, अनुज्ञप्तिधारी के उपकेन्द्र पर की जा सकती है।
- 8.5 अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान में लगाए गए मीटरों की स्थिति की समीक्षा करने हेतु अधिकृत है। तकनीक में विकास के कारण यदि बेहतर गुणवत्तायुक्त मीटर उपलब्ध होते हैं तो उपभोक्ता के परिसर में मीटर स्थापित करने के स्थान की उपयुक्तता की समीक्षा करते हुए इन्हें लगाया जावे। अनुज्ञप्तिधारी, रिमोट मीटरिंग प्रणाली भी तकनीकी आवश्यकताओं अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के परिसर में उच्चतम मांग मीटर, जिसमें उच्चतम मांग एवं टाईम आफ डे रिकार्ड करने संबंधी विशेषताएँ या अन्य अतिरिक्त विशेषताएँ उपलब्ध हो भी लगा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी किसी एक उपभोक्ता के कनेक्शन अथवा उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के समूह के लिये चेक मीटर स्थापित कर सकता है।
- 8.6 निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में यदि बिलिंग मीटर तथा चेक मीटर द्वारा अंकित खपत का अंतर यदि लगातार स्वीकृत सीमा से अधिक आता है तो उपभोक्ता को आवश्यक लिखित सूचना देकर अनुज्ञप्तिधारी बिलिंग मीटर पोल या पिलर बाक्स पर लगाने हेतु स्वतंत्र होगा। ऐसे प्रकरण में जहां ट्रांसफार्मर से सिर्फ एक ही उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय होता है, अनुज्ञप्तिधारी मीटरिंग को उच्चदाब की ओर स्थानांतरित कर सकता है तथा उच्चदाब मीटरिंग से 3 प्रतिषत ट्रांसफार्मेशन हानि घटा कर उपभोक्ता को बिल कर सकता है। ऐसे प्रकरण में मीटर किराया निम्नदाब मीटर का लगेगा।

मीटर का प्रदाय व स्थापना

- 8.7 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नया संयोजन देते समय अथवा आवश्यकतानुसार किसी समय मीटर तथा मीटरिंग उपकरण स्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी मीटर को सही कार्य स्थिति में रखेगा और उपभोक्ता जहां प्रयुक्त हो उसका मासिक किराया आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित विविध शुल्क की दर से भुगतान करेगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी मीटर या मीटरिंग उपकरण को सही कार्य स्थिति में नहीं रख पाता है तो मीटर खराब रहने की अवधि का किराया उपभोक्ता द्वारा देय नहीं होगा।
- 8.8 ⁴उपभोक्ता मीटर आम तौर पर लाइसेंसधारी के स्वामित्व में होगा। कोई भी उपभोक्ता, यदि चाहे तो, लाइसेंसधारी द्वारा अनुमोदित विक्रेता सूची से अपना स्वयं का मीटर/प्रीपेड स्मार्ट मीटर और विनिर्देशों का मीटरिंग उपकरण क्रय कर सकता है और प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले में उपभोक्ता मीटर को सही चालू हालत में बनाए रखेगा। अनुमोदित परीक्षण शुल्क के भुगतान पर लाइसेंसधारी द्वारा मीटर/मीटरिंग उपकरण का शेड्यूल परीक्षण किया जाएगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में, लाइसेंसधारी या अनुमोदित प्रयोगशालाएं, सात दिनों के भीतर मीटर का परीक्षण करेंगी और मीटर को उपभोक्ता परिसर के बाहर स्थापित करेंगी। ऐसे उपभोक्ताओं को मासिक मीटर-किराया देने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ए) स्मार्ट मीटर की स्थापना के बाद, स्थापना तिथि से पहले की अवधि के लिए, स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर, उपभोक्ता पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा।⁴

- 8.9 मीटर सामान्यतः इस तरह से स्थापित किया जावेगा ताकि यह पानी इत्यादि से सुरक्षित रहे और मीटर रीडर द्वारा इसकी रीडिंग बाहर से ही बिना परिसर को खोले या बिना ताला खोले ली जा सके। विशेष अवस्था में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को उपरोक्त वर्णित स्थान से भिन्न स्थान पर स्थापित कर सकता है तथापि इसकी अनुमति लिखित रूप से सहायक यंत्री स्तर या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा दी जावेगी। मीटर बाक्स सामान्यतः जमीन से 1.5 से 2 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जावेगा ताकि मीटर रीडिंग काउण्टर/डिस्प्ले विण्डो आँख की ऊँचाई पर रहे। मीटर की स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से इस संहिता की कंडिका 11.64 के अनुसार उपभोक्ता के संरक्षित परिसर में मुख्य द्वार के समीप, लगाई जानी चाहिए। इस प्रदाय बिन्दु से उपभोक्ता अपनी वायरिंग ले जायेगा।
- 8.10 बहुमंजिला भवन के प्रकरण में मीटर एक जगह सामान्यतः मुख्य प्रवेश द्वार के पास पिलर बाक्स में, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तय किया जायेगा, प्रथमतः (प्रिफरेवली) भूमि तल पर जहां उपयुक्त प्रकाश व हवा का आवागमन हो लगाया जायेगा।
- 8.11 निम्नदाब अस्थाई संयोजन में मीटर पोल पर वितरण लाइन के या सर्विस लाइन के विस्तार बिन्दु पर लगाया जायेगा।
- 8.12 सभी नये कनेक्शनों के मीटरों की स्थापना टेम्पर प्रूफ बाक्स में की जावे। अनुज्ञप्तिधारी, चरण-बद्ध योजना बनाकर ऐसे सभी मीटर, जो वर्तमान में टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित नहीं हैं, को टेम्पर प्रूफ मीटर बाक्स में स्थापित करेगा।
- 8.13 कच्चे मकानों के प्रकरणों में अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटर दीवार पर ठीक तरीके से स्थापित किया जावे और मीटर तक मीटर रीडर की पहुँच सुगम हो। यदि उपभोक्ता अच्छी गुणवत्ता की दीवार मीटर स्थापित करने के लिये उपलब्ध नहीं करा पाता तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी मीटर को पोल पर या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये पिलर बक्से में लगा सकता है।
- 8.14 जब कभी भी कोई नया मीटर स्थापित किया जाएगा (बदलने या फिर नए कनेक्शन के लिए) अनुज्ञप्तिधारी की ओर से इसे उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ठीक तरह से सील किया जाएगा। सील लगाये जाने के कार्य के प्रत्यक्षदर्शी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपने पूरा नाम लिखकर निर्धारित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। मीटर या मीटरिंग प्रणाली की सील, नाम पट्टिकाओं और उन पर खुदे हुए विभेदकारी अंक या चिन्ह किसी भी स्थिति में उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तोड़े, मिटाए, परिवर्तित या बाधित नहीं किये जाएंगे, जब तक दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हों।
- 8.15 उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का होगा। यदि मीटर गुम या चोरी हो जाये तो उपभोक्ता इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में करायेगा तथा विद्युत आपूर्ति की पुनर्स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के खर्च पर नये मीटर की स्थापना होने पर की जायेगी।
- 8.16 ऐसी स्थिति में जहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रभार प्राप्त करने में दिक्कत महसूस कर रहा हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी पूर्व भुगतान (प्री पेड) मीटर लगा सकता है। पूर्व भुगतान की योजना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर पर्याप्त प्रचार प्रसार पश्चात क्रियान्वित करेगा। मीटर सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी अथरिटी (इन्स्टलेषन तथा ऑपरेशन आफ मीटर्स) रेग्युलेशन 2006 (आगे सी. ई.ए. मीटरिंग विनियम) में विनिर्दिष्ट तकनीकी आवश्यकतानुसार होनी चाहिए।

⁴[(ए) लाइसेंसधारी, उन क्षेत्रों, जहां प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की जाती है तथा समय-समय पर संशोधित प्रासंगिक आईएस16444 के अनुसार प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना है, में नए कनेक्शनों के लिए प्रीपेड

स्मार्ट मीटर की उपलब्धता और ऐसे दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करेगा।

- (बी) लाइसेंसधारी/उपभोक्ता, समय-समय पर यथा संशोधित सीईए के प्रासंगिक नियमों/दिशानिर्देशों की तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करेगा।
- (सी) प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली में वास्तविक समय के आधार पर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न ऑनलाइन रिचार्ज मोड के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में क्रेडिट को रिचार्ज करने की सुविधा होगी और न्यूनतम/कम क्रेडिट (नकारात्मक शेष) के मामले में पंजीकृत मोबाइल फोन पर, उपभोक्ता को सूचना/अलर्ट भी भेजा जाएगा। उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा प्रदान की जा रही मल्टी-रिचार्ज सुविधाओं/विकल्पों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अपने प्रीपेड स्मार्ट मीटर खाते को 50/- रुपये के मल्टीपल में रिचार्ज कर सकता है। रिचार्ज राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।
- (डी) प्रीपेड स्मार्ट मीटर, संचारी और एएमआई अनुप्रयोगों के अनुकूल होगा।
परंतु यह कि मीटर में रजिस्ट्रों की पर्याप्त संख्या हो और टाईम ऑफ डे (टीओडी) और केव्हीएच-आधारित टैरिफ एप्लिकेशन की सुविधा हो।
- (ई) टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत शुल्क (जैसे ऊर्जा प्रभार, नियत प्रभार, शुल्क, उपकर, एफपीपीएस आदि) उपभोक्ता की रिचार्ज राशि से प्रतिदिन काटा जाएगा। विद्युत शुल्क के लिए महीने की अंतिम बिलिंग प्रत्येक माह की जाएगी (जैसा कि अधिकतम मांग प्रभार, पावर फैक्टर सरचार्ज/प्रोत्साहन, सौर बिलिंग आदि दैनिक नहीं की जा सकती है) और महीने के अंत में समायोजित किया जाएगा।
- (एफ) स्मार्ट प्री-पेड मीटर के गैर-संचार के मामले में, दैनिक विद्युत शुल्क की गणना, पिछले दर्ज खपत के आधार पर अनुमानित दैनिक खपत के आधार पर की जाएगी। ऐसे सभी मामलों के लिए मीटर को प्रत्येक माह कम से कम एक बार मैनुअल रूप से पढ़ा जाना चाहिए और समुचित विनियमों का अनुपालन करना चाहिए। ऊर्जा खपत से संबंधित डेटा, उपभोक्ता को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं जैसे वेबसाइट और मोबाइल ऐप या एसएमएस आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे प्रीपेड स्मार्ट मीटर से रीडिंग प्राप्त होने के बाद प्रीपेड शेष को, वास्तविक खपत के आधार पर तत्काल अपडेट किया जाएगा।
- (जी) प्री-पेड शेष को 00:00 बजे दर्ज की गई दैनिक आधी रात की खपत के विरुद्ध अद्यतन किया जाएगा, जब भी उपभोक्ता के खाते का शेष (बैलेंस) कम हो जाता है, तो कम शेष (बैलेंस) के कम से कम 3 चरणों में उपभोक्ताओं को रिचार्ज/अलर्ट सूचना शुरू की जाएगी। सिस्टम, हमेशा संबंधित उपभोक्ताओं की औसत मासिक खपत का अनुरक्षण करता है।

(एच) तदनुसार, भेजा जाने वाला एसएमएस “खाते में शेष राशि कम है, कृपया विद्युत आपूर्ति में व्यवधान से बचने के लिए अपने खाते को रिचार्ज करें, यदि पहले ही भुगतान कर दिया गया है तो कृपया इसे अनदेखा करें”, जब खाते की शेष राशि औसत खपत स्तर से नीचे आ जाती है, जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है—

- i) सात दिनों की खपत
- ii) तीन दिनों की खपत
- iii) एक दिन की खपत

यदि उपभोक्ता, अपने प्रीपेड मीटर खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है और उसका शेष (बैलेंस) खत्म हो जाता है, तो मीटर, उपभोक्ता की आपूर्ति काट देगा।

(आई) एएमआई एप्लिकेशन को, मीटर के सफल रिचार्ज के बाद, ऑटो रीकनेक्शन शुरू करना चाहिए, ताकि कनेक्शन तत्काल बहाल हो जाए (केवल अस्थायी डिस्कनेक्शन की अवधि के दौरान लागू)। एएमआई एप्लिकेशन, 60 मिनट में मीटर के सफल रिचार्ज के बाद, ऑटो रीकनेक्शन शुरू कर देता है, किन्तु जहां मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, वहां 6 घंटे से अधिक नहीं।

(जे) लाइसेंसधारी का सॉफ्टवेयर समाधान, समय-समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश के अनुसार टैरिफ लागू करने में समर्थ होगा।

(के) डिस्कॉम द्वारा कुल स्मार्ट मीटर के न्यूनतम 5 प्रतिशत के लिए चेक मीटर स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें किसी भी चल रहे योजना के तहत आगे से अभिनियोजित किये जायेंगे।

(एल) जहां उपभोक्ताओं से अधिक रीडिंग/बिलिंग से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहां चेक मीटर अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा।

(एम) उपभोक्ता के परिसर में पहले से ही सही ढंग से कार्य कर रहे मौजूदा गैर-स्मार्ट मीटर का उपयोग, चेक मीटर के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

(एन) चेक मीटर, कम से कम तीन माह की निरंतर अवधि के लिए स्थापित किए जाएंगे और उसी अवधि के लिए स्मार्ट मीटर की रीडिंग के विरुद्ध प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए, इस प्रकार पंजीकृत रीडिंग की समीक्षा की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी देरी के सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(ओ) इन चेक मीटरों की स्थापना की लागत, उपभोक्ताओं पर नहीं डाली जाएगी, बल्कि बचत से वहन की जाएगी।⁴

मीटरों का मियादी परीक्षण

8.17 अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मीटर के स्थापना के पूर्व उसकी परिपुष्टता से संतुष्ट हो और उस प्रयोजन हेतु वह मीटर का परीक्षण कर सकता है।

- 8.18 अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित समयावधि के अनुसार भी मीटरों का परीक्षण करेगा –
- (अ) एकल फेज मीटर – पाँच वर्ष में एक बार
 - (ब) निम्नदाब 3 फेज मीटर (सी.टी.सहित) यदि हो तो – तीन वर्ष में एक बार
 - (स) उच्च तथा अति उच्चदाब मीटर, मीटरिंग उपकरण सहित – वर्ष में एक बार

मीटरों का बदलना

खराब मीटर का परीक्षण

- 8.19 मीटर की परिशुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को किसी मीटर एवं संबंधित उपकरण का परीक्षण करने का अधिकार होगा और उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने में सहायता उपलब्ध करायेगा। परीक्षण के समय उपभोक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति होगी।
- 8.20 मियादी या अन्य निरीक्षण के समय यदि अनुज्ञप्तिधारी मीटर को सही खपत दर्शित करते नहीं पाता या उपभोक्ता इस संबंध में संलग्नक प्रपत्र 9 में शिकायत करता है तो अनुज्ञप्तिधारी शहरी क्षेत्र में 7 दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन के भीतर मीटर का परीक्षण करेगा। यदि निम्नदाब उपभोक्ता के संयोजन का मीटर खराब पाया जाता है तो शहरी क्षेत्र में 15 दिन व ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिनों के भीतर बदलना चाहिए। उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में मीटर 15 दिवस में बदलना चाहिए।
- 8.21 यदि फिर भी उपभोक्ता मीटर की परिशुद्धता पर शंका जाहिर करता है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक परीक्षण शुल्क सहित मीटर के परीक्षण हेतु आवेदन दे सकता है। अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण फीस सहित आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर परीक्षणशाला में मीटर का परीक्षण करेगा।
- 8.22 परीक्षणशाला में मीटर परीक्षण के सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को मीटर परीक्षण के प्रस्तावित दिवस सूचित करते हुए कम से कम 7 दिन की पूर्व सूचना दी जायेगी ताकि वह व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मीटर परीक्षण के समय उपस्थित रह सके। यदि उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि उपस्थित हों तो उपस्थिति के प्रमाण स्वरूप परीक्षण परिणाम प्रपत्र में उनके हस्ताक्षर लिये जायेंगे। यदि उपभोक्ता उनके प्रतिनिधि उपस्थिति न हो तो अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि व परीक्षणशाला के कर्मचारी परीक्षण परिणाम पत्र में हस्ताक्षर करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी परीक्षण के दो कार्य दिवस के भीतर परीक्षण परिणाम उपभोक्ता को प्रेषित करेगा तथा पावती प्राप्त करेगा। मीटर खराब पाये जाने की स्थिति में परीक्षण परिणाम के आधार पर उपभोक्ता को अधिकतम 6 माह या पिछले परीक्षण / निरीक्षण की तिथि से या उस माह से जब से खपत में काफी कमी आई है जो भी कम हो की अवधि का बिल किया जायेगा।
- 8.23 यदि उपभोक्ता परीक्षण के परिणाम पर एतराज करता है तो वह विद्युत निरीक्षक को परीक्षण परिणाम सूचित करने के एक माह के भीतर प्रतिवेदन दे सकता है जो कि अपने सामने मीटर परीक्षण करा सकते हैं।

विविध

- 8.24 यदि मीटर अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित तकनीकी कारणों से जलता है जैसे कि वोल्टेज में बार-बार बदलाव (फ्लक्चुएशन), ट्रांजिएंट आदि तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर की कीमत नहीं वसूलेगा। यदि मीटर के जलने के कारण उपभोक्ता से संबंधित हो, जैसा कि अनाधिकृत भार में वृद्धि, अतिरिक्त विद्युत का आहरण आदि तो अनुज्ञप्तिधारी मीटर की कीमत वसूल करने अधिकृत होगा।

- 4[(ए) यदि लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित प्रीपेड स्मार्ट मीटर, ओवरलोडिंग या उपभोक्ता के कारण किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसे उपभोक्ता की लागत पर बदला जाएगा।
- (बी) यदि प्रीपेड स्मार्ट मीटर, लाइसेंसधारी के किसी भी तकनीकी कारण, जैसे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, चलायमान आदि के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त हुआ है, तो लाइसेंसधारी, मीटर की लागत प्रभारित नहीं करेगा।
- (सी) यदि मौजूदा उपभोक्ता प्रीपेड कनेक्शन के लिए परिवर्तित हो गया है, जहां पोस्ट-पेड व्यवस्था के तहत मीटर उपभोक्ता के स्वामित्व में है, तो लाइसेंसधारी, मौजूदा मीटर को अपनी लागत पर एक नए मीटर (प्रीपेमेंट सुविधा के साथ) से बदल देगा और उपभोक्ता को पुराना मीटर नहीं लौटायेगा।
- (डी) बिलिंग उद्देश्य के लिए, एएमआईएसपी (एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रस्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर) तत्काल आधार पर प्रतिस्थापन सुनिश्चित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुमान-आधारित दैनिक गणना, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटा और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटा तक सीमित हो।⁴
- 8.25 सी.ई.ए. मीटरिंग विनियम जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो तथा आयोग द्वारा तत्संबंध में जारी आदेश/दिशा निर्देश मीटर के स्थापना तथा संचालन हेतु लागू होंगे।
- 8.26 यदि सी.टी. तथा व्ही.टी. मीटर के भाग होते हैं तो मीटर जहां तक सम्भव हो, (उपकरण) इन्स्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के समीप लगाया जायेगा ताकि द्वैतियिक (सैंकडरी) तार (लीड में) वोल्टेज में कमी को न्यूनतम किया जा सके।
- 8.27 वितरण अनुज्ञप्तिधारी मीटर के परीक्षण संबंधी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रमाणिक मीटर परीक्षणशाला तैयार करेगा या अन्य प्रमाणिक परीक्षणशाला की सेवा प्राप्त करेगा।
- 8.28 उपभोक्ता के मीटर का परीक्षण या तो स्थल पर किया जायेगा अथवा उसे परीक्षण किये गये मीटर से बदला जायेगा। उपभोक्ता के स्थल पर 650 वोल्ट तक के मीटर के परीक्षण में किये मीटर से बेहतर परिपुद्धता वाले प्रमाणिक संदर्भ मीटर उपयोग में लाया जायेगा। 650 वोल्ट से अधिक वोल्ट वाले उपभोक्ता मीटर के परीक्षण में सभी मीटरिंग उपकरण यथा करेन्ट ट्रांसफार्मर (सी.टी.) तथा वोल्टेज ट्रांसफार्मर (व्ही.टी.) सम्मिलित होने चाहिए।
- 8.29 सी.टी. तथा व्ही.टी. की परिपुद्धता श्रेणी संबंधित मीटर की परिपुद्धता श्रेणी से कम नहीं होनी चाहिए। वोल्टेज ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्ही.टी. या कैपेसिटिव व्ही.टी. होना चाहिए।
- मीटर को निम्नलिखित परिपुद्धता श्रेणी की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए –
- | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 650 वोल्ट तक | – | 1.0 या बेहतर |
| 650 वोल्ट से अधिक और 33 किलोवोल्ट तक | – | 0.5S या बेहतर |
| 33 किलोवोल्ट से अधिक | – | 0.2S या बेहतर |

अध्याय 9 : बिलिंग

मीटर वाचन

- 9.1 विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के मीटर वाचन की समयावधि आयोग के अनुमोदन के अनुसार होगी। उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को मीटर वाचन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा।
- जहां तक सम्भव हो मीटर वाचन माह के उसी तिथि को लिया जाये। घरेलू उपभोक्ता के प्रकरण में मीटर वाचन सिर्फ दिन के प्रकाश अवधि में लेनी चाहिए।
- ⁴{परंतु यह कि स्मार्ट मीटर के मामले में, मीटर को प्रत्येक माह कम से कम एक बार दूर से पढ़ा जाएगा। ऊर्जा खपत से संबंधित डेटा, उपभोक्ता को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं जैसे वेबसाइट और मोबाइल ऐप या एसएमएस आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।}
- 9.2 मीटर वाचक / निरीक्षण अधिकारी अपने साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी फोटो परिचय पत्र रखेंगे तथा उसे इस प्रकार पहनेंगे कि वह मीटर रीडिंग के समय दिखाई दे, तथा वे मीटर कार्ड में रीडिंग अंकित करेंगे।
- 9.3 मीटर वाचन हेतु अनुज्ञप्तिधारी मीटर रीडिंग इन्स्ट्रूमेंट (एम आर आई) या अन्य कोई प्रणाली जैसे कि आटोमेटेड मीटर रीडिंग (ए एम आर) या रिमोट मीटर वाचन व्यवस्था का उपयोग कर सकता है। यदि उपभोक्ता इस प्रकार की रीडिंग का रिकार्ड चाहता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मीटर रीडिंग का विवरण उपभोक्ता को उपलब्ध करायेगा।
- 9.4 यह मीटर वाचक की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक संयोजन जहां मीटर वाचन नहीं लिया जा सका, प्रत्येक बंद तथा संदेहास्पद खराब मीटर की सूची प्रति कार्य दिवस के अंत में बनायेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में स्थानीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को, तथा उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वृत्त कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को देगा जो कि बंद/खराब मीटर व मीटरिंग उपकरण तुरन्त बदलने हेतु जिम्मेदार होंगे। अनुज्ञप्तिधारी समय पर बंद व खराब मीटर तथा मीटरिंग उपकरण बदलने तथा खपत के सही आकलन हेतु जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्व (एकाउण्टेबिलिटी) निर्धारित करते हुए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार कर क्रियान्वित करेंगे।

घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा परिसर के परिवर्तन/रिक्त करने की दशा में विशेष मीटर वाचन

- 9.5 कनेक्शन के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह परिसर के परिवर्तन अथवा रिक्त होने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी से संपर्क कर, विशेष मीटर रीडिंग करवाये।
- 9.6 कनेक्शन का स्वामी/उपयोगकर्ता, परिसर के रिक्त होने या उपयोगकर्ता के परिवर्तित होने की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम 7 (सात) दिवस पूर्व लिखित में विशेष मीटर वाचन हेतु आवेदन दे सकता है।
- 9.7 उपभोक्ता के आवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी विशेष मीटर रीडिंग करवाने की व्यवस्था करेगा एवं बिलिंग की दिनांक तक की सभी पूर्व बकाया राशियों को सम्मिलित कर, उपभोक्ता को अन्तिम बिल प्रदाय करेगा।
- 9.8 अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त सेवा के लिये आयोग द्वारा अनुमोदित विविध प्रभारों के अनुसार, युक्ति-युक्त शुल्क ले सकता है।

- 9.9 अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक विशेष (यूनीक) उपभोक्ता क्रमांक आवंटित करे तथा इसको संबंधित उपभोक्ता को सूचित करे। इस विशेष उपभोक्ता क्रमांक में पोल क्रमांक, ट्रांसफार्मर क्रमांक, 11 किलो वोल्ट फीडर (संभरक) क्रमांक, वितरण केन्द्र क्रमांक तथा संभाग क्रमांक निहित हो सकते हैं, और इसे विद्युत बिल में दर्शित किया जायेगा।

बिलिंग

- 9.10 आयोग के प्रचलित विद्युत दर आदेश में दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता के बिल बनाए जायेंगे।

⁴[9.10(ए) प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में, बिलिंग चक्र के दौरान रिचार्ज राशि के विवरण का उल्लेख करते हुए आयोग के प्रचलित टैरिफ आदेश के आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता के लिए देयक (बिल) तैयार किया जाएगा।]⁴

- 9.11 यदि किसी नये उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन महीने के मध्य किसी तिथि से प्रारम्भ होता है तो ऐसी दशा में मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार और/या अन्य इसी प्रकार के नियत प्रभारों की, महीने के जितने दिनों के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदाय किया गया है, के अनुपातिक आधार पर बिलिंग की जावेगी। दर्ज की गई खपत को भी इसी प्रकार, खपत की विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में, अनुपातिक रूप से प्रभारित किया जावेगा। इस कण्डिका के परिप्रेक्ष्य में महीने की अवधि 30 दिवसों की होगी।

- 9.12 यदि किसी कारण से वाचन हेतु मीटर तक पहुंच पाना सम्भव नहीं हो पाता तो मीटर वाचक परिसर में इस आषय का लिखित सूचना पत्र छोड़ेगा कि उपभोक्ता सूचना पत्र में दर्शित तिथि व समय पर वाचन हेतु मीटर उपलब्ध कराए, या स्वयं मीटर वाचन सूचित करे। सूचना के पश्चात भी यदि उपभोक्ता न तो मीटर वाचन सूचित करता है और न ही वाचन हेतु मीटर उपलब्ध कराता है तो अनुज्ञप्तिधारी गत वर्ष के औसत मासिक खपत के आधार पर अंतरकालीन (प्रोव्हीजिनल) बिल करने हेतु स्वतंत्र होगा।

- 9.13 इस प्रकार औसत आधार पर बिल की गई राशि का समायोजन मीटर रीडिंग के आधार पर बिल किये गये आगामी बिलिंग माह/चक्र (साइकिल) में प्रति माह 50 प्रतिशत खपत मानते हुए किया जायेगा। ऐसे अंतरकालीन बिलिंग एक बार में दो से अधिक बिलिंग माह/चक्र जो भी प्रयुक्त हो, से अधिक नहीं होगा। यदि आगामी मीटर वाचन के लिये भी मीटर उपलब्ध नहीं होता तो उपभोक्ता को निर्धारित दिन व समय पर परिसर खुला रखने हेतु सूचना जारी किया जायेगा। यदि सूचना में दर्शित दिन व समय पर वाचन हेतु मीटर उपलब्ध नहीं होता तो 24 घंटे की नोटिस पश्चात विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन किया जा सकता है।

- 9.14 अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को व्यक्तिगत रूप से या डाक से बिल भेज सकता है। उपभोक्ता के निवेदन पर अनुज्ञप्तिधारी रजिस्ट्रीकृत डाक से भी बिल भेज सकता है और उपभोक्ता से इस माध्यम से बिल भेजने का खर्च वसूली योग्य होगा।

- 9.15 अनुज्ञप्तिधारी नगद भुगतान के अंतिम दिवस के कम से कम 7 दिवस पूर्व उपभोक्ता को बिल वितरित करेगा।

बंद व खराब मीटर के प्रकरण में खपत का आकलन

9.16 यदि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर बंद/खराब रहता है तो खपत के आकलन व बिलिंग हेतु मार्गदर्शन निम्नानुसार होंगे –

(ए) यदि जांच (चेक) मीटर भी स्थापित हो –

- (1) यदि मुख्य मीटर बंद हो और जांच मीटर सही कार्यरत हो तो बिलिंग जांच मीटर के अनुसार होगा।
- (2) यदि दोनों मीटर कार्यरत पाये जाते हैं और इन दोनों मीटरों के खपत का अंतर स्वीकार्य सीमा के भीतर होता है तो बिलिंग मुख्य मीटर के द्वारा दर्शित खपत के आधार पर होगा।
- (3) यदि दोनों मीटर कार्यरत हो परंतु इन दोनों मीटरों के खपत का अंतर स्वीकार्य सीमा से अधिक होता है तो दोनों मीटरों का परीक्षण कर बिलिंग मुख्य मीटर द्वारा दर्शित खपत पर प्रतिषत त्रुटि के आधार पर किया जायेगा।

(बी) यदि सिर्फ मुख्य मीटर स्थापित किया गया हो तो खपत का रुझान (ट्रेंड) जानने तथा इस निर्णय पर पहुंचने के लिये कि मीटर कब से खराब हुआ है, पिछले तीन वर्षों या संयोजन की तिथि से जो भी कम हो के खपत की समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। मीटर के बंद/खराब होने की अवधि के सुसंगत (रीजनेवल) खपत के आकलन हेतु निम्न में से कोई तरीका या उनके सम्मिश्रण अपनाया जा सकता है –

- (1) पिछले तीन माह के औसत खपत के आधार पर – यदि इन तीन माहों में मीटर सही कार्यरत रहा हो तथा खपत में एकरूपता हो।
- (2) पिछले एक वर्ष के औसत खपत के आधार पर – यदि पिछले एक वर्ष में मीटर सही कार्यरत रहा हो तथा माहवारी खपत में काफी अंतर पाया गया हो।
- (3) पिछले वर्ष के संबंधित माह के खपत के आधार पर – यदि खपत में मौसम के आधार पर परिवर्तन पाया जाता है और मीटर पिछले वर्ष के संबंधित माह में सही कार्यरत रहा हो।
- (4) यदि मीटर संयोजन तिथि से बंद/खराब रहा हो या संयोजन के पश्चात पर्याप्त अवधि का विष्वसनीय खपत उपलब्ध न हो तो अच्छा मीटर लगाने के पश्चात के तीन माह/बिलिंग चक्र के औसत खपत पर विचार किया जाये।
- (5) संतुलित (बैलेंस) भार के प्रकरण में निरीक्षण/परीक्षण के समय यदि तीन फेज 4 तार निम्नदाब मीटर एक फेज में सही कार्यरत नहीं पाया जाता तथा दो फेज में ही कार्यरत पाया जाता है तब अंकित खपत व मांग को 1.5 के गुणन यथा दो फेज अंकित मांग व खपत में 50 प्रतिषत अधिक जोड़ कर बिल किया जाना चाहिए।
- (6) संतुलित भार के प्रकरण में निरीक्षण/परीक्षण के समय यदि तीन फेज 4 तार निम्नदाब मीटर दो फेज में सही कार्यरत नहीं पाया जाता तथा एक फेज में ही सही कार्यरत पाया जाता है तब अंकित खपत व मांग को 3 के गुणन यथा एक फेज के अंकित मांग व खपत में 200 प्रतिषत जोड़ कर बिल किया जाना चाहिए।
- (7) यदि इलेक्ट्रॉनिक मीटर के स्मरण (मेमोरी) से एम आर आई/ए एम आर के माध्यम से उपयुक्त आंकड़े प्राप्त होते हैं तो उपलब्ध आंकड़ों के अभिकलन (कम्प्यूटेशन) के आधार पर बिलिंग पर निर्णय लिया जायेगा।

- (8) मीटर का परीक्षण कर प्रतिष्ठत त्रुटि का पता लगा कर प्राप्त प्रतिष्ठत त्रुटि के आधार पर बिलिंग किया जाये।
- (9) किये गये आकलन को अभिप्रमाणित करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी अन्य आधार यथा संयोजित भार, कार्यअवधि, लोड फेक्टर उसी प्रकार के अन्य संयोजन के खपत, एक्साइज विभाग द्वारा स्वीकृत उद्योग के उत्पादन के आंकड़ों का उपयोग कर सकता है।

- 9.17 बिलिंग का आधार तथा उसे अंगीकार करने का तर्क उपभोक्ता को बतलाया जाना चाहिए।
- 9.18 ³[बिलिंग का आकलन वास्तविक एम.आर.आई. आंकड़ों, जहाँ ये उपलब्ध हैं, के अनुसार होगी तथा अन्य मामलों में बिलिंग का आकलन, उस माह को सम्मिलित करते हुए जिसमें आकलन किया गया हो 6 माह या वास्तविक समय जब से मीटर सही कार्यरत नहीं पाया गया है जो भी कम हो की अवधि का किया जायेगा तथा मीटर के बदलने तक निरंतर जारी रहेगा।]²
- 9.19 यदि आकलन की अवधि में भार उस अवधि की तुलना में जिसके आधार पर आकलन किया जा रहा है से कम या अधिक हुआ है तो आकलित मांग व खपत भार में परिवर्तन होने के अनुपात में कम या अधिक किया जायेगा।
- 9.20 निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में खराब मीटर पता लगने के दिन से शहरी क्षेत्र में 15 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 दिवस के भीतर बदलनी चाहिए। उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता के प्रकरण में त्रुटि की जानकारी के 15 दिवस के भीतर मीटर बदलना चाहिए।
- 9.21 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 हासपावर व अधिक के 100 प्रतिष्ठत कनेक्शनों के अतिरिक्त एक वर्ष में प्रकाश व पंखे तथा पंप के कम से कम 5 प्रतिष्ठत संयोजन का नमूने के तौर पर जांच किया जाये।

बिद्युत बिल की विषय वस्तु

- 9.22 मीटरयुक्त कनेक्शन के बिल में निम्नलिखित विवरण होंगे :-

- (ए) सर्विस कनेक्शन क्रमांक
- (बी) बिल क्रमांक
- (सी) बिल अवधि
- (डी) उपभोक्ता का नाम और पता
- (ई) पोल क्रमांक, जिससे कनेक्शन दिया गया है
- (एफ) वितरण केन्द्र का नाम, पता और दूरभाष क्रमांक
- (जी) बिल जारी करने की तारीख
- (एच) टैरिफ श्रेणी
- (आई) विद्युत दर, विद्युत शुल्क एवं उपकर की लागू दरें
- (जे) अनुबन्ध/संविदा भार/माँग
- (के) एक फेज अथवा तीन फेज कनेक्शन
- (एल) मीटर की पहचान का विवरण

- (एम) वाचन दिनांक – पूर्व तथा वर्तमान
 - (एन) मीटर वाचन – पूर्व तथा वर्तमान
 - (ओ) आंकलित खपत
 - (पी) राशि जो उपभोक्ता द्वारा जमा है
 - (क्यू) बिल आधार
 - (आर) मीटर किराया
 - (एस) चालू माह के प्रभार – ऊर्जा प्रभार, नियत/मांग प्रभार, न्यूनतम प्रभार, वी.सी.ए. चार्ज, विद्युत शुल्क, उपकर, मीटर किराया, वेल्लिंग/ केपेसिटर अधिभार, सुरक्षा निधि किस्त, रियायत राशि, अन्य यदि कोई हो ।
 - (टी) बकाया विद्युत प्रभार, विलम्बित भुगतान पर अधिभार का बकाया
 - (यू) बिल वितरण प्रभार, यदि लागू हो
 - (व्ही) कुल प्रभार
 - (डब्ल्यू) विलम्ब भुगतान अधिभार
 - (एक्स) भुगतान की अंतिम तिथि ... चेक द्वारा और नगद भुगतान हेतु
 - (वाय) प्राधिकारी जिसके पक्ष में चेक/बैंक ड्राफ्ट जारी किए जाने हैं (बिल के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित किए जाएं)
 - (जेड) सुरक्षा निधि, जो जमा है एवं जो लेना है।
 - (एए) पिछले भुगतान का पुष्टिकरण : भुगतान की राशि व दिनांक
- 9.23 निम्नलिखित जानकारी भी बिल के साथ नत्थी कर अथवा बिल पर छपवाकर अथवा मुद्रांकित की जाकर उपभोक्ता को उपलब्ध कराना होगी :-
- (ए) संग्रहण केन्द्रों के नाम/पते
 - (बी) बिलों के संग्रहण के लिए कार्यालयीन समय
 - (सी) प्राधिकारी का पद तथा पता, जिसको बिल, मीटर, मीटर वाचन, इत्यादि से संबंधित शिकायतों की जा सकती हैं
 - (डी) कोई अन्य संदेश जो कि अनुज्ञप्तिधारी देना चाहे, जैसे – अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भुगतान के बाद रखे जाने वाले बिल के भाग पर, उपभोक्ता से उसका फोन नम्बर (यदि हो तो) दर्शाने का अनुरोध करना । यह जानकारी उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संसूचना के लिए उपयोग की जा सकती है।
- 9.24 बिल में अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, अंतर्विष्ट होगी, जो अनुज्ञप्तिधारी उचित समझे।
- 9.25 उपभोक्ता को दूरभाष/मोबाइल पर मार्गदर्शन तथा जानकारी देने हेतु अनुज्ञप्तिधारी केन्द्र तथा सम्भागीय स्तर पर आवाज पर आधारित शिकायत दर्ज कराने संबंधी सुविधा सहित (व्हाइस बेस्ड कम्प्लेन्ट रिकॉर्डिंग फेसिलिटी) कॉल सेंटर/कंजुमर केयर सेंटर स्थापित करेगा। उपभोक्ता द्वारा अपना संयोजन क्रमांक तथा पता बतलाये जाने पर उसे भुगतान की स्थिति, बकाया राशि की स्थिति, अधिकृत भार, संविदा मांग आदि की जानकारी दी जाये।

पूरक (नियमित बिल के अलावा अन्य) बिल

- 9.26 अतिरिक्त सुरक्षा निधि तथा नियमित मासिक बिल के अतिरिक्त अन्य बिल यथा लेखा परीक्षा (ऑडिट) की वसूली हेतु अलग से (पूरक) बिल जारी किया जायेगा।
- 9.27 विद्युत के प्रतिकूल (प्रीज्युडीषियल) उपयोग के अतिरिक्त अन्य प्रकरण के पूरक बिल के साथ अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को पूरक बिल जारी करने के कारण, आधार तथा बिलिंग अवधि का लिखित विवरण देते हुए भुगतान के लिये 15 दिवस की नोटिस जारी करेगा। विद्युत के प्रतिकूल उपयोग की बिलिंग हेतु इस संहिता की कंडिका 11.10 से 11.26 तथा 11.33 से 11.39 में दर्शित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- उपभोक्ता बिल को स्वीकार कर पूरक बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में पूरक बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।
- 9.28 उपभोक्ता पूरक बिल प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर यदि आवश्यकता हो पूरक बिल संबंधी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगामी 15 दिनों के भीतर भुगतान हेतु 7 दिवस का समय देते हुए प्रेषित किया जायेगा।
- उपभोक्ता बिल को स्वीकार कर पूरक बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में पूरक बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।
- 9.29 उपभोक्ता अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर/पूरक बिल जारी होने के 15 दिवस के भीतर जैसी स्थिति हो, बिल जारीकर्ता अधिकारी को लिखित एतराज यदि कोई हो तो प्रस्तुत कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी सुनवाई का युक्तिसंगत मौका देकर तथा उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक व लिखित आधारभूत तथ्य पर विचार कर जारी किये गये पूरक बिल की समीक्षा/पुष्टि कर 15 दिवस के भीतर प्रतिवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने के कारण दर्शाते हुए उपभोक्ता को भुगतान हेतु 7 दिवस का समय देगा।
- उपभोक्ता इस बिल को स्वीकार कर बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में इस बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।
- 9.30 पूरक बिल की समीक्षा/पुष्टि से असंतुष्ट होने पर उपभोक्ता निम्नदाब संयोजन की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित कार्यपालन अभियंता या समकक्ष तथा उच्च व अति उच्चदाब संयोजन की स्थिति में संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता या समकक्ष या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पदांकित अन्य किसी अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है बशर्ते कि बिल किये गये राशि का 50 प्रतिशत अनुज्ञप्तिधारी को जमा कर उसका दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवेदन के साथ जमा किया जायें
- 9.31 अधिकृत व्यक्ति जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है दोनों पक्षों को सुन कर उपभोक्ता के प्रतिवेदन के 30 दिवस के भीतर अपना निर्णय सूचित करेंगे। सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये वस्तुस्थिति पर समुचित विचार कर स्पष्ट आदेश जारी करेगा। आदेश में उपभोक्ता द्वारा सुनवाई के समय प्रस्तुत तथ्य तथा उसके स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारण भी समाहित होंगे। उपभोक्ता को आवश्यकता होने पर पुनरीक्षित बिल जारी किया जायेगा जो 7 दिवस में भुगतान योग्य होगा।
- उपभोक्ता इस बिल को स्वीकार कर बिल की राशि जमा कर सकता है। निर्धारित तिथि तक भुगतान न होने की स्थिति में इस बिल की राशि आगामी माह के नियमित मासिक बिल में जोड़ी जा सकती है।

- 9.32 यदि अधिकृत व्यक्ति जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है इस निर्णय पर पहुंचता है कि पूरक बिल जारी करने का कोई आधार नहीं बनता या इस संबंध में पूर्व में भुगतान की गई राशि वास्तविक देय राशि से अधिक है, तो शेष राशि उपभोक्ता के खाते में आगामी माह के बिल में वापसी योग्य राशि पर भुगतान के दिवस तक 1 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग पर ब्याज के साथ क्रेडिट किया जायेगा।
- 9.33 यदि उपभोक्ता अधिकृत व्यक्ति जिसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो वह अधिनियम की धारा 42(5) के प्रावधान के तहत निर्मित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम जा सकता है।
- 9.34 अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकारी/कर्मचारी को संयोजन के प्रकार/भार/पूरक बिल की राशि आदि के आधार पर पूरक बिल जारी करने हेतु नामित/अधिकृत कर सकता है।

अध्याय – 10: बिल का भुगतान, विद्युत आपूर्ति का अस्थाई व स्थाई विच्छेदन

बिल का भुगतान

- 10.1 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी किये गये बिल के अनुसार उपयोग किये गये शक्ति (पावर) तथा खपत किये गये ऊर्जा (एनर्जी) का प्रतिमाह भुगतान करेंगे।
- 10.2 ³[अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केंद्रों तथा ऐसे बैंकों जहाँ उपभोक्तागण भुगतान कर सकते हैं, के पते / स्थल तथा कार्यशील घंटे का भरपूर प्रचार, सुनिश्चित करेगा। विभिन्न धन-राशिओं हेतु भुगतान के तरीके सुसंगत वर्ष के टैरिफ आदेश के माध्यम से शासित होंगे।]²
- 10.3 ऐसे दिवसों में, जब संग्रहण केन्द्रों पर अधिक भीड़ हो तो अनुज्ञप्तिधारी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिये अलग से कतार लगाकर भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगा तथा उन्हें प्राथमिकता देगा।
- 10.4 संग्रहण केन्द्रों पर एक से अधिक उपभोक्ताओं के बिल भुगतान करने के इच्छुक उपभोक्ता/उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये। इस सुविधा हेतु अलग खिड़की रखी जायेगी जिससे अन्य उपभोक्ताओं का प्रतीक्षा समय न बढ़े।
- 10.5 ³[रद्द किया जाता है]²
- 10.6 अनुज्ञप्तिधारी, ड्राप बाक्स के माध्यम से भुगतान लेने का प्रबंध करेगा, जिसमें उपभोक्ता केवल आदाता खाता के रेखांकित चेक डाल सकेगा। बिल भुगतान हेतु कतार में खड़े होने से बचने के लिये अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केन्द्रों एवं समय-समय पर अधिसूचित स्थानों पर, ड्राप बाक्स रखेगा। चेक बिल में दर्शित अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के नाम पर लिखा जाना चाहिये। चेक के पीछे सर्विस कनेक्शन क्रमांक, उपभोक्ता का नाम के साथ दूरभाष/मोबाईल क्रमांक, यदि कोई हो, स्पष्ट शब्दों में लिखा जावे। यदि बैंक द्वारा कोई शोधन प्रभार वसूल किया जाता है तो वह राशि उपभोक्ता से पश्चात्वर्ती बिलों में वसूल योग्य होगी।

- 10.7 समस्त उपभोक्ताओं के लिये भुगतान की अंतिम तारीख, बिल जारी किये जाने की तारीख से सामान्यतः 15 (पन्द्रह) दिनों तक की होगी । यदि बिल में वर्णित भुगतान की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश हो तो अगला कार्यदिवस अंतिम तिथि माना जाएगा ।
- 10.8 चेक अस्वीकृत होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता की सुरक्षा राशि बढ़ाने का अधिकार होगा । देर से भुगतान का सरचार्ज लेने सहित अनुज्ञप्तिधारी को चेक के अस्वीकृत होने का शोधन भार लेने और विधि सम्मत अन्य कार्यवाही करने के अतिरिक्त, भविष्य में डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद भुगतान देने का आग्रह करने का अधिकार होगा ।
- 10.9 बिल प्राप्त होने की निर्धारित तिथि तक बिल प्राप्त न होने की दशा में उपभोक्ता बिल जारी करने वाले कार्यालय से सम्पर्क कर बिल की दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है तथा बिल का भुगतान कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी बिल प्राप्त न होने के कारणों का पता लगायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में उपभोक्ता को बिल समय पर प्राप्त होने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।
- 10.10 भुगतान प्राप्त होने के पश्चात रसीद संबंधित उपभोक्ता/उसके प्रतिनिधि को प्रदान की जायेगी ।
- 10.11 उपभोक्ता, आगामी बिलों के भुगतान के लिए अग्रिम के रूप में रकम जमा कर सकता है, जो उत्तरवर्ती माहों के बिलों में समायोजित की जाएगी । तथापि, अग्रिम भुगतान में से सिर्फ नियमित बिलों की राशि का ही समायोजन किया जावेगा । किन्हीं अन्य प्रभारों की राशि का समायोजन करने से पूर्व उपभोक्ता की सहमति प्राप्त की जावेगी । अनुज्ञप्तिधारी, अग्रिम भुगतान के प्रकरणों में टैरिफ आदेश के अनुसार उचित रियायत देगा ।
- 10.12 बिल की गई रकम के भुगतान में चूक करने वाले समस्त उपभोक्ता, आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमोदित दर पर, बकाया राशि पर, विलम्ब भुगतान अधिभार का भुगतान करने को बाध्य होंगे ।
अंतिम तिथि के बाद भुगतान स्वीकार करते समय भुगतान योग्य अधिभार की गणना की जायगी और सामान्य बिल राशि के साथ इस अतिरिक्त राशि का भुगतान लिया जायगा ।
- 10.13 उपभोक्ता द्वारा दिये समस्त भुगतान, प्राथमिकता के निम्नांकित क्रम में समायोजित होंगे:—
(ए) वर्तमान माह के उपभोग पर विद्युत शुल्क और उपकर
(बी) विद्युत शुल्क का बकाया और उपकर का बकाया
(सी) विलम्ब भुगतान अधिभार
(डी) बकाया का शेष, यदि कोई हो
(ई) वर्तमान बिल की राशि ।
- 10.14 **किश्तों में भुगतान की सुविधाएं:**
अनुज्ञप्तिधारी, देय राशि की वसूली के प्रयोजन के लिए किष्ट सुविधा प्रदान करने के लिए एक नीति अधिकथित करेगा। इस नीति में किष्ट सुविधा स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को पदांकित किया जायेगा ।

10.15 विवादित/गलत मासिक बिल :

(ए) बिल रकम के संबंध में किसी आपत्ति की दशा में उपभोक्ता, विद्युत बिल में दर्शाये गये पदांकित अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकेगा। यदि ऐसा व्यक्ति असहमति के अधीन निम्नलिखित राशि का भुगतान करता है तो उसका विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं किया जायेगा :-

- (i) उससे मांगी गई राशि के बराबर राशि, अथवा
- (ii) उपभोक्ता द्वारा भुगतान किये गये पूर्व के 6 माह के औसत प्रभार के आधार पर गणना किये गये प्रत्येक माह के विद्युत प्रभार की राशि ।

अनुज्ञप्तिधारी एवं उपरोक्त के बीच विचाराधीन विवाद के निपटारे तक, इनमें से जो भी कम हो।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में उपलब्ध शिकायत के प्रारूप में पदांकित अधिकारी के पास शिकायत दर्ज की जाएगी । कार्यालय में ऐसे प्रारूप के उपलब्ध न होने की दशा में निम्नलिखित विवरण के साथ एक सादे कागज पर शिकायत की जा सकेगी:-

- (i) उपभोक्ता के नाम और पते के साथ टेलीफोन/मोबाईल नम्बर, यदि कोई हो,
- (ii) सर्विस कनेक्शन क्रमांक
- (iii) कनेक्शन की श्रेणी/प्रयोजन
- (iv) संक्षिप्त में शिकायत का विवरण

पदांकित अधिकारी विवाद को लिखित शिकायत की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 7 (सात) दिनों की कालावधि के भीतर निपटार देगा और यदि कोई कमी हो तो कारण बताते हुए संभाग के प्रभारी अधिकारी व उपभोक्ता को प्रतिवेदन भेजेगा।

(सी) शिकायत की जाँच करने पर यदि बिल त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को भुगतान हेतु पुनरीक्षित अंतिम तारीख दर्शाते हुए, जो कि पुनरीक्षित बिल जारी करने के 7 (सात) दिवसों से कम नहीं हो, सही किया पुनरीक्षित बिल देगा । उपभोक्ता द्वारा जमा की गई अधिक राशि, यदि कोई पाया गया हो का समायोजन पश्चात्पूर्व बिलों में किया जाएगा ।

(डी) यह साबित हो जाने की दशा में कि मूल बिल सही था, तब उपभोक्ता को अतिशेष, यदि कोई हो, का भुगतान विलंब प्रभार के साथ 7 (सात) दिवस के भीतर करने हेतु तदनुसार सूचित किया जाएगा ।

(ई) विवाद पर दिये गये निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया में दर्शाये अनुसार आगे कार्यवाही कर सकता है ।

विधिक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी

10.16 उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी ऐसे उपभोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान हेतु बाध्य होगा। विधिक उत्तराधिकारी तीन माह के भीतर संयोजन अपने नाम पर स्थानांतरित करा लेगा अन्यथा इस संहिता की नियम, षर्त तथा उक्त संयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गये अनुबंध प्रभावशील रहेंगे।

अस्थायी विच्छेदन :

10.17 यदि कोई उपभोक्ता, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के बिना, नियत तिथि तक किसी बिल का पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है तो उपभोक्ता का सर्विस कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया जा सकता है । उपभोक्ता के सर्विस कनेक्शन का विच्छेदन करने से पूर्व

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्पष्ट 15 (पंद्रह) दिवस का लिखित नोटिस दिया जाएगा। घरेलू कनेक्शन को विच्छेद करने के पूर्व यह प्रयास किया जाना चाहिये कि परिवार के बालिग सदस्य को सूचित किया जाए। यदि विच्छेद किये जाने के कारण को दूर करने के प्रमाण से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विच्छेदन के प्रयोजन के लिए तैनात कर्मचारी को संतुष्ट कर दिया जाता है तो आपूर्ति का विच्छेदन नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 में दिए प्रावधानों का अनुज्ञप्तिधारी कड़ाई से पालन करेगा।

⁴[10.17(ए) प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में, यदि उपभोक्ता अपने प्रीपेड मीटर खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है और उसका शेष (बैलेंस) शून्य हो जाता है, तो मीटर, गैर-कार्यालयीन समय (शाम 5:30 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे या छुट्टियों/राजपत्रित छुट्टियों/स्थानीय छुट्टियों) को छोड़कर, उपभोक्ता की आपूर्ति काट देगा। उपभोक्ता को असुविधा से बचाने के लिये कनेक्शन काटने की प्रक्रिया, तत्काल अगले कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ही निर्धारित की जाएगी, (जब तक कि लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक बार वास्तविक समय के आधार पर पुनः कनेक्शन चालू नहीं किया जाता है)। शून्य शेष पर, विच्छेदन (डिस कनेक्शन) को अस्थायी विच्छेदन (टेम्पररी डिस कनेक्शन) माना जाएगा।]⁴

10.18 किसी उपभोक्ता द्वारा देय राशि, जब यह पहली बार जिस तिथि से देय हुई उससे दो वर्ष के बाद, वसूली-योग्य नहीं होगी और अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का विच्छेद नहीं करेगा, जब तक कि ऐसी राशि, प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों की बकाया राशि के रूप में, लगातार वसूली योग्य दर्शाई न जाती रही हो।

10.19 अस्थायी विच्छेदन के पश्चात्, आपूर्ति तभी शुरू की जाएगी, जब उपभोक्ता बकाया प्रभार/देय/किस्त की रकम, कनेक्शन काटने – जोड़ने के प्रभारों सहित भुगतान कर देता है।

⁴[10.19(ए) प्रीपेड स्मार्ट मीटर के मामले में, अस्थायी विच्छेदन (टेम्पररी डिस कनेक्शन) के बाद, उपभोक्ता को, शून्य/नकारात्मक शेष राशि के विवरण के साथ एसएमएस/व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से सूचित किया जाएगा।

अस्थायी विच्छेदन (टेम्पररी डिस कनेक्शन) के मामले में, उपभोक्ता, मीटर को रिचार्ज कर सकता है और लागू अधिभार के साथ विद्युत की आपूर्ति बहाल कर सकता है। उपभोक्ता, अपने प्रीपेड मीटर खाते को मोबाइल एप्लिकेशन, वेब एप्लिकेशन या लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे यूपीआई, ई-वॉलेट, वी-वॉलेट, वेब पोर्टल आदि के माध्यम से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकता है। मीटर के सफल रिचार्ज के बाद, एएमआई एप्लिकेशन को, ऑटो रीकनेक्शन शुरू करना चाहिए।]⁴

10.20 यह अनुज्ञप्तिधारी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि भुगतान न होने की स्थिति में बिना अस्थायी विच्छेदन के अधिकतम तीन माह की युक्तिसंगत अवधि से अधिक न रहे। अनुज्ञप्तिधारी के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान न होने के सभी प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाये तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अस्थायी विच्छेदन, तत्पश्चात् स्थायी विच्छेदन हेतु समयबद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

उपभोक्ता के निवेदन पर अस्थाई विच्छेदन—

- 10.21 यदि उपभोक्ता अपना कनेक्शन अस्थाई रूप से छः माह तक की अवधि हेतु विच्छेदित करवाना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा। संयोजन के अस्थाई विच्छेदन की अवधि के लिए उपभोक्ता ऐसे सभी मासिक नियत प्रकार के प्रभारों जैसे मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार, मीटर किराया आदि का अग्रिम भुगतान करने को बाध्य होगा। अस्थाई विच्छेदन की सुविधा को प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता विच्छेदन संयोजन प्रभार का भुगतान करने को भी बाध्य होगा। उपभोक्ता के लिखित निवेदन पर अस्थाई विच्छेदन की अवधि आवश्यक प्रभारों के अग्रिम भुगतान करने पर बढ़ाई जा सकती है।

स्थाई विच्छेदन तथा अनुबंध की समाप्ति —

- 10.22 ²[(ए) अस्थायी असंयोजन के पश्चात् उपभोक्ता आपूर्ति के पुनः संयोजन को प्राप्त करने तक नहीं आने की दशा में, देय बकाया के भुगतान करते हुए, इस संहिता के विनियम 7.36/7.37 में कथन किये गये अनुसार, जहां भी लागू हो, प्रक्रिया का पालन करते हुये करार की समाप्ति के पश्चात् संयोजन को स्थायी रूप से असंयोजित कर दिया जायेगा।
- (बी) अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता के संयोजन के स्थायी असंयोजन के संबंध में उसके आपूर्ति क्षेत्र के भीतर उसी उपभोक्ता के अन्य विद्यमान विद्युत संयोजन से पुरानी विद्युत बकाया की वसूली का हकदार होगा।]²
- ⁴[(सी) यदि उपभोक्ता, खंड 10.17(क) और 10.19(क) में वर्णित अनुसार, अस्थायी विच्छेदन (टेम्पररी डिस कनेक्शन) के बाद, अपने खाते को रिचार्ज नहीं करता है, तो मासिक न्यूनतम शुल्क या आयोग द्वारा नियत किए गए किसी अन्य समान शुल्क की प्रयोज्यता के कारण खाता, नकारात्मक शेष तक पहुंच सकता है, भले ही उपभोक्ता द्वारा कोई विद्युत खपत न की गई हो।
- (डी) खाते को रिचार्ज करने के लिए, सूचना/अलर्ट को, नोटिस के रूप में माना जाएगा और लाइसेंसधारी, बिना किसी अग्रतर सूचना के, उपभोक्ता द्वारा खाते को रिचार्ज करने में असफल होने पर, आपूर्ति बंद कर सकता है। उपभोक्ता को आपूर्ति उस अवधि के लिए बाधित रहेगी, जब तक उपभोक्ता द्वारा अनुमत समय सीमा के भीतर संबंधित राशि का रिचार्ज नहीं कर लिया जाता है।
- (ई) मासिक न्यूनतम प्रभार/नियत प्रभार या आयोग द्वारा नियत किए गए किसी भी अन्य शुल्क की वसूली के लिए पर्याप्त राशि के साथ रिचार्ज करने के बाद ही, अस्थायी विच्छेदन (टेम्पररी डिस कनेक्शन) को, प्रचलित आपूर्ति संहिता में विनिर्दिष्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर संशोधन सहित बहाल किया जा सकता है, भले ही अस्थायी विच्छेदन के दौरान उपभोक्ता द्वारा कोई उपभोग न किया गया हो।
- (एफ) यदि उपभोक्ता, संशोधनों सहित प्रचलित आपूर्ति संहिता में विनिर्दिष्ट निर्धारित समय अवधि के भीतर, खाते को रिचार्ज करने में असफल रहता है, तो कनेक्शन, स्थायी रूप से काट दिया जाएगा, और मीटर को उपभोक्ता परिसर से भौतिक रूप से हटा दिया जाएगा।
- (जी) स्थायी विच्छेदन (परमानेंट डिस कनेक्शन) के बाद, ऐसे उपभोक्ता का नवीन कनेक्शन, मूल संहिता और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार होगा।]⁴

असंयोजित निम्नदाब औद्योगिक तथा उच्चदाब कनेक्शन –

- 10.23 ²[एलटी औद्योगिक/एचटी एवं ईएचटी उपभोक्ता, जो यथास्थिति, एक माह/3 माह सूचना अवधि के अवसान के पश्चात भी कनेक्शन का उपयोग नहीं सका हो, की दशा में, उपभोक्ता के परिसर तक आपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में, उपभोक्ता, संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधानों के अनुसार मांग/नियत प्रभारों में प्राप्य करेगा। जब उपभोक्ता, अपने तत्परता के पश्चात कनेक्शन के उपयोग तक आता है, पहले किये गये बिलिंग, पुनरीक्षित बकाया देय के समाशोधन के पश्चात दिये गये कनेक्शन तथा करार के प्रारंभ होने की तारीख से वास्तविक संविदात्मक भार/मांग अनदेखा करते हुए कम किये गये भार/मांग के अनुपालन के आधार पर पुनरीक्षित की जा सकती है। करार की अवधि में, उस अवधि के समतुल्य वृद्धि की जायेगी जिसके लिए कम किये गये भार/मांग के आधार पर बिलिंग किया गया है।

50 हा.पा. तक एलटी उद्योगों के लिए	—	10 हा.पा.
50 हा.पा. से अधिक एलटी उद्योगों के लिए	—	20 हा.पा.
33 एवं 11 कि.वो. एचटी कनेक्शन के लिए	—	60 कि.वो.ए.
132 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	—	संविदात्मक मांग या 4000 कि.वो.ए. जो भी कम हो
220 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	—	संविदात्मक मांग या 15000 कि.वो.ए. जो भी कम हो

- 10.24 यदि उपभोक्ता कंडिका 10.23 में दर्शित उपरोक्त अनुबंध अवधि में संयोजन प्राप्त नहीं करता तो अनुबंध समाप्त होने की तिथि से बिलिंग बंद कर दी जायेगी। वास्तविक भार/मांग को छोड़ कर इस संहिता की उपरोक्त कंडिका 10.23 में दर्शित कम भार/मांग के आधार पर बिलिंग में संशोधन किया जायेगा।
- 10.25 यदि उपभोक्ता अनुबंध अवधि पूर्ण होने के पश्चात संयोजन लेने हेतु आता है तो उसे नया संयोजन माना जायेगा तथा बकाया राशि यदि कोई हो के भुगतान पश्चात तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

विच्छेदित निम्नदाब औद्योगिक तथा उच्चदाब उपभोक्ता

- 10.26 यदि निम्नदाब औद्योगिक/उच्चदाब उपभोक्ता का विद्युत आपूर्ति अनुबंध अवधि में विच्छेदित हो जाता है तो मांग/स्थिर प्रभार संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार बिल किया जायेगा। यदि उपभोक्ता बिना भुगतान के 2 माह की अवधि तक विच्छेदित रहता है तो, उपभोक्ता को संलग्नक 6 में दर्शित प्रपत्र में बकाया राशि के भुगतान कर आपूर्ति पुनः चालू कराने, अन्यथा मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल दिये जाने बावत् 15 दिवस की नोटिस जारी की जायेगी। यदि उपभोक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो 15 दिवस की पुनः नोटिस देकर विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के बिलिंग माह के 6 माह पश्चात या उस माह की अंतिम तिथि जब अनुबंध अवधि समाप्त होती है जो भी पहले हो को मीटर तथा मीटरिंग उपकरण निकाल लिया जायेगा।
- 10.27 यदि उपरोक्त कंडिका 10.26 में दर्शित उपभोक्ता अनुबंध अवधि के भीतर विद्युत आपूर्ति लेने आता है और यदि मीटर या मीटरिंग उपकरण हटा लिये गये हैं तो नया परीक्षण प्रपत्र/विद्युत निरीक्षक के स्वीकृति जमा करने पर, पुनः लगा कर संयोजन प्रदान किये जायेंगे।
- 10.28 ²[उपरोक्त विनियम 10.26 में उल्लिखित उपभोक्ता की दशा में, करार अवधि के अवसान तक आपूर्ति के उपयोग तक नहीं आता है तो बिलिंग, करार अवधि के अवसान तक असंयोजन (डीसकनेक्शन) की तारीख से वास्तविक संविदात्मक भार/मांग अनदेखा करते हुए कम किये

गये भार/मांग के अनुपालन के आधार पर पुनरीक्षित की जायेगी तथा उत्तरवर्ती बिलिंग बंद कर दी जायेगी।

50 हा.पा. तक एलटी उद्योगों के लिए	—	10 हा.पा.
50 हा.पा. से अधिक एलटी उद्योगों के लिए	—	20 हा.पा.
33 एवं 11 कि.वो. एचटी कनेक्शन के लिए	—	60 कि.वो.ए.
132 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	—	संविदात्मक मांग या 4000 कि.वो.ए. जो भी कम हो
220 कि.वो. ईएचटी कनेक्शन के लिए	—	संविदात्मक मांग या 15000 कि.वो.ए. जो भी कम हो

- 10.29 (i) यदि उपभोक्ता, अनुबन्ध अवधि के अवसान पश्चात आपूर्ति के उपयोग हेतु आता है तो नवीन कनेक्शन के रूप में समझा जायेगा तथा बकाया देय, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात, तदनुसार, निराकृत किया जायेगा।
- (ii) इसके अतिरिक्त, संबंधित फीडर के माध्यम से आपूर्ति का उपयोग करने वाले उपभोक्ता की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी सब-स्टेशन एवं संबंधित लाइन में खण्ड (Bay) का उपयोग अपने स्वयं के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा, यदि उपभोक्ता, अनुबन्ध की समाप्ति/स्थायी असंयोजन (डिसकनेक्शन) की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आपूर्ति के उपयोग हेतु नहीं आता है। ऐसी शर्तों के अधीन उपभोक्ता, खण्ड (Bay) और समर्पित लाइन की लागत वहन करेगा। यदि लाइन एवं खण्ड (Bay), उपलब्ध है और शेष उपयोग नहीं किया गया है तो उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को उसके उपांतरण/ सुधार की लागत का भुगतान करेगा और अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे लाइन उपकरणों के उपयोग न किये गये अवधि के लिए संधारण प्रभार का भुगतान करेगा।
- 10.30 देय बकाये रखते विद्युत कनेक्शन के स्थायी असंयोजन (डिसकनेक्शन) पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस संहिता के प्रावधानों के संबंध में अन्य उपचारों को प्रयोग करने हेतु उसके अधिकार के प्रतिकूलता के बिना, ऐसे देय बकाये की वसूली के लिए छत्तीसगढ़ शासन विद्युत उपक्रम (बकाये की वसूली) अधिनियम, 1961 (क्र.36 सन् 1961) का अनुपालन करेगा।²

अध्याय 11: विद्युत प्रदाय का प्रतिकूल उपयोग

- 11.1 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत की चोरी तथा अनाधिकृत उपयोग तथा विद्युत संयन्त्रों, लाइनों, उपकरणों तथा मीटरों को छेड़-छाड़, खतरे में डालने, क्षति पहुँचाने से रोकने हेतु आवश्यक कदम उठायेगा।
- 11.2 उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई विद्युत आपूर्ति का ऐसी रीति से उपयोग नहीं करेगा जिसके लिए वह अधिकृत न हो, या जो अधिनियम व इस संहिता के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के हितों के प्रतिकूल हो।

उपभोक्ता परिसर तक पहुँच

- 11.3 अनुज्ञप्तिधारी या उसके अधिकृत व्यक्ति विद्युत के अनाधिकृत उपयोग, उपकरणों में अनाधिकृत परिवर्धन (एडीषन) व परिवर्तन (आल्टरेषन) विद्युत की चोरी तथा दुरुपयोग, विद्युत के दूसरे स्थल में उपयोग, मीटर से छेड़छाड़ व बाईपास की जांच करने तथा सामान्य निरीक्षण व परीक्षण हेतु उपभोक्ता को सूचित करने के तुरन्त पश्चात परिसर में प्रवेश करने हेतु अधिकृत हैं।

विद्युत के अनाधिकृत उपयोग, उपकरणों में अनाधिकृत परिवर्धन व परिवर्तन, विद्युत की चोरी तथा दुरुपयोग, विद्युत के दूसरे स्थल में उपयोग, मीटर से छेड़छाड़ या बाईपास पाये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम तथा इस संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर सकता है।

- 11.4 किसी भी घरेलू स्थल या घरेलू परिसर का निरीक्षण, परीक्षण तथा जांच उस परिसर में रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य की उपस्थिति के सिवाय सूर्यास्त व सूर्योदय के मध्य नहीं करना चाहिए।
- 11.5 यदि उपभोक्ता उपरोक्त कंडिका 11.3 में दर्शित प्रयोजन हेतु अनुज्ञप्तिधारी को परिसर में प्रवेश हेतु समुचित सुविधा प्रदान नहीं करता तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत विच्छेदन हेतु 24 घंटे की नोटिस जारी कर सकता है। इसके पश्चात भी यदि उपभोक्ता पहुंच उपलब्ध नहीं कराता तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित करने हेतु अधिकृत होगा।
- 11.6 अनुज्ञप्तिधारी का निरीक्षण दल जो कि किसी अधिकारी के नेतृत्व में होगा अपने साथ फोटो पहचान पत्र रखेंगे। परिसर में प्रवेश के पहले फोटो पहचान पत्र उपभोक्ता को दिखलाया जाना चाहिए।
- 11.7 निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण दल के सदस्य तथा उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। यदि उपभोक्ता रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो यह निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित करना चाहिए तथा इसकी एक प्रति उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि जो स्थल पर उपस्थित हो को तुरन्त प्रदान कर उसकी पावती ली जायेगी। यदि उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा रिपोर्ट स्वीकार करने या पावती देने से इंकार किया जाता है तो निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति परिसर के भीतर/बाहर स्पष्ट दर्शित स्थल पर चस्पा कर फोटोग्राफ लिया जायेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट की एक प्रति उपभोक्ता को निरीक्षण दिवस या उसके अगले दिवस रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जायेगी।

विद्युत का अनाधिकृत उपयोग

- 11.8 विद्युत के अनाधिकृत उपयोग का तात्पर्य विद्युत का उपयोग –
 - (i) किसी कृत्रिम साधन से या
 - (ii) ऐसे साधनों द्वारा जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किये गये या
 - (iii) छेड़खानी किये गये मीटर से या
 - (iv) जिस प्रयोजन के लिये विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया है उससे भिन्न प्रयोजन से है।

अतः उपरोक्त (ii) में निम्नलिखित समाहित है –

 - (ए) जिस परिसर या क्षेत्र के लिये विद्युत का उपयोग प्राधिकृत किया गया है उससे भिन्न परिसर या क्षेत्र में उपयोग
 - (बी) मीटर के स्थापना स्थल में परिवर्तन

खपत का आकलन

- 11.9 यदि किसी स्थान या परिसर का निरीक्षण करने पर या उपकरण, गजेट्स, मशीन या यंत्र का संयोजन या उपयोग करते पाये जाने पर या किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये रिकार्ड के निरीक्षण के आधार पर यदि आकलनकर्ता अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संबंधित व्यक्ति विद्युत के अनाधिकृत उपयोग में लिप्त है तो वह अपने सर्वोत्तम विवेक से ऐसे व्यक्ति

- या अन्य व्यक्ति जो कि ऐसे उपयोग से लाभान्वित हुए हैं द्वारा संबंधित अवधि के पूर्व भुगतान का समायोजन कर देय विद्युत बिल की राशि का अंतरकालीन (प्रोव्हीजिनल) आकलन करेगा।
- 11.10 आकलनकर्ता/अधिकृत प्राधिकारी विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के पूर्ण काल का बिल तैयार करेगा। यदि इस काल का आकलन न हो सके तो यह निरीक्षण दिवस के पूर्व अधिकतम 12 माह तक की अवधि का होगा।
- 11.11 यदि संयोजन प्रदान किये एक वर्ष से कम अवधि हुआ है या संयोजन की पिछले एक वर्ष की अवधि में जांच की गई है तो आकलन की अवधि कनेक्शन प्रदान करने की तिथि से या कनेक्शन जांच करने की तिथि से जो भी कम हो, होगी।
- 11.12 आकलन निरीक्षण के समय पाये गये उपयोग से संबंधित श्रेणी के उपभोक्ता के लिये लागू टैरिफ के दो गुना दर पर किया जायेगा।
- 11.12(ए) ³[यदि 25% या उससे कम भार का उपयोग उस उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य के लिये किया जाता है जिसके लिये कनेक्शन हासिल किया गया है, तब उपयोग किये गये उद्देश्य हेतु आनुपातिक देयकांकन (प्रोपोर्शनेट बिलिंग) किया जा सकता है। देयकांकन कंडिका 11.12 के अनुसार किया जा सकता है।]³
- 11.13 यदि मीटर द्वारा अंकित खपत सही पाया जाता है और उस पर कोई मत भिन्नता नहीं है तो मीटर द्वारा दर्शित खपत पर प्रयुक्त योग्य टैरिफ के दुगने दर से बिल किया जायेगा।

अंतरकालीन (प्रोविजनल) तथा अंतिम आकलन

- 11.14 वितरण कम्पनी में निम्नलिखित अधिकारी राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना (रूल्स) में अंतरकालीन (प्रोविजनल) तथा अंतिम आकलन हेतु अधिकृत किये गये हैं जो कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं—
- (1) सहायक इंजीनियर पद के अधिकारी — 15 किलोवाट तक के निम्नदाब संयोजन
 - (2) कार्यपालन इंजीनियर पद के अधिकारी — 15 किलोवाट से अधिक के सभी निम्नदाब संयोजन
 - (3) अधीक्षण इंजीनियर या उच्च पद के अधिकारी — सभी उच्च व अति उच्चदाब संयोजन
यदि उच्चाधिकारी द्वारा स्वयं परिसर का निरीक्षण किया गया है तो ऐसे उच्चाधिकारी उपरोक्तानुसार आकलनकर्ता अधिकारी के अधिकार का उपयोग करेंगे।
- 11.15 अंतरकालीन आकलन के आदेश उस स्थल के अधिवासी या आधिपत्यधारी या स्थल/परिसर के प्रभारी को निरीक्षण के 3 कार्य दिवस के भीतर नियम (रूल्स) में दर्शाये गये तरीके के अनुसार रजिस्ट्रीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रदान कर पावती ली जायेगी।
- 11.16 वह व्यक्ति जिसे उपरोक्त कंडिका 11.15 के अनुसार अंतरकालीन आकलन का बिल भेजा गया है, ऐसे आकलन को स्वीकार कर आकलित राशि के बिल प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर भुगतान कर सकता है।
- 11.17 वह व्यक्ति जिसे उपरोक्त कंडिका 11.15 के अनुसार नोटिस जारी की गई है, अंतरकालीन आकलित बिल प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर राज्य शासन द्वारा नियम (रूल्स) में अधिकृत अधिकारी को लिखित एतराज प्रस्तुत कर सकता है, जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तिसंगत

मौका देकर अंतरकालीन आकलन आदेश के दिन से एक माह के भीतर अंतिम आकलन आदेश जारी करेंगे।

- 11.18 सुनवाई के समय आकलनकर्ता अधिकारी उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक तथ्य पर विचार कर यह दर्शित करते हुए स्पष्ट आदेश जारी करेगा कि विद्युत के अनाधिकृत उपयोग साबित होता है या नहीं। आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सारांश, उपभोक्ता द्वारा सुनवाई के समय प्रस्तुत मौखिक व लिखित तथ्य तथा उसके स्वीकार या अस्वीकार किये जाने के कारण समाहित होने चाहिए।
- 11.19 वह व्यक्ति जिसे अंतिम आकलित आदेश जारी किया गया है ऐसे आकलन को स्वीकार कर अनुज्ञप्तिधारी से आकलित आदेश प्राप्त करने के 7 दिवस के भीतर राशि जमा कर सकता है।
- 11.20 अंतिम आकलित बिल के प्रदान करने के 7 दिवस के भीतर भुगतान न होने की स्थिति में 15 दिवस की नोटिस जारी कर संयोजन विच्छेद कर दिया जायेगा जो कि तब तक पुनर्संयोजित नहीं किया जायेगा जब तक आकलित राशि का भुगतान नहीं किया जाता। भुगतान न होने की स्थिति में उक्त राशि आगामी मासिक बिल में बकाया राशि के रूप में दर्शित कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

अंतिम आकलन के विरुद्ध अपील

- 11.21 कोई व्यक्ति जो अंतिम आकलन आदेश से असंतुष्ट हो अंतिम आदेश के 30 दिवस के भीतर राज्य शासन द्वारा नियम में अधिकृत अपीलेट प्राधिकारी को अपील कर सकता है, बशर्ते कि अंतिम आकलित राशि के 1 प्रतिशत फीस जो कि कम से कम ₹.500/- अधिकतम ₹. 10,000/- जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाये सहित अंतिम आकलित राशि का 50 प्रतिशत अनुज्ञप्तिधारी का जमा कर उसका दस्तावेजी प्रमाण अपील के साथ प्रस्तुत करे।
- 11.22 वितरण कम्पनी के निम्नलिखित अधिकारी राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना (रूल्स) में अपीलेट प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किये गये हैं जो कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा संशोधित किये जा सकते हैं—
 - (i) अगला उच्चाधिकारी – कार्यपालन इंजीनियर – 15 कि.वा. तक सभी निम्नदाब संयोजन
 - (ii) अगला उच्चाधिकारी— अधीक्षण इंजीनियर— 15 कि.वा. से अधिक सभी निम्नदाब संयोजन
 - (iii) अगला उच्चाधिकारी – मुख्य इंजीनियर – सभी उच्च व अति उच्चदाब संयोजन
यदि उच्चाधिकारी द्वारा परिसर का स्वयं निरीक्षण किया गया हो व अंतिम आकलन आदेश जारी किया गया हो तो ऐसे अधिकारी का अगला उच्चाधिकारी अपीलेट प्राधिकारी होगा।
- 11.23 अपीलेट प्राधिकारी दोनों पक्षों को सुन कर अपील स्वीकार करने के 30 दिवस के भीतर उपयुक्त आदेश जारी करेगा, तथा आदेश की प्रति आकलनकर्ता अधिकारी व आवेदनकर्ता को प्रेषित करेगा। अपीलेट प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा तथा आगे अपील योग्य नहीं होगा।
- 11.24 अपीलेट प्राधिकारी के आदेश के अनुसार उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी किया जायेगा जो कि 7 दिवस के भीतर भुगतान योग्य होगा। यदि उपभोक्ता उपरोक्त अपीलेट प्राधिकारी के आदेश समेत बिल जारी करने के 7 दिवस के भीतर भुगतान नहीं करता तो 15 दिवस की नोटिस जारी करने के पश्चात विद्युत संयोजन विच्छेद कर दिया जायेगा और तब तक पुनर्संयोजित नहीं होगा जब तक राशि का भुगतान न कर दिया जाये। भुगतान न किये जाने

की दशा में उक्त राशि आगामी माह के नियमित बिल में बकाया राशि के रूप में जोड़ दिया जायेगा तथा वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।

- 11.25 जब कोई व्यक्ति आकलित राशि का भुगतान नहीं करता तो वह आकलित आदेश के 30 दिवस के पश्चात आकलित राशि सहित अधिनियम की धारा 127 के प्रावधान के अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रति 6 माह में एकजाई (कम्पाउण्डेड) ब्याज का भी देनदार होगा।
- 11.26 यदि अपीलेंट प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचता है कि विद्युत के अनाधिकृत उपयोग का कोई आधार नहीं बनता, तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्संबंध में उपभोक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी तथा अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रति 6 माह में एकजाई (कम्पाउण्डेड) आगामी माह के बिल में समायोजन तक की अवधि के ब्याज सहित वापस की जायेगी। अपीलकर्ता 16 प्रतिशत, प्रति 6 माह में एकजाई (कम्पाउण्डेड) की दर से जब तक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जाता तब तक की अवधि के ब्याज सहित जमा की गई राशि नगद रूप से मांग सकता है।

अनुबंध से अधिक भार/अधिकतम मांग

- 11.27 उपभोक्ता के भार में वृद्धि/संविदा मांग से अधिक मांग के प्रकरण पर संबंधित टैरिफ आदेश के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 11.28 जहां एक ही क्षमता के दो मोटर एक ही डेलीवरी पाइप से ऐसे जुड़े हों कि एक बार में एक ही मोटर का उपयोग हो सकता हो अर्थात् जब एक मोटर आकस्मिक स्थिति के लिये लगाया गया हो तो ऐसे प्रकरण में बिलिंग हेतु एक ही मोटर को आधार बनाया जायेगा।

विद्युत की चोरी

- 11.29 अधिनियम की धारा 135 में विद्युत चोरी के बारे में यह बतलाया गया है कि जो कोई भी बेईमानी पूर्वक—
- किसी अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता जैसा भी मामला हो, के शिरोपरि भूमिगत अथवा जलगत लाइनों या परिवेषण तार (केबल) या सर्विस लाइन या सेवा सुविधाओं से अपकर्षण या संयोजन करेगा अथवा ऐसा करवायेगा अथवा
 - मीटर से छेड़खानी (विकृत) करेगा या विकृत मीटर स्थापित या प्रयुक्त करेगा, करेंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर, लूप संयोजन अथवा किसी अन्य साधनों या विधि से जिसके द्वारा विद्युत धारा का त्रुटि होने व उचित अंकन, परिगणना अथवा मापन में हस्तक्षेप करता है या अन्यथा जिसका परिणाम ऐसी रीति में विद्युत चोरी या उसका अपव्यय होता हो अथवा
 - विद्युत के उचित व त्रुटिहीन मापन में हस्तक्षेप करते हुए विद्युत मीटर, यंत्र उपकरण, या तारों को क्षति पहुंचाता है या उन्हें नष्ट करता है या करवाता है या किसी को ऐसा करने देता है, ताकि उससे विद्युत का खींचना (एक्सट्रैक्ट), उपभोग/उपयोग किया जा सके अथवा
 - किसी विकृत मीटर के माध्यम से विद्युत का उपयोग करता है, अथवा
 - विद्युत के अधिकृत उपयोग के सिवाए किसी अन्य उद्देश्य के लिये विद्युत का उपयोग करता है। वह अधिनियम की धारा 135 के तहत दंड का भागी होगा।
- 11.30 अधिनियम की धारा 135 उपधारा (2) से संबंधित विद्युत चोरी के प्रकरण का पता लगाने हेतु प्रवेश, खोज, बरामदगी का कार्य राज्य शासन द्वारा नियम में अधिकृत अधिकारी वितरण

अनुज्ञप्तिधारी के जूनियर इंजीनियर से नीचे पद के नहीं होंगे तथा ऐसे प्रवेश, खोज व बरामदगी उसमें दर्शित प्रक्रिया के तहत किये जायेंगे।

- 11.31 विस्तृत जांच पश्चात यदि अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उपभोक्ता के विरुद्ध बेईमानी पूर्वक विद्युत के खींचने (एब्सट्रेक्ट), उपयोग या उपभोग का प्रथमतः (प्राइमाफेसी) प्रकरण बनता है जो अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता जैसा मामला हो ऐसे विद्युत चोरी के प्रकरण की जानकारी पश्चात तुरन्त विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।

यह कि ऐसा विच्छेदन करने वाला व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी/आपूर्तिकर्ता निम्नदाब संयोजन के प्रकरण में जूनियर इंजीनियर या उसके समकक्ष तथा उच्च व अति उच्चदाब संयोजन के प्रकरण में कार्यपालन इंजीनियर या उसके समकक्ष जैसा प्रकरण हो से कम नहीं होना चाहिए या अनुज्ञप्तिधारी/आपूर्तिकर्ता के इस कंडिका में दर्शित पद से उच्च पद के अधिकारी हो सकते हैं। यह कि अनुज्ञप्तिधारी/ आपूर्तिकर्ता जैसा प्रकरण हो के ऐसे अधिकारी उस क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने में ऐसे घटित अपराध की शिकायत विद्युत आपूर्ति विच्छेदन के समय से 24 घंटे के भीतर लिखित रूप से करेगा।

- 11.32 इस संहिता की कंडिका 11.14 में दर्शित राज्य शासन के नियम में अधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 154(5) के प्रावधान के तहत विषेष न्यायालय में प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन होने की स्थिति में विद्युत चोरी का बिल तैयार करेगा।

आकलन की अवधि

- 11.33 आकलित राशि संबंधित श्रेणी के उपभोक्ता के लिए लागू टैरिफ के ढाई गुना के बराबर की दर पर विद्युत चोरी के पता लगने के पहले के 12 माह या विद्युत चोरी की वास्तविक अवधि यदि ज्ञात होता है जो भी कम हो के लिए होगा।

आकलन की अवधि का निर्धारण निम्नलिखित दिशा निर्देश या उनके सम्मिश्रण या उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य कोई युक्तिसंगत प्रमाण पर विचार कर किया जायेगा –

- (1) विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ करने से लेकर विद्युत चोरी पता लगने तक की वास्तविक अवधि।
- (2) मीटरिंग प्रणाली के अवयव जिसमें प्रमाण मिले हैं के बदलने की तिथि से लेकर चोरी के पता लगने तक की अवधि।
- (3) स्थापना के पूर्ववर्ती जांच से लेकर विद्युत चोरी के पता लगने तक की अवधि
- (4) जहां उपलब्ध हो मीटर रीडिंग इन्स्ट्रुमेंट (एम.आर.आई.) द्वारा प्राप्त डाटा भी विचारणीय होगा।

- 11.34 ऐसे आकलन करते समय अधिकृत अधिकारी 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन या और कोई प्रमाण जो वे उपयुक्त समझे पर गौर करेंगे। आकलन अधिकारी आकलन करने के आधार रिकार्ड करेंगे। आकलन अवधि से संबंधित उस व्यक्ति द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान यदि कोई हो, की क्रेडिट दी जायेगी।

- 11.35 अधिकृत अधिकारी नियम में दर्शित प्रावधान के अनुसार 3 कार्य दिवस के भीतर व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से विद्युत चोरी के भुगतान संबंधी आदेश पारित करेंगे।

- 11.36 चोरी के कारणों को दूर करने के 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारम्भ कर दी जायेगी बशर्ते कि आकलित राशि का पूर्णरूपेण भुगतान कर दिया गया हो। विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारम्भ करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी उसी परिसर में पुनः चोरी होने की सम्भावना दूर करने के सभी आवश्यक कदम उठावेंगे।

- 11.37 उपरोक्त कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम के अध्याय XV के प्रावधान के अंतर्गत निर्मित विशेष न्यायालय में चोरी में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण चलाने के अपने अधिकार को अप्रभावित करते हुए किया जायेगा।

उपभोक्ता पर अन्यथा सिद्ध करने की जिम्मेदारी

- 11.38 यदि यह सिद्ध पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत के उपयोग/उपभोग हेतु ऐसा कृत्रिम तरीका अपनाया गया है जिसके लिये वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता द्वारा जैसा प्रकरण हो से अधिकृत नहीं है तो यह माना जायेगा कि ऐसे उपभोक्ता द्वारा बेईमानी पूर्वक विद्युत का उपयोग/उपभोग किया गया है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो जाये।

- 11.39 ²[(i) विद्युत की चोरी के मामले में, उपभोग का निर्धारण करने हेतु कार्यपद्धति:-

निर्धारित यूनिट: एल X डी X एच X एफ, जहां

एल = भार कि.वा. में (निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता के परिसर में पायी गई संयोजित भार)

डी = प्रतिमाह कार्य दिवसों की संख्या जो निचे दिये गये उपयोग के विभिन्न संवर्गों के लिए लिया जायेगा:

ए) निरंतर चलित उद्योग 30 दिवस

बी) गैर-निरंतर चलित उद्योग 25 दिवस

सी) घरेलु उपयोग 30 दिवस

डी) कृषि 30 दिवस

ई) गैर-घरेलु (निरंतर) 30 दिवस

अर्थात्. अस्पताल, होटल एवं रेस्टोरेंट,
अतिथिगृह, पेट्रोल पम्प आदि.

एफ) गैर-घरेलु (सामान्य) अर्थात् (ड.) से भिन्न, 25 दिवस

जी) जल कार्य एवं स्ट्रीट लाईट 30 दिवस

एच = आपूर्ति घंटे प्रतिदिन के लिए प्रयुक्त और निचे दिये गये उपयोग के विभिन्न संवर्गों के लिए लिया जायेगा:

ए) एकल शिफ्ट कार्य उद्योग 8 घंटे

बी) दो शिफ्ट कार्य उद्योग 16 घंटे

सी) निरंतर चलित उद्योग 24 घंटे

डी) (i) गैर-घरेलु, रेस्टोरेंट सहित, 12 घंटे

(ii) होटल, अस्पताल, अतिथिगृह, पेट्रोल पम्प 20 घंटे

ई) घरेलु 24 घंटे

एफ) कृषि 18 घंटे

जी) जल कार्य 8 घंटे

एच) स्ट्रीट लाईट 12 घंटे

एफ= भार गुणक जिसे निचे दिये गये उपयोग के विभिन्न संवर्गों के लिए लिया जायेगा:

ए) उद्योग 60 प्रतिशत

बी) गैर-घरेलु 60 प्रतिशत

सी) घरेलु 40 प्रतिशत

डी) कृषि 50 प्रतिशत

- ई) जल कार्य 50 प्रतिशत
- एफ) स्ट्रीट लाईट 50 प्रतिशत
- जी) सीधे चोरी (i) घरेलु वर्ग 50 प्रतिशत

(ii) घरेलु से भिन्न सभी उपभोक्ता 100 प्रतिशत

घरेलु जल पम्प, माइक्रोवेव आवेन, वाशिंग मशीन, मिक्सर, इलेक्ट्रिक प्रेस, लघु घरेलु फ्लोर मील, वेकुम क्लीनर, टोस्टर, वाटर प्युरीफायर, एवं लाईट, पंखा, टीवी एवं रेफ्रीजरेटर आदि को छोड़ते हुए छोटे घरेलु उपकरणों, के संचालन के लिए सदभाव में घरेलु उपयोग के लिए विद्युत की चोरी की दशा में उपभोग की गई यूनिट के निर्धारण के प्रयोजन के लिए कार्य घंटे, पूर्ण दर क्षमता पर प्रति दिन एक कार्य दिवस से अधिक के लिए विचारणीय नहीं होंगे। एयर कंडीशनर, कुलर एवं गीजर के मामले में उपयोग की अवधि, उस संवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट भार गुणक एवं प्रतिदिन कार्य घंटे के साथ सभी संवर्गों के उपयोगकर्ताओं के लिए वर्ष में छः माह के रूप में लिये जायेंगे।

ii) अस्थाई कनेक्शन के लिए विद्युत की चोरी की दशा में विद्युत का निर्धारण:

अस्थाई कनेक्शन की दशा में, विद्युत की चोरी के लिए उपभोग की गई यूनिट के निर्धारण, निम्नलिखित फार्मुला के अनुसार किया जायेगा:

निर्धारित यूनिट: एल X डी X एच, जहां

एल = भार (निरीक्षण के समय संयोजित पायी गई भार)

डी = दिवसों की संख्या जिसके लिए आपूर्ति किया जाता है, एवं

एच = कृषि कनेक्शनों के लिए 18 घंटे एवं अन्य के लिए 12 घंटे]²

असंयोजित परिसर में विद्युत चोरी (सीधे हूकिंग)

- 11.40 यदि ऐसे परिसर में विद्युत चोरी पकड़ी जाती है जहां कोई नियमित विद्युत संयोजन नहीं है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसर की विद्युत आपूर्ति अविलंब विच्छेदित कर देगा तथा ऐसे चोरी के कारणों यथा वितरण में तक लाइन, केबल, संयंत्र, अवैध मोटर और अन्य उपकरण जो कि विद्युत चोरी के प्रयोजन में उपयोग हो रहे हों को अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों व प्रक्रिया के अंतर्गत तुरन्त हटा देगा। अनुज्ञप्तिधारी तत्पश्चात भविष्य में विद्युत चोरी की सम्भावना को रोकते हुए लाइन, केबल या उपकरण हटा देगा/स्थानांतरित कर देगा या बदल देगा बर्तन कि इस कारण अन्य उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति प्रभावित न हो तथा उन्हें असुविधा न हो।

चोरी की शंका की स्थिति में प्रक्रिया

- 11.41 बिजली चोरी की शंका की स्थिति में अधिकृत अधिकारी जब्ती बनाते हुए मीटर हटा लेगा तथा उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि के समक्ष मीटर सील करेगा। अधिकृत अधिकारी व उपभोक्ता मीटर पर लगे सील पर हस्ताक्षर करेंगे। अधिकृत अधिकारी रिपोर्ट में चोरी की शंका के कारणों को दर्शित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी या आपूर्तिकर्ता नया मीटर लगा कर विद्युत आपूर्ति चालू रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी के मीटर परीक्षणशाला में अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता की उपस्थिति में पुराने मीटर का परीक्षण किया जायेगा। लिखित में दिये गये परीक्षण परिणाम, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ यदि कोई हो तो इसके प्रमाण स्वरूप होंगे।

यह कि यदि उपभोक्ता आग्रह करता है तो मीटर का परीक्षण आयोग द्वारा स्वीकृत तृतीय पक्ष यदि कोई हो या विद्युत निरीक्षक की उपस्थिति में हो सकता है।

- 11.42 सिर्फ मीटर पर सील के गायब होने, टेंपर (विकृत) होने या मीटर के कांच टूटने पर बिजली चोरी का प्रकरण तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक उपभोक्ता के खपत के आधार या अन्य कोई प्रमाण उपलब्ध न हो।

- 11.43 यदि 10 किलोवाट से अधिक संयोजन के उपभोक्ता को भार में बाधा डालने, विद्युत के उपयोग या उपभोग करने या ऐसा करने का प्रयास करने पर दूसरे या अधिक बार सजा सुनाई जावे तो ऐसा व्यक्ति किसी अवधि के लिये जो 3 माह से कम न हो परन्तु दो वर्ष तक विस्तारित की जा सकती हो विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने से भी वंचित किया जायेगा और वह ऐसी अवधि में किसी अन्य स्रोत या उत्पादन केन्द्र से भी विद्युत प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसे प्रकरण विषेष न्यायालय की जानकारी में ला कर दलील/अभ्युक्ति देना चाहिए।

दुष्प्रेरित करना (अवेटमेंट)

- 11.44 जो भी व्यक्ति अधिनियम के प्रावधान के भीतर दंडनीय अपराध के लिये दुष्प्रेरित करता है वह भारतीय दंड संहिता (1860 के 45) में अंतर्विष्ट अपराध के लिये उपबंधित दंड के साथ दंडित किया जायेगा।
- 11.45 इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई पेनाल्टी या जुर्माना जो अधिरोपित किया जा सकता है या अभियोजन कार्यवाही संस्थित की जा सकती है, को प्रतिकूल प्रभावित किये बिना यदि लायसेन्सी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी कोई कार्य करने को करार करता है या मूक सम्मति देता है या वैसा कार्य करने से स्वयं को अलग रखता है या किसी कार्य या वस्तु की इजाजत देता है, छुपाता है, या मौन अनुकूल रहता है जिसके द्वारा विद्युत की चोरी की जाती है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि की सीमा तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ दण्डनीय होगा।
- 11.46 कोई विद्युत ठेकेदार, सुपरवाइजर या मिस्त्री जो विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135,136,137 या 138 के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता हो तो वह संदर्भित धारा के अधीन दण्डनीय होने के साथ उसकी अनुज्ञप्ति, सक्षमता प्रमाण पत्र या अनुमति अनुज्ञप्ता प्राधिकारी द्वारा निरस्त किये जाने योग्य होगी। ऐसे सभी मामले ज्ञात होने के पश्चात् अविलंब अनुज्ञप्त प्राधिकारी की जानकारी में लाये जाएंगे।
- 11.47 अधिनियम की धारा 151 के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय भी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर भी संज्ञान ले सकेंगे। चोरी के सभी मामलों में सामान्यतया पुलिस को रिपोर्ट की जावे।
- 11.48 विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अनुसंधान के उद्देश्य से नई धारा 151 ए के अधीन पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 12 द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी अधिकारों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है।

अपराध की कम्पाउंडिंग (एकजाईता)

- 11.49 अपराध की कम्पाउंडिंग अधिनियम की धारा 152 के प्रावधान के तहत होगी। अपराध के कम्पाउंडिंग हेतु अधिकृत अधिकारी अर्थात मुख्य विद्युत निरीक्षक नियम (रूल्स) में दर्शित प्रक्रिया अपनायेंगे।
- 11.50 वह व्यक्ति या उपभोक्ता जिसके कब्जे में वह संयोजन है जहां विद्युत चोरी का अपराध हुआ है, को अधिनियम की धारा 152 की उपधारा (2) में दर्शित निम्नलिखित राशि जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है के भुगतान पश्चात् मुक्त किया जायेगा। ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम की धारा 152(2) के अनुसार किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई प्रकरण न तो प्रारम्भ किया जा सकता है और न ही चालू रखा जा सकता है।

सेवा का प्रकार	दर जिसमें कम्पाउंडिंग हेतु निम्नदाब से प्रति कि.वा. या हार्सपावर तथा उसके भाग पर और उच्च तथा अति उच्चदाब हेतु के.व्ही.ए. में संविदा
----------------	---

	मांग पर राशि ली जायेगी।
1. औद्योगिक सेवा	रु. बीस हजार
2. वाणिज्यिक सेवा	रु. दस हजार
3. कृषि सेवा	रु. दो हजार
4. अन्य	रु. चार हजार

- 11.51 अपराध की कम्पाउंडिंग अधिनियम की धारा 152 के अनुसार किसी व्यक्ति या उपभोक्ता के लिये सिर्फ एक बार की जायेगी।

विद्युत चोरी के नियंत्रण हेतु निरोधात्मक उपाय

- 11.52 ऊर्जा मंत्रालय भारत शासन द्वारा अधिसूचित (विद्युत कठिनाईयों का निराकरण) आदेश 2005 [एस.ओ. 790 (ई) दिनांक 8 जून 2005] चोरी पर नियंत्रण हेतु समुचित उपाय अपनाने का आदेश देता है।
- 11.53 अनुज्ञप्तिधारी छेड़छाड़रोधी मीटर बॉक्स की व्यवस्था करेगा ताकि सभी परिसरों में छेड़छाड़रोधी मीटर बॉक्स लगे हों। अनुज्ञप्तिधारी साथ ही सर्विस लाइन की स्थिति का पुनरावलोकन करेगा कि ये सही स्थिति में हैं और जहां कहीं आवश्यक हो इसको बदलेगा ताकि (विद्युत) चोरी या मीटर को बाईपास करना रोका जा सके।
- अनुज्ञप्तिधारी आगामी 5 वर्षों में सभी परिसरों में स्थापित सभी मीटरों के लिए छेड़छाड़ रोधी मीटर बाक्स (आवरण) उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर प्रतिवर्ष कम से कम 20 प्रतिशत मीटरों को छेड़छाड़ रोधी मीटर बाक्स उपलब्ध करायेगा। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी, मीटर बाईपास तथा विद्युत चोरी रोकने हेतु सर्विस लाइन तारों की स्थितियों का सतत अवलोकन करेगा कि वे सही स्थिति में हैं, और जहाँ कहीं आवश्यक हो उसे बदल देगा।
- 11.54 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं के परिसरों के नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करेगा और विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या विद्युत यंत्र, विद्युत तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण क्षति रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा। निरीक्षण/सावधानी हेतु चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 11.55 सभी उच्चदाब संयोजनों और ऐसे निम्नदाब संयोजनों, जिनकी संविदा मांग/संयोजित भार 25 अश्वशक्ति या उससे अधिक हो, सहित बड़े उपभोक्ताओं की खपत का नियमित मासिक समीक्षा करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी एक तंत्र विकसित करेगा। खपत में अत्यधिक परिवर्तन का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जावेगा। संदेहास्पद मामलों में अनुज्ञप्तिधारी त्वरित निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।
- 11.56 अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के चिन्हित बड़े शहरों और नगरों, एवं जिले का मुख्यालय तत्पश्चात अन्य क्षेत्रों के लिए 33 के.व्ही और 11 के.व्ही के संभरकों के खंडों में हानि की परिगणना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा। उपरोक्त रीति से परिगणना कर अधिक हानि वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किये गये स्थानों पर हानि कम करने हेतु अनुज्ञप्तिधारी समुचित कदम उठायेगा।
- 11.57 अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वितरण ट्रांसफार्मर पर मीटर स्थापित करेगा और ऊर्जा के अंकेक्षण करेगा, ताकि अधिक हानि वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और उन क्षेत्रों में हानि कम करने के लिए अन्य समुचित कार्यवाही करेगा।
- 11.58 खपत की समीक्षा और विद्युत की चोरी रोकने के उद्देश्य से अनुज्ञप्तिधारी, सभी 50 हासपावर और अधिक के संयोजनों पर प्राथमिकता के साथ दूरस्थ मापक साधनों (रिमोट मीटरिंग

डिवाइस) को स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके पश्चात अनुज्ञप्तिधारी, 25 अष्वषक्ति तक के निम्नदाब संयोजनों पर भी दूरस्थ मापक साधन स्थापित करने का प्रयास करेगा।

- 11.59 वाणिज्यिक हानि के स्तर, ईमानदार उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले उसके प्रभाव तथा विद्युत की चोरी या अनधिकृत उपयोग या विद्युत यंत्र, तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण या क्षति रोकने या उसका पता लगाने में उपभोक्ताओं का सहयोग प्राप्त करने और उनमें जागरूकता लाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी प्रचार माध्यमों, दूरदर्शन और समाचार पत्रों के द्वारा इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था करेगा।
- 11.60 अनुज्ञप्तिधारी जितनी जल्दी हो सके अपनी वेबसाईट पर क्षेत्रवार, वृत्तवार, संभागवार, उपकेन्द्रवार और संभरकवार (फीडरवाईज़) हानियों को प्रदर्शित करेगा। विद्युत के धारा परिवर्तन, चोरी अनधिकृत उपयोग अथवा विद्युत यंत्र, तार या मीटर से छेड़छाड़, विकर्षण हानि रोकने के लिए कार्यवाही करेगा और प्राप्त परिणामों की जानकारी प्रदर्शित करेगा। यह वेबसाईट हर तिमाही में अद्यतन (अपडेशन) की जावेगी।
- 11.61 अनुज्ञप्तिधारी, अधिकृत अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा बल उपलब्ध करायेगा। ऐसा सुरक्षा दस्ता, छापों के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लगातार अधिकृत अधिकारियों के साथ रहेगा।
- 11.62 अनुज्ञप्तिधारी, चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों में हुकिंग से सीधे चोरी रोकने हेतु शिरोपरि खुले विद्युत तारों को एरियल बंच केबल से बदलेगा।
- 11.63 अनुज्ञप्तिधारी चोरी की ओर उन्मुख क्षेत्रों में जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ कम क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हुए उच्चदाब वितरण (निम्नदाब रहित) प्रणाली उपलब्ध करायेगा।
- 11.64 अनुज्ञप्तिधारी, विद्यमान उपभोक्ताओं के मीटर, उस परिसर की परिसीमा के भीतर, इस तरह से पुनर्स्थापित करने हेतु अधिकृत होगा, ताकि वह इस संहिता की कंडिका 8.9 के प्रावधानों के अनुसार पठन, निरीक्षण, परीक्षण एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए सुगम्य हो। संदिग्ध प्रकरणों में जहाँ सतत सावधानी संभव न हो अनुज्ञप्तिधारी अपने खम्बों या स्तम्भों (पिलर) में जांच मीटर लगा सकेगा। ऐसे मामलों में जहाँ विद्युत चोरी बार-बार हो, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संयोजनों के लिए उपभोक्ता को सूचित करते हुए अपने खम्बों या संभरक स्तम्भों पर देयक (बिलिंग) मीटर लगा सकेगा।
- 11.65 अनुज्ञप्तिधारी जहाँ विद्युत चोरी के प्रकरण पाये गये हैं वहाँ की सूची रखेगा ताकि उसे परिसर में दुबारा या उसके बाद के चोरी के प्रकरण की जानकारी हो सके तथा अधिनियम के प्रावधान के तहत कार्यवाही किया जा सके।

अध्याय 12 : जनरेटर का ग्रिड (प्रणाली) से संयोजन

1[उपभोक्ता के प्रतिस्थापन में विद्युत संयंत्र

- 12.1 यदि किसी विद्युत संयंत्र से विद्युत का प्रदाय स्वयं के नेटवर्क के माध्यम से आशयित है तो ऐसे विद्युत संयंत्र का संचालनकर्ता उसे अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के समानान्तर तभी चला सकेगा जब अनुज्ञप्तिधारी की लिखित सहमति प्राप्त कर ले।
- 12.2 जहाँ ऐसे विद्युत संयंत्र को ऐसे कोई सहमति नहीं दी गई है वहाँ वह विद्युत संयंत्र अपने उत्पादन इकाईयों के लिए संयंत्र, मशीनरी और उपस्करों की व्यवस्था स्वयं करेगा जिसमें

उसका विस्तार और वृद्धि सम्मिलित है, जिसे आइसोलेटेड मोड में संचालित कर सके और ऐसा विद्युत संयंत्र किसी भी दशा में अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से नहीं संयोजित किया जाना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी सूचना देकर ऐसे परिसरों में प्रवेश कर सकेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए की किसी भी समय विद्युत संयंत्र उसकी अपनी प्रणाली से संयोजित नहीं हो रहा है, प्रबंध का निरीक्षण कर सकेगा। यदि निरीक्षण करने पर यह पाया जाये कि विद्युत संयंत्र अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के समानान्तर संचालित हो रहा है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी विद्युत को अपनी प्रणाली से विसंयोजित कर लेगा।

- 12.3** ऐसे प्रकरण में जहां भार प्रतिष्ठापन का प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली तक किसी विद्युत संयंत्र से अथवा किसी अन्य श्रोत से, बिना अनुज्ञप्तिधारी के समुचित अनुमोदन से विस्तारित हो जाता है और उससे अनुज्ञप्तिधारी के उपस्कर अथवा मानव जीवन को क्षति पहुंचती है, तो ऐसा विद्युत संयंत्र उसके लिए जिम्मेदार होगा और प्रदाय के विसंयोजन के साथ-साथ, अनुज्ञप्तिधारी तथा अन्य प्रभावित व्यक्ति को कारित समस्त हानियों की विहित रूप से क्षतिपूर्ति करेगा।
- 12.4** जहां ग्रीड से संयोजकता हेतु सहमति दी जा चुकी है वहां विद्युत संयंत्र द्वारा अपने प्रतिष्ठापन में समुचित बचाव प्रणाली लगाने की व्यवस्था की जायेगी और इसकी समुचित कार्यशीलता को सुनिश्चित किया जायेगा। विद्युत संयंत्र को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली से त्रुटिपूर्ण ढंग से संयोजित न हो जाय। अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत संयंत्र और/अथवा इसके भार प्रतिष्ठापन, मशीनरी और उपस्कर को ऐसी संयोजकता के कारण हुई किसी क्षति, अथवा इससे निष्पन्न किन्हीं विपरीत परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।¹

प्रणाली (ग्रिड) से संयोजन

- 12.5** जनरेटर (विद्युत उत्पादन संयंत्र) की प्रणाली से संयोजन की प्रक्रिया सी.एस.ई.आर.सी. (कनेक्टीविटी एंड इन्ट्रा स्टेट ओपन एक्सेस) रेग्युलेशन 2011 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो के अनुसार होगा। प्रणाली के तकनीकी मानक तथा सुरक्षा संचालन का मापदंड सी.ई.ए. सुरक्षा अधिनियम 2010 तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथरिटी (टेक्नीकल स्टैण्डर्ड फार कन्स्ट्रक्शन आफ इलेक्ट्रिकल प्लांट एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स) रेग्युलेशन 2010 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी ऑथरिटी (ग्रिड स्टैण्डर्ड फार ऑपरेशन एंड मेन्टीनेंस आफ ट्रांसमिशन लाइन) रेग्युलेशन जबसे वे प्रभावशील होंगे के अनुसार होगा।
- 12.6** जनरेटिंग स्टेशन/केप्टिव जनरेटिंग प्लांट द्वारा वोल्टेज स्तर वार निर्धारित विद्युत शक्ति (पावर) की मात्रा जो पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली में डाली जा सकती है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ग्रिड कोड 2007 (स्टेट ग्रिड कोड) जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो के अनुसार होगी।
- 12.7** केप्टिव जनरेटिंग प्लांट सहित उपभोक्ता द्वारा वोल्टेज स्तरवार निर्धारित विद्युत शक्ति (पावर) की मात्रा (ओपन एक्सेस तथा अनुज्ञप्तिधारी से अनुबंधित (संविदा) मांग का योग) जो राज्य पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली से ली जा सकती है, इस प्रदाय संहिता की कंडिका 3.4 के अनुसार होगी।
- 12.8** राज्य पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली से जनरेटर की संयोजन, राज्य पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा जनरेटर के मध्य संयोजन अनुबंध से अनुबंधित होगी। जनरेटर जिन्हें संयोजन की स्वीकृति दी गई हो को प्रणाली से भौतिक संयोजन के पूर्व संयोजन अनुबंध करना होगा।

- 12.9** संयोजन की स्वीकृति जनरेटर को प्रणाली में कोई पावर डालने का अधिकार तब तक नहीं देता जब तक कि वह लांग टर्म ओपन एक्सेस, मीडियम टर्म ओपन एक्सेस या शार्ट टर्म ओपन एक्सेस प्राप्त नहीं कर लेता या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत आपूर्ति हेतु कोई अनुबंध नहीं कर लेता।
- 12.10** जनरेटिंग स्टेशन या केप्टिव जनरेटिंग प्लांट अपनी स्वतंत्र समर्पित पारेषण लाइन का निर्माण, संचालन व संधारण कर सकते हैं। जनरेटर अपने विद्युत उत्पादन संयंत्र से प्रणाली को जोड़ने वाली पोरषण लाइन का निर्माण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से करवा सकता है या स्वयं कर सकता है। ऐसे प्रकरण में लाइन विस्तार की प्रक्रिया तथा समय सारणी उपभोक्ता को संयोजन प्रदान करने हेतु इस संहिता के कंडिका 4.58 के अनुसार होगी।
- 12.11** यदि जनरेटर अपनी स्वतंत्र ट्रांसमिशन लाइन का संधारण स्वयं करना चाहता है तो उसे अनुज्ञप्तिधारी से लाइन निर्माण कार्य की निगरानी कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः निगरानी शुल्क (सुपरविजन चार्ज) भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जनरेटर द्वारा स्टार्ट अप पावर

- 12.12** जनरेटर के पास विकल्प होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली से स्टार्ट अप पावर ले या नहीं ले। यदि जनरेटर अनुज्ञप्तिधारी से स्टार्ट अप पावर हेतु अनुबंध नहीं करता है परन्तु प्रणाली से आकस्मिक रूप से पावर लेता है तो उसे आयोग द्वारा पारित संबंधित टैरिफ के आधार पर बिल किया जायेगा।
- 12.13** जनरेटर स्टार्ट अप पावर हेतु आयोग द्वारा संबंधित टैरिफ आदेश में पारित प्रावधान के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी से अनुबंध कर सकता है। स्टार्ट अप पावर जनरेटर व इसके अवयवों (ऑक्सीलरीज़) को क्रियान्वित (कमीशन) करने एवं उसके पश्चात के लिए लिया जा सकता है। इंटरफेज बिन्दु पर प्रणाली में डाले गये ऊर्जा अंकित करने हेतु स्थापित इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट मीटर को स्टार्ट अप पावर के मांग व खपत अंकित करने हेतु बिलिंग मीटर के रूप में उपयोग में लाया जायेगा। स्टार्ट अप पावर के मीटर वाचन, बिलिंग व भुगतान के लिये इस संहिता के संबंधित प्रावधान प्रयुक्त होंगे।

भावी केप्टिव व नॉन-केप्टिव उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी

- 12.14** वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता जो केप्टिव प्लांट (सी.जी.पी.) के केप्टिव/नॉन-केप्टिव उपभोक्ता बनते हैं, अनुज्ञप्तिधारी से अपने संविदा मांग में चाही गई स्तर तक, जो शून्य भी हो सकती है, कमी कर सकते हैं। यह सुविधा अनुबंध के प्रारम्भिक अवधि में सिर्फ एक बार प्राप्त होगी बशर्ते कि इस संहिता की कंडिका 7.9 के अनुसार पूर्व में ही प्रारम्भिक अनुबंध काल में संविदा मांग में कमी नहीं की गई हो। यह सुविधा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में नये पूंजी निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से नये केप्टिव पावर प्लांट पर ही लागू होगी। जनरेटर तथा केप्टिव लोड द्वारा ग्रिड से लिये गये विद्युत संबंधी मीटर वाचन, बिलिंग, भुगतान आदि हेतु इस संहिता की संबंधित कंडिका प्रयुक्त होगी।
- 12.15** ऐसे केप्टिव व नॉन केप्टिव उपभोक्ता जो किसी सीजीपी से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं तथा जिन्होंने अपने संविदा मांग शून्य कर लिया है और ओपन एक्सेस लिया है और यदि सीजीपी से उत्पादन बंद होता है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उन्हें अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करायेगा तथा लिये गये विद्युत की बिलिंग आयोग द्वारा संबंधित टैरिफ आदेश में दर्शित स्टैंड बाई चार्ज के अनुसार यह मानते हुए ली जायेगी कि प्राप्त की गई आपूर्ति अस्थाई प्रकृति की है, बशर्ते कि सी.जी.पी. द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को पूर्व में ही सूचना दी जा चुकी हो।

अतंर्संयोजन (इंटरफेस) बिन्दु पर मीटरिंग

- 12.16** उस जनरेटर के लिये जो राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एस.टी.यू.) पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रणाली से संयोजित होना चाहता है, इंटरफेस मीटर (मुख्य मीटर) जनरेटर की कीमत पर संबंधित एस.टी.यू. पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारी जैसा कि प्रकरण हो द्वारा लगाया जायेगा तथा संधारित किया जायेगा।
- 12.17** अंतर्संयोजन बिन्दु पर मुख्य तथा जांच मीटर ए.बी.टी. के मापदंड के अनुसार होने चाहिए। मीटरिंग से संबंधित सभी व्यवस्था सी.ई.ए. (इंस्टालेशन एंड ऑपरेशन आफ मीटर) रेग्युलेशन 2006 जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो के द्वारा शासित होनी चाहिए। जनरेटर तथा सी.जी.पी. द्वारा प्रणाली में डाले गये ऊर्जा की मात्रा मापने हेतु मुख्य मीटर, अनुज्ञप्तिधारी के ग्रिड सबस्टेशन पर लगाये जाने चाहिए। बड़े उपभोक्ता जो कि ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत ले रहे हैं के द्वारा लिये जाने वाले ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करने हेतु मुख्य मीटर उपभोक्ता के परिसर में लगाये जाने चाहिए।
- 12.18** संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुख्य व जांच मीटर हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए तथा संहिता की कंडिका 8.18 के अनुसार उसका जनरेटर की उपस्थिति में समयबद्ध परीक्षण तथा परिगणना (केलिब्रेशन) करनी चाहिए। मीटर दोनों पक्षों के समक्ष सील करनी चाहिए तथा खराब मीटर अविलंब बदलनी चाहिए।
- 12.19** मुख्य तथा जांच मीटर का वाचन समयबद्ध रूप से निर्धारित तिथि में संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी व जनरेटर या उसके प्रतिनिधि जैसी स्थिति हो, के द्वारा लिया जायेगा।

खराब मीटर की स्थिति में आकलन

- 12.20** यदि किसी माह में मुख्य मीटर व जांच मीटर द्वारा दर्शित खपत का अंतर निर्धारित अनुमति योग्य परिषुद्धि (एक्यूरेसी) की सीमा से अधिक होता है तो मुख्य व जांच मीटर का परीक्षण किया जायेगा और मानक प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तर पर त्रुटि निकाली जायेगी व तदनुसार बिलिंग की जायेगी।
- 12.21** यदि मुख्य मीटर खराब या बंद पाया जाता है तो जांच मीटर का वाचन बिलिंग के लिये प्रयुक्त किया जायेगा बर्तते कि जांच मीटर सही कार्य करता पाया जावे।
- 12.22** यदि मुख्य व जांच मीटर दोनों सही नहीं पाये जाते व संबंधित अवधि में ऊर्जा का आवागमन पाया जाता है तो सही कार्य करते पाये जाने की स्थिति में जनरेटर के गमन छोर स्थित मीटर द्वारा अंकित रीडिंग तथा पिछले 3 माह के औसत लाइन क्षति (जब दोनों मुख्य तथा जनरेटर मीटर सही कार्य करते रहे हों) के आधार पर ऊर्जा का आकलन किया जायेगा।
- 12.23** दोनों मुख्य व जांच मीटर तथा जनरेटर के गमन छोर स्थित मीटर के सही नहीं पाये जाने की स्थिति में राज्य प्रणाली में डाले गये ऊर्जा का आकलन अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित सबस्टेशन में पिछले तीन माह के औसत ऊर्जा क्षति की गणना (जब मुख्य व जांच मीटर सही कार्य करते पाये गये हों) कर ऊर्जा संतुलन के आधार पर की जायेगी।
- 12.24** यदि बड़े उपभोक्ता जिन्होंने ओपन एक्सेस लिया है के परिसर में स्थापित मीटर खराब होता है तो लिये गये ऊर्जा का आकलन इस संहिता की कंडिका 9.16 में उपभोक्ता हेतु निर्धारित प्रावधान के तहत की जायेगी।

- 12.25 ²[यदि सीजीपी/आईपीपी, अधिनियम की धारा 68 के अधीन राज्य शासन के अनुमति से अपने केप्टिव उपयोगकर्ता और/या अपने स्वयं के विद्युत संयंत्र में अंतर संयोजन के प्रयोजन के लिए संबंधित एचटी/ईएचटी लाइन के निर्माण की इच्छा रखते हैं, तो आपूर्ति संहिता विनियम 4.20 के अधीन प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- 12.26 सीजीपी/आईपीपी, अनुज्ञप्तिधारी के सब-स्टेशन से संबंधित फीडर के माध्यम से संयोजित किया गया है एवं किसी कारण से करार के प्रारंभिक अवधि के अवसान के पश्चात ग्रिड से स्थायी तौर पर असंयोजित हो गया हो तो खण्ड (Bay) एवं लाइन का उपयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जायेगा।
- यदि ऐसा सीजीपी/आईपीपी, संयोजन के लिए आवेदन करता है एवं खण्ड (Bay) एवं लाइन का उपयोग नहीं करता है तो उपांतरण/सुधार की लागत, ऐसे सीजीपी/आईपीपी द्वारा, शेष उपयोग न किये गये ऐसे लाइन उपकरण की अवधि का रख रखाव प्रभार के साथ वहन किया जायेगा।
- यदि ऐसा सीजीपी/आईपीपी, संयोजन के लिए आवेदन करता है एवं खण्ड (Bay) एवं लाइन का अंशतः या पूर्णतः उपयोग करता है तो खण्ड (Bay) एवं लाइन तथा/या उपांतरण/सुधार की लागत, सीजीपी/आईपीपी द्वारा, शेष उपयोग न किये गये ऐसे लाइन भाग की अवधि का रख रखाव प्रभार का वहन किया जायेगा।]²

अध्याय 13 : विविध

फोर्स मेजर (बाध्यकारी परिस्थिति)

- 13.1 कोई घटना जो कि संबंधित संस्था के नियंत्रण के बाहर हो, जिसका उन्होंने अंदाज नहीं लगाया या उपयुक्त सावधानी के पश्चात भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता या जो रोका नहीं जा सका और जो संस्था के कार्य निष्पादन को वृहत रूप से प्रभावित करता है, परन्तु सिर्फ निम्नलिखित पर सीमित न हो –
- (ए) ईष्वरीय घटना, प्राकृतिक असाधारण घटना सहित परन्तु बाढ़, सूखा, भूकम्प व महामारी तक सीमित नहीं।
 - (बी) आंतरिक या विदेशी शासकीय कृत्य परन्तु घोषित व अघोषित युद्ध, आतंकी हमले, निषेधाज्ञा व उपद्रव तक सीमित नहीं।
 - (सी) दंगा या नागरिक विप्लव
 - (डी) ग्रिड (प्रणाली) में व्यवधान जिसके लिये संबंधित संस्थान उत्तरदायी न हो।
- 13.2 यदि विद्युत आपूर्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाध्यकारी परिस्थिति के कारण प्रभावित होती है तो उससे होने वाले नुकसान, टूटफूट अथवा मुआवजे के लिये अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं होगा।
- अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के मध्य हुए अनुबंध के जारी रहने के दौरान किसी समय यदि पूर्णतः या आंशिक रूप से उपरोक्त कंडिका 13.1 में दर्शित बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग करना सम्भव न हो तो इस परिस्थिति में उपभोक्ता लिखित रूप में अनुज्ञप्तिधारी को 7 दिवस की सूचना देकर आवश्यक उपयुक्त कम आपूर्ति प्राप्त कर सकता है। ऐसे सभी मामलों में जहां उपभोक्ता बाध्यकारी परिस्थितियों का दावा करे अनुज्ञप्तिधारी का अधिकृत प्रतिनिधि उसका सत्यापन करेगा। ऐसी सुविधा उपभोक्ता को केवल तभी उपलब्ध होगी जबकि आपूर्ति में कमी की अवधि न्यूनतम 30 दिवस की हो। उपरोक्त कम

आपूर्ति की अवधि अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रारम्भिक अवधि में नहीं जोड़ी जावेगी और अनुबंध की अवधि ऐसी कम आपूर्ति की अवधि के तुल्य बढ़ाई जायेगी।

- 13.3 उस मामले में जहाँ कि अनुज्ञप्तिधारी, किसी उपभोक्ता को, जो अन्यथा बकायेदार न हो अथवा जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित या असंयोजित न हो, एक कैलेण्डर माह में दस दिनों (जिसमें प्रत्येक दिन 00 घंटे से 24.00 घंटे तक विद्युत प्रदाय बंद हो) या अधिक के लिये विद्युत प्रदाय करने में असमर्थ रहता है तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता से निम्नलिखित रीति से प्रभार प्राप्त करेगा:-

(ए) ऊर्जा प्रभार मीटर में अंकित वास्तविक खपत के आधार पर होगा।

(बी) अन्य प्रभारों (विद्युत शुल्क और उपकर सेस को छोड़कर) की गणना, जितने दिन तक बिजली की आपूर्ति उपभोक्ता को की गई है, उसके अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

विद्युत संयंत्र लाइन या मीटर को क्षति पहुंचाना

- 13.4 उपभोक्ता के परिसर में लगाये गये विद्युत यंत्र, लाइन या मीटर या अन्य किसी उपकरण को यदि उपभोक्ता द्वारा या अन्यथा क्षति पहुँचाई जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसे यंत्र लाइन, मीटर, या उपकरण को चालू करने में आई लागत की वसूली उपभोक्ता से करने का अधिकारी होगा। तथापि, इससे अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अन्य अधिकार प्रभावित नहीं होंगे, जिसमें सुधार कार्य एवं उपकरण बदलने की लागत को उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में विद्युत प्रदाय के विच्छेदन, विद्युत चोरी की दशा में कार्यवाही तथा अनधिकृत उपयोग पाये जाने की दशा में किये जाने वाले आंकलन का अधिकार भी सम्मिलित है।

विद्युत लाइन से दूरी (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम कंडिका 63)

- 13.5 किसी शिरोपरि (ओवर हेड) लाइन चाहे इन्सुलेशन से ढका हो या न हो के निर्माण के पश्चात किसी समय यदि कोई व्यक्ति कोई भवन या ढांचा, दीवार (फ्लड बैंक), सड़क की ऊँचाई बढ़ाने या अन्य किसी भी प्रकार का अस्थाई या स्थाई कार्य कराना चाहता हो या किसी भवन ढांचा, दीवार (फ्लड बैंक) या सड़क में या के ऊपर कोई स्थाई या अस्थाई परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य करना चाहता हो तो वह व उसके ठेकेदार जिसे उन्होंने निर्माण, परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य हेतु नियुक्त किया है अपने इच्छुक कार्य की सूचना लिखित में उसके मालिक या आपूर्तिकर्ता तथा विद्युत निरीक्षक को प्रस्तावित भवन, ढांचा, दीवार (फ्लड बैंक) सड़क तथा निर्माण के साथ परिवर्तन व अतिरिक्त कार्य के विवरण सहित प्रस्तुत करेगा।
- 13.6 अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी विलम्ब के कथित शिरोपरी लाइन परिवर्तन हेतु होने वाले सम्भावित खर्च के प्राक्कलन की राशि जो कि जमा किया जाना है नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सूचित करेगा।
- 13.7 भवन या ढाँचे में कोई परिवर्तन या अतिरिक्त कार्य की अनुमति आवेदक द्वारा आपूर्तिकर्ता या मालिक को प्राक्कलन राशि जमा करने के पश्चात ही दी जायेगी।
- 13.8 उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि भवन, ढांचा, अतिरिक्त कार्य, परिवर्तन, सुधार कार्य तथा अन्य निर्माण कार्य अनुज्ञप्तिधारी के वर्तमान स्थित विद्युत लाइन से आवश्यक न्यूनतम दूरी रखेंगे। यह आवश्यक न्यूनतम दूरी सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम में दर्शित है। (संलग्नक 12)
- 13.9 विद्युत लाइन के नीचे पेड़ लगाते समय भी आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। पेड़ के पूर्ण रूप से विकसित होने पर लाइन से अनुषंसित न्यूनतम दूरी सुनिश्चित करने हेतु बौने प्रकार के पेड़ को प्राथमिकता देनी चाहिए।

फ्रेंचाइजी को प्राधिकृत करना

- 13.10 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र के किसी भाग में अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विद्युत वितरण के कार्य के लिये किसी फ्रेंचाइजी को अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकृत कर सकता है और यह संहिता फ्रेंचाइजी पर भी लागू होगी।

सेज (स्पेशल इंकानामी जोन) क्षेत्र में विद्युत वितरण

इस संहिता के संबंधित कंडिका राज्य शासन द्वारा सेज क्षेत्र में विद्युत प्रदाय हेतु अधिकृत सभी व्यक्ति, वॉडी कार्पोरेट एजेन्सी पर भी लागू होगी।

नोटिस की तामील

- 13.11 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को संबोधित कोई पत्र, आदेश अथवा दस्तावेज, दिया हुआ मान लिया जायेगा यदि इसे लिखित में भेजा जाता है और व्यक्तिगत रूप से सौंपा जाता है अथवा डाक/कोरियर द्वारा उस पते पर भेजा जाता है जो कि उपभोक्ता ने विद्युत आपूर्ति मांगते समय आवेदन पत्र या अनुबंध (यदि किया हो) में दर्शाया हो या उपभोक्ता द्वारा बाद में सूचित किया गया हो। यदि परिसर में ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है जिसे युक्ति-युक्त तरीके से उपरोक्त पत्र दिया जा सके तब इसे उपभोक्ता के परिसर में सुगमता से दृष्टव्य भाग पर चिपका दिया जायेगा।
- 13.12 अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत भार विनियमन, नये टैरिफ अथवा बिल भुगतान की तिथि में परिवर्तन जैसी सामान्य सूचना, आदि को बहुप्रसारित स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा।
- 13.13 अनुज्ञप्तिधारी को भेजे जाने वाले पत्रों को निम्नांकित पतों पर प्रेषित किया जावे –
- (ए) उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिकृत या पदांकित अधिकारी
 - (बी) निम्नदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी का कार्यपालन इंजीनियर या समकक्ष अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति

अप्रत्याषित परिस्थितियाँ

- 13.14 विद्युत प्रदाय संहिता में निहित प्रावधानों के अलावा अप्रत्याशित रूप से यदि कोई स्थिति निर्मित होती है तब अनुज्ञप्तिधारी को तुरंत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से सद्भावना पूर्वक व्यवहारिक आधार पर सलाह-मशविरा कर सहमति पर पहुंचना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी और प्रभावित होने वाले पक्षों के मध्य उपलब्ध समय-सीमा में सहमति नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अपनी सामर्थ्य अनुसार युक्ति-युक्त निर्णय लेगा।
- 13.15 जहां कहीं अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी निर्णय पर पहुंचता है तब उसे ध्यान रखना होगा कि प्रभावित होने वाले पक्षों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर यथासंभव ध्यान दिया गया है और किसी भी हालत में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त पूर्ण निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पक्ष को अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय पर दिये गये सभी निर्देशों को मान्य करना होगा, बशर्तें ये निर्देश अधिनियम प्रचलित संहिता और विनियमों के अनुरूप हो। अप्रत्याषित रूप से उत्पन्न हुई परिस्थितियां एवम् इस बाबत लिये गये सभी निर्णय को अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को भेजेगा।
- 13.16 अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के पथ प्रदर्शन तथा उपयुक्त विधि से कार्य सम्पन्न करने हेतु विस्तृत प्रक्रिया दर्शित करते हुए मेनुअल /दिषा निर्देश जारी कर सकता है ताकि समय पर कार्य पूर्ण हो सके तथा उपभोक्ता को शीघ्र संयोजन दिया जा सके।

- 13.17 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समानता लाने की दृष्टि से शहरी/अर्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में वोल्टेज वार विद्युत पोल तथा न्यूनतम तार साइज निर्धारित करना चाहिए। व्यक्तिगत उपभोक्ता के कनेक्शन के प्रकरण के सिवाए अन्य निर्माण कार्य हेतु तार की साइज इस प्रकार का उपयोग में लाया जाना चाहिए ताकि कम से कम आगामी पांच वर्षों के बढ़ते भार की मांग पूरी कर सके।

व्याख्या

- 13.18 इस संहिता में निहित शर्तों को वर्तमान में प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम 2003, सी.ई.ए. मीटरिंग विनियम सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम, सी.ई.ए. निर्माण विनियम, तथा इनके लिये बनाये गये नियमों तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित तत्समय में प्रचलित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से पढ़ा व समझा जायेगा। इस संहिता में निहित कोई शर्त अनुज्ञप्तिधारी व उपभोक्ता को केन्द्र या राज्य के किसी अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत दिये गये अधिकारों को कम या प्रभावित नहीं करेगी।
- 13.19 इस संहिता की व्याख्या में या अर्थ या विस्तार के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग की व्याख्या अंतिम होगी एवं सभी संबंधितों के लिए बाध्य होगी।

रदद् करना (रिपील)

- 13.20 छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस संहिता के प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित विद्युत प्रदाय संहिता तथा विनियम का प्रचलन समाप्त हो जायेगा।
1. '[छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2007]'
 2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सुरक्षा राशि) विनियम 2005
 3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की प्रक्रिया) विनियम 2005

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

- 13.21 इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर मामला आयोग को संदर्भित किया जा सकता है, जो प्रभावित पक्षों से जहाँ आवश्यक समझा जाय, विचार-विमर्श करके कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक या समीचीन, सामान्य अथवा विशेष आदेश पारित करेगा, और यह आदेश अधिनियम या तत्समय में प्रचलित विद्युत प्रदाय से संबंधित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के विरोधाभासी नहीं होगा।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

- 13.22 इस संहिता के क्रियान्वयन और तदनुसार निष्पादित किये अनुबंध से उत्पन्न सभी विवादों को केवल उस न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके क्षेत्रांतर्गत अनुबंध निष्पादित किया गया है।

व्यावृत्ति (सेविंग)

- 13.23 इस संहिता की कोई भी बात, आयोग को ऐसे किसी भी आदेश को पारित करने हेतु प्रदत्त अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हों।
- 13.24 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, आयोग को, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इस

संहिता के किन्हीं भी प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो ।

- 13.25 इस संहिता में किया गया कोई भी उल्लेख, स्पष्टतया या परोक्ष रूप से, आयोग को अधिनियम के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गयी हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है ।
- 13.26 इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप परिस्थिति अनुसार भविष्य में आवश्यक होने पर अनुज्ञप्तिधारी इस संहिता के संलग्न प्रपत्र के ढांचे में परिवर्तन कर सकता है ताकि प्रपत्र प्रचलित नियम, विनियम तथा इस संहिता के प्रावधानों के अनुरूप हो सके ।

परिवर्तन करने की शक्ति

- 13.27 आयोग किसी भी समय इस संहिता के प्रावधानों में सुधार, परिवर्तन व जोड़ सकता है ।

शिथिल करने की शक्ति

- 13.28 उपयुक्त प्रकरण में आयोग जनहित में, लिखित में कारण दर्शित करते हुए इस संहिता के प्रावधानों को शिथिल कर सकता है ।

- ⁴[13.29 आयोग को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के कार्यान्वयन को विनियमित करने और निगरानी करने का अधिकार है और उसके पास प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापन, संचालन और रखरखाव के लिए मानक, प्रक्रिया और दिशानिर्देश निर्धारित करने का अधिकार होगा ।

आयोग के पास मीटर रीडिंग की सटीकता और विश्वसनीयता सहित प्रीपेड स्मार्ट मीटर के प्रदर्शन की निगरानी करने और किसी भी विसंगति के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा ।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर से संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोग के पास शास्ति सहित जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति होगी । इस प्रयोजन के लिए, आयोग नियमित रूप से जानकारी मांगेगा, निरीक्षण करेगा और आवश्यकतानुसार प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संचालन का ऑडिट करेगा ।]⁴

- टीप:-** छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता के अंग्रेजी से हिन्दी के रूपांतरण उसके प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर मूल संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

आयोग के आदेशानुसार,

(पी.एन. सिंह)
सचिव

परिषिष्ट

संलग्न प्रपत्र-1

आवेदन प्रपत्र – नए निम्नदाब संयोजन हेतु
(जो आवश्यक नहीं है उसे काट देवे)

1	आवेदक का नाम / संस्थान:	
2	पिता/पति/निर्देशक/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम:	
3(a)	पत्राचार हेतु पोस्टल पता	मकान/प्लॉट/परिसर क्रमांक सड़क क्षेत्र/कॉलोनी कस्बा/षहर/गाँव जिला मोबाइन नंबर ई-मेल:
(b)	स्थान जहाँ नए संयोजन हेतु आवेदन दिया जा रहा है। (स्थान की पहचान हेतु किसी निर्दिष्ट चिन्ह को दर्शाए)	मकान/प्लॉट/परिसर क्रमांक सड़क क्षेत्र/कॉलोनी जिला
4	प्लॉट का आकार वर्गफुट	ढका क्षेत्रवर्गफुट
5	आपूर्ति की श्रेणी (श्रेणी की सूची संलग्न)	
6	आपूर्ति का प्रयोजन	
7	कुल आवेदित भार (कि.वा./हार्सपावर)	
8	आपूर्ति का प्रकार (स्थायी/अस्थायी)	
8(a)	यदि अस्थायी है तो अवधि दर्शाए	दिनांक से दिनांक तक
9	कृपया दर्शित करें कि क्या विद्युत आपूर्ति हेतु सर्विस लाइन या / तथा लाइन विस्तार कार्य आप करना चाहते हैं	हाँ / नहीं
10	कृपया दर्शित करें कि क्या आप स्वयं का सी.ई.ए. द्वारा स्वीकृत मीटर लगाना चाहते हैं	हाँ / नहीं
11	संलग्न प्रपत्रों की सूची	
(a)	क्या आवेदन पत्र में फोटो लगा है	हाँ / नहीं
(b)	आवेदन पत्र के साथ दिए जाने वाले पहचान प्रमाण पत्र	
	यदि आवेदक एक व्यक्ति है (कृपया किसी एक के सम्मुख सही का निषान लगायें)	(1) मतदाता पहचान पत्र (2) पासपोर्ट (3) ड्राइविंग लायसेंस (4) राशन कार्ड (5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (6) पैनकार्ड (7) सरपंच या ग्रामीण स्तर के शासकीय विभाग से संबंधित यथा पटवारी, पोस्टमास्टर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के इंचार्ज से फोटो पहचान पत्र

		(8) आधार कार्ड
	यदि आवेदक एक संस्था है	संबंधित संस्था के सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र / अधिकार पत्र
(c)	विधिक स्वामित्व/अधिवासी होने के प्रमाण पत्र सहित विद्युत आपूर्ति बिन्दु दर्शित करते हुए स्थल का नक्शा (कृपया किसी एक के सम्मुख सही का निषान लगायें)	(1) पंजीकृत विक्रय पत्र, भू-भाटक विलेख (लीज डीड) भागीदार विलेख (डीड), उत्तराधिकारी या वारिस होने का प्रमाण पत्र या वसीयतनामा की प्रति। (2) पंजीकृत मुख्यारनामा (3) तात्कालिक निगम टैक्स (संपदा कर) भुगतान की प्रति (4) शासकीय प्राधिकरण/विभाग द्वारा भूमि/भवन के आवंटन पत्र (5) गाँव के प्रकरण में सरपंच द्वारा प्रमाणित मकान स्वामित्व प्रमाण पत्र (6) शासकीय विभाग द्वारा जारी पट्टा (7) आवेदक यदि परिसर का स्वामी न होकर अधिवासी है तो आवेदन के साथ उपरोक्त 1 से 6 में से कोई भी प्रमाण पत्र सहित परिसर के विधिक स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा। (8) कृषि सिंचाई पंप के प्रकरण में जहाँ विद्युत आपूर्ति की मांग की गई है उस भूमि का बी-1 सहित खसरा नक्शा की प्रति जिसमें भूमि के खसरा नंबर सहित स्थल जहाँ कुआं खोदा गया हो। नदी, नाला, तालाब से पानी लेने की स्थिति में सक्षम राजस्व अधिकारी से और भूमि के सामूहिक स्वामित्व के प्रकरण में आवेदक के नाम से अधिकार पत्र जमा करने होंगे।
(d)	वर्तमान पते का प्रमाण (कृपया संलग्न प्रपत्र के सम्मुख सही का निषान लगायें)	(1) मतदाता पहचान पत्र (2) पासपोर्ट (3) ड्राइविंग लायसेंस (4) राशन कार्ड (5) शासकीय विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (6) प्रचलित बैंक एकाउण्ट पासबुक (7) तात्कालिक जल/टेलिफोन/विद्युत/गैसकनेक्शन बिल (8) इंकम टैक्स असेसमेंट आदेश
(e)	अन्य कोई प्रपत्र (कृपया स्पष्ट करें)	
12	क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई बकाया राशि शेष है – हाँ/नहीं	
13	क्या स्थल जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है कोई बकाया राशि शेष है – हाँ/नहीं	
14	क्या किसी संस्था जिसके आवेदक मालिक/हिस्सेदार/निर्देशक का कार्यकारी निर्देशक रहे हो के विरुद्ध राशि शेष है – हाँ/नहीं	
	कृपया कॉलम 12, 13 व 14 का उत्तर यदि हाँ हो तो अलग प्रपत्र में विवरण संलग्न करें।	

मैं/हम यह घोषणा करते हैं –

(अ) इस आवंटन पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।

- (ब) मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता पढ़ लिया है तथा उसमें दर्शित शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं।
- (स) मैं/हम संदर्भित टैरिफ तथा अन्य शुल्कों के साथ प्रतिमाह विद्युत बिल का भुगतान करेंगे।
- (द) मैं/हम मीटर/कटआउट तथा उसकी स्थापना की रक्षा व सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं।

दिनांक
हस्ताक्षर
स्थान

उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति के

नाम—

पद—

टीपः पहचान के प्रमाण पत्र, विधिक स्वामित्व/अधिवासी के प्रमाण पत्र तथा वर्तमान पते के प्रमाण पत्र के सिवाय आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र भी संलग्न होने चाहिए।

1. हिस्सेदारी फर्म के प्रकरण में आवेदक पार्टनरशिप डीड तथा आवेदन प्रपत्र व अनुबंध में हस्ताक्षर करने हेतु आवेदक के नाम पर अधिकार पत्र।
2. पब्लिक व/या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रकरण में आवेदक कंपनी के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल आफ एसोसिएशन तथा सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन सहित आवेदन प्रपत्र तथा अनुबंध में हस्ताक्षर करने हेतु आवेदक के नाम पर अधिकार पत्र।
3. अन्य प्रपत्र जो कि विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को लागू होगा —
 - (अ) औद्योगिक उपभोक्ता — प्रभावशील उद्योग लायसेंस जहां आवश्यक हो पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - (ब) कृषि पम्प — जल का स्रोत, नदी, नाले, तालाब, नहर आदि होने की स्थिति में संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - (स) अस्थाई कनेक्शन हेतु भूस्वामी/नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत/ग्रामसभा/ग्राम पंचायत/भूमि विकास अधिकरण जो प्रयुक्त हो से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - (द) किसी नियम के तहत आवश्यक स्थानीय/षासकीय विभाग की अनुमति।

पावती

श्री ग्राम से
कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन का आवेदन पत्र दिनांक को प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पदः

संलग्न प्रपत्र-2

**आवेदन प्रपत्र – नए उच्च व अति उच्चदाब संयोजन हेतु
(जो आवश्यक नहीं है उसे काट देवे)**

1	आवेदक/संस्था का नाम	
2	पिता/पति/निर्देशक/हिस्सेदार/ट्रस्टी का नाम	
3	पत्राचार हेतु पोस्टल पता दूरभाष व ई-मेल सहित	
4	पता जहां के लिए नए संयोजन हेतु आवेदन दिया जा रहा है। (स्थान की पहचान हेतु किसी निर्दिष्ट चिन्ह को दर्शाए)	
5	वोल्टेज जिस पर आपूर्ति चाहिए	11KV 33KV 66KV 110KV 132KV 220KV
6	आपूर्ति का प्रकार स्थाई/अस्थायी	
(a)	यदि अस्थायी है तो अवधि दर्शाए	दिनांक से दिनांक तक
7	कुल संविदा मांग के.व्ही.ए. में	
8	संविदा मांग का आधार एवं ली गई डायवर्सिटी फेक्टर	
9	क्या संविदा मांग फेज में चाहिए हों/नहीं यदि हों हो तो निम्न विवरण दें	अनुमानित तिथि जब से चाहिए
	(a)	
	(b)	
	(c)	
10	संयोजन का उद्देश्य	
11	टैरिफ की श्रेणी जिसके लिए आवेदन दिया गया	
12	उत्पादन क्षमता	
13	उद्योग की श्रेणी	SSI MSI LSI
	इकाई का प्रकार: स्वामित्व/हिस्सेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/सहकारी/शासकीय/षासकीय उपक्रम	
14	संस्था का नाम जो औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रहा है	
15(a)	क्या अधिकार पत्र /अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है	हाँ/नहीं
15(b)	संस्था द्वारा प्रदत्त (प्रति संलग्न)	संख्या दिनांक
16	क्या आपूर्ति स्वतंत्र फीडर से चाहिए	हाँ/नहीं
17	क्या उपरोक्त इकाई कहीं चालू थी या कनेक्शन हेतु आवेदन किया था (यदि हों तो कृपया विवरण दें)	(ए) स्वीकृत भार (बी) सर्विस क्रमांक (सी) बकाया राशि यदि कोई हो
18	क्या पूर्व में इस स्थल में कनेक्शन हेतु आवेदन किया था (यदि हों तो कृपया विवरण दें)	(ए) यूनिट का नाम (बी) सर्विस क्रमांक (सी) बकाया राशि यदि कोई हो

19	भूमि अधिग्रहण की स्थिति	
20	वित्तीय व्यवस्था की अनुमानित तिथि	
21	क्या पर्यावरण विभाग से अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है यदि हाँ तो प्रति संलग्न करें।	
22	क्या आवेदक के नाम से अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई बकाया राशि शेष है – हाँ/नहीं	
23	क्या स्थल जहाँ विद्युत आपूर्ति मांगी जा रही है कोई बकाया राशि शेष है – हाँ/नहीं	
24	क्या किसी संस्था जिसके आवेदक मालिक/हिस्सेदार/निर्देशक का कार्यकारी निर्देशक रहे हो के विरुद्ध राशि शेष है – हाँ/नहीं	
	कृपया कॉलम 22, 23 व 24 का उत्तर यदि हाँ हो तो अलग प्रपत्र में विवरण संलग्न करें।	
25	कृपया दर्शित करें कि क्या लाइन विस्तार कार्य आप स्वयं करना चाहते हैं	हाँ / नहीं

मैं/हम यह घोषणा करते हैं –

- (अ) इस आवंटन पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है।
 (ब) मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता पढ़ लिया है तथा उसमें दर्शित शर्तें मुझे/हमें मान्य हैं।
 (स) मैं/हम संदर्भित टैरिफ तथा अन्य शुल्कों के साथ प्रतिमाह विद्युत बिल का भुगतान करेंगे।
 (द) मैं/हम मीटर/कटआउट तथा उसकी स्थापना की रक्षा व सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

उपभोक्ता/अधिकृत व्यक्ति के

नाम—

पद—

टीप— आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न होने चाहिए—

- परिसर का स्वामित्व का प्रमाण
- 1 सेमी =12 मीटर स्केल का परिसर का प्लान, नक्शा, जहाँ विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है (लाल रंग से सीमा दर्शाते तथा विद्युत प्रदाय बिन्दु दर्शाते हुए) ।
- विधिक प्राधिकारी से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र जहाँ आवश्यक हो या आवेदक का घोषणा पत्र कि उसके संयोजन के लिए किसी भी प्रकार की विधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- स्वामित्व वाले संस्थान के प्रकरण में प्रतिज्ञा पत्र कि आवेदक संस्थान/फर्म में पूर्णरूपेण स्वामी है।
- हिस्सेदारी फर्म के प्रकरण में हिस्सेदारी अनुबंध।
- लिमिटेड कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल आफ एसोसिएशन तथा सर्टिफिकेट आफ इनकार्पोरेशन।
- उपभोक्ता के स्थाई निवास का पता, पान (PAN) नंबर यदि कोई हो। भविष्य में पता बदलने पर उपभोक्ता द्वारा अविलंब अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जायेगा।
- लगाये जाने वाले प्रस्तावित उपकरणों की सूची तथा अनुमानित भार।
- हस्ताक्षर हेतु अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में अधिकार पत्र।
- उद्योग विभाग का पंजीकरण।

11. उद्योग के प्रकरण में विद्युत एवं प्रक्रिया की आवश्यकता से संबंधी परियोजना प्रतिवेदन का सुसंगत भाग।
12. प्रचलित टैरिफ आदेश के संबंधित कंडिका की प्रति जो कि उपभोक्ता द्वारा चयनित टैरिफ श्रेणी का विवरण दर्शाती हो तथा उपभोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो। यह उपभोक्ता द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात अनुबंध का भाग होगा।

पावती

श्री ग्राम से
कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन का आवेदन पत्र दिनांक को प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के
संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद:

उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांक माह वर्ष को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत एक समझा गया अनुज्ञप्तिधारी है तथा जिसका निगमित कार्यालय डंगनिया, डाकघर-सुन्दरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492013 है (जिसे एतस्मिन् पश्चात अनुज्ञप्तिधारी के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसकी अभिव्यक्ति में, इसके उत्तराधिकारी एवं अनुज्ञात समनुदेशित (permitted assigned) सम्मिलित होंगे जब तक कि इस संदर्भ या अर्थ में विरुद्ध ना अभिव्यक्त किया गया हो) एक पक्ष होगा तथा श्री/श्रीमती/मेसर्स

..... पुत्र/पुत्री/मालिक/संचालक

..... (जिसे एतस्मिन् पश्चात उपभोक्ता कहा गया है जिसकी अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ में ऐसे स्वीकार किया गया है, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि, व्यावसायिक उत्तराधिकारी एवं समनुदेशित सम्मिलित होंगे) दूसरा पक्ष होंगे।

यह कि उपभोक्ता को उसके (पूर्ण पता)

..... स्थित परिसर (25 अक्षवृत्त एवं उससे अधिक विद्युत भार वाले निम्नदाब/उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के परिसर को लाल स्याही से सीमा रेखाओं से चिह्नित संलग्न नक्शे) में उद्देश्य के लिये विद्युत आपूर्ति उपलब्ध/अपेक्षित है और अनुज्ञप्तिधारी एतस्मिन् पश्चात उपबंधित शर्तों एवं दशाओं पर उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने हेतु सहमत हो गया है।

अब एतद् द्वारा निम्नानुसार घोषणा एवं सहमति दी जाती है।

1. यह कि उपभोक्ता/उपभोक्ताओं द्वारा घोषणा की जाती है कि वह/वे में स्थित स्थल (एतस्मिन् पश्चात इसे परिसर के रूप में संदर्भित किया गया है) के वैधानिक अधिगृहिता है/हैं।
2. (क) यह कि एतस्मिन् पश्चात उपबंधित प्रावधानों के अध्यक्षीन तथा इस अनुबंध के जारी रहने तक, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करेगा तथा जैसा कि, उपभोक्ता चाहता है, उपभोक्ता इस अनुज्ञप्तिधारी से अपने स्वयं के उपयोग हेतु एवं अपने परिसर में ऊपर दिए उद्देश्य हेतु निम्नानुसार अधिकतम निर्धारित सीमा में विद्युत प्राप्त करेगा –

..... केवीए/किलो वाट/एचपी दिनांक से

..... केवीए/किलो वाट/एचपी दिनांक से

..... केवीए/किलो वाट/एचपी दिनांक से

(एतस्मिन् पश्चात इसे अनुबंधित/संविदा मांग अथवा अनुबंधित/संविदा भार कहा जाएगा)

- (ख) अनुज्ञप्तिधारी ऊपर अनुच्छेद 2(क) के अंतर्गत उल्लेखित मात्रा में विद्युत वोल्ट दाब पर उपभोक्ता को प्रदाय करने हेतु सहमत है एवं उपभोक्ता विद्युत प्रदाय के एवज में विद्युत अधिनियम, 2003 (एतस्मिन् पश्चात इसे 'अधिनियम' कहा जावेगा) के अनुच्छेद 45 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों यथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (एतस्मिन् पश्चात इसे 'प्रदाय संहिता' कहा जाएगा) तथा सामान्य एवं विविध प्रभारों की अनुसूची एवं समय-समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

(एतस्मिन् पश्चात् इसे 'आयोग' कहा जाएगा) के विनियमों के अधीन भुगतान हेतु सहमत होगा।

3. इस अनुबंध का आरम्भ उपभोक्ता को विद्युत संयोजन प्रदान करने की वास्तविक तिथि, अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत इस अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता के परिसर तक विद्युत उपलब्धता के संबंध में जारी सूचना की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद के दिन से जो भी पहले हो, माना जाएगा।
4. इस अनुबंध से जुड़े हुए दोनों पक्ष अधिनियम तथा इस संबंध में लागू नियमों/विनियमों एवं समय-समय पर संशोधित प्रदाय संहिता के प्रावधानों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे। दोनों पक्ष इस बात के लिए भी सहमत हैं कि वे अन्य नियम अथवा विनियम, जो समय-समय पर विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत उपयोग हेतु लागू किए जायेंगे तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी निर्देशों व आदेशों का पालन करने हेतु बाध्य होंगे।
5. यह अनुबंध उपरोक्तानुसार दर्शित दिवस से लागू होगा तथा तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक कि विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अध्याधीन विद्युत प्रदाय समाप्त एवं पारिणामिक रूप से बंद नहीं किया जाता है।
6. उपभोक्ता प्रदाय संहिता के प्रावधानों व समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु सहमत है।
7. यह कि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय को सुगम बनाने के लिए तथा विद्युत खपत का हिसाब रखने हेतु लगाये जाने वाले मीटर प्रणाली, यंत्र एवं उपकरण लगाने हेतु, स्वयं के व्यय पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराएगा।
8. मीटर को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में उचित रूप से सील किया जाएगा इस सील को दोनों पक्षों में किसी के भी द्वारा छेड़ा नहीं जाएगा सिवाय इसके कि अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा जब उसे बदलने/दूसरा लगाने की आवश्यकता हो तब उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही ऐसा किया जा सकेगा।
9. इस अनुबंध के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय एवं विद्युत उपयोग का नियमन समय-समय पर संशोधित प्रदाय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार ही होगा।
10. प्रचलित कानूनों के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए उपभोक्ता यह जिम्मेदारी लेता है, कि वह अपने परिसर में लगी हुई मीटर प्रणाली, यंत्र, उपकरण जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाई जाएगी की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखेगा और यह भी कि वह अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा उपभोक्ता के परिसर में लगाई गई मीटर प्रणाली, यंत्र, उपकरण अथवा तृतीय पक्ष को उपभोक्ता परिसर की विद्युत स्थापना में आने वाली किसी भी खराबी के कारण हुए किसी भी नुकसान की भरपाई हेतु भी जिम्मेदार होगा।
11. इस अनुबंध में समाहित अथवा संशोधित कोई भी प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी अथवा उपभोक्ता का उन स्वत्वों, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों से वंचित नहीं कर सकेगा जो विद्युत प्रदाय एवं उपयोग के संबंधित किसी भी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुबंध अवधि में प्राप्त किये जा सकते हैं।

12. उपभोक्ता द्वारा प्रतिमाह विगत माह में की गई विद्युत की खपत के लिए अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक माह आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में अवधारित विद्युत एवं अन्य प्रभार जिसमें परिवर्तनीय ईंधन मूल्य समायोजन प्रभार भी सम्मिलित है का भुगतान किये जावेंगे। वर्तमान में प्रचलित विद्युत दर का विवरण निम्नानुसार है—
 1. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का टैरिफ आदेश क्रमांक दिनांक
 2. दर सारणी
 3. लागू दर
13. यह कि विद्युत विक्रय के ऊपर केन्द्र/राज्य शासन/स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले करों/प्रभारों को उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा एवं भुगतान किया जाएगा।
14. यह कि उपभोक्ता इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वह परिसर पर किसी भी प्रकार की बकाया राशियों/संचित राशियों का भुगतान करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से इस तरह की राशि की वसूली उपभोक्ता के नाम पर किसी अन्य मौजूदा कनेक्शन, चाहे वह किसी अन्य परिसर में हो, में स्थानांतरित कर सकने हेतु अधिकृत रहेगा।
15. यह कि उपभोक्ता यह घोषित करता है कि वह, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिस प्रयोजन हेतु विद्युत का उपयोग स्वीकृत किया गया है, उसी प्रयोजन हेतु विद्युत का उपयोग करेगा एवं किसी भी प्रकार से किसी अन्य प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग नहीं करेगा।
16. यह कि उपभोक्ता यह वचन देता है / घोषित करता है कि वह इस विद्युत आपूर्ति को किसी अन्य परिसर तक न तो बढ़ाएगा न ही इसे किराये पर किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।
17. यह कि उपभोक्ता यह घोषित करता है कि उसके परिसर में संचालित उद्योग/व्यवसाय शासन की किसी संस्था द्वारा असाधारण/खतरनाक/प्रदूषणयुक्त घोषित नहीं किया गया है तथा इस परिसर पर विद्युत कनेक्शन देने में न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हो रहा है। किसी भी समय यदि बाद में यह अन्यथा पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्काल विद्युत प्रवाह विच्छेद कर दिया जाएगा एवं इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
18. यह कि मांगे गए विद्युत कनेक्शन स्वीकृत होने पर उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन होने के आधार पर उस भवन के नियमितीकरण/भूमि उपयोग हेतु कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
19. यह कि अनुबंध की समाप्ति की दशा में अथवा संविदात्मक चूक के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी किसी भी प्रकार की बकाया, जिसमें विद्युत उपभोग की राशि भी सम्मिलित है, उपभोक्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति या अन्य किसी भी जमा राशि से समायोजित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
20. यह कि उपभोक्ता अपने परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के समस्त अधिकृत कर्मचारियों को मीटर वाचन, संधारण, निरीक्षण, जाँच तथा परीक्षण आदि के कार्यों के लिए स्पष्ट एवं बाधा रहित पहुंच प्रदान करेगा।

21. यह कि अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता के परिसर का विद्युत प्रवाह, कोई चूक होने पर/सांविधिक आवश्यकताएं पूरी न करने और/अथवा किसी संवैधानिक अधिकारी या न्यायालय के आदेश पर बिना किसी उत्तरदायित्व के विच्छेद करने का अधिकार होगा।
22. इस अनुबंध से संबंधित सभी विवादों एवं दावों का निराकरण अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
23. (क) इस अनुबंध के अन्तर्गत उपभोक्ता को प्रदाय होने वाली विद्युत आपूर्ति की अधिकतम मांग की अवधि में, जैसा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिखित में निर्देशित किया जायगा, के अनुसार, उपयोग को सीमित या नियंत्रित करने हेतु उपभोक्ता सहमत है।
(ख) उपभोक्ता सहमत है कि विद्युत प्रदाय या विद्युत तंत्र में आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न होने पर, अनुज्ञप्तिधारी आवश्यकतानुसार इस अनुबंध के अनुसार उपभोक्ता को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति में कटौती करने, बांटने या पूर्ण रूप से बन्द कर सकेगा।
24. यह कि अनुज्ञप्तिधारी इस अनुबंध की किसी भी शर्त का उपभोक्ता द्वारा पालन न करने, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समय-समय पर लागू होने वाले विनियमों के उल्लंघन करने पर विद्युत प्रवाह विच्छेद करने हेतु उपभोक्ता को लिखित में विद्युत विच्छेद की सूचना जारी करने हेतु अधिकृत होगा।
25. इस अनुबंध में प्रयुक्त ऐसी कोई भी अभिव्यक्ति, जो कि अनुबंध में, अधिनियम में अथवा अधिनियम के अन्तर्गत बने किसी भी नियम एवं विनियम में अथवा साधारण खण्ड अधिनियम-1897 के अन्तर्गत परिभाषित नहीं है, उसका वही अर्थ होगा जो सामान्य बोलचाल की भाषा में मान्य है।
26. दोनों पक्षों को इस अनुबंध के प्रावधान ज्ञात व स्वीकार्य हैं कि इस अनुबंध के प्रावधान सदैव अधिनियम तथा इनके अन्तर्गत जारी नियमों, विनियमों एवं संहिता तथा समय-समय पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेशों व निर्देशों के प्रावधानों के अन्तर्गत ही पढ़ें जाएंगे। यदि इस अनुबंध की ऊपर वर्णित शर्तों में अधिनियम, नियम, विनियम, संहिता, निर्देश आदि के प्रावधानों से भिन्नता पाई जाती है तो अधिनियम, नियम, विनियम, संहिता एवं आयोग के आदेशों के प्रावधान लागू होंगे।
27. विषिष्ट शर्तें (यदि कोई हो) :-

निम्न साक्षियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित के आदेश पर एवं उसके वास्ते
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं उपभोक्ता
..... द्वारा प्रथम दर्शायी गई तिथि, माह एवं वर्ष को हस्ताक्षर किये एवं सामान्य मुद्रा अंकित की गई।

नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने
अधिकृत प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किये
(नाम व पता)

गवाह: (नाम व पता)

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित

गवाह: (नाम व पता)

गवाह: (नाम व पता)

अनुज्ञप्तिधारी की मुद्रा

गवाह: (नाम व पता)
नीचे लिखे हुए व्यक्तियों के सामने
अधिकृत प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किये

गवाह: (नाम व पता)

उपभोक्ता के हस्ताक्षर
नाम व पता

गवाह: (नाम व पता)

स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज
फोटो (षासकीय व
स्थानीय निकाय को
छोड़कर)

रबर/सामान्य सील निम्न व्यक्तियों की
उपस्थिति में यहां अंकित की गई

गवाह: (नाम व पता)

उपभोक्ता की रबर की सामान्य सील
(यदि लागू हो कंपनी/फर्म के लिए)

गवाह: (नाम व पता)

संलग्न प्रपत्र-4

आवेदन प्रपत्र – पंजीकृत उपभोक्ता के नाम परिवर्तन/विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में संयोजन के स्वामित्व का स्थानांतरण/उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन/परिसर का स्थानांतरण
(जो आवश्यक है उसे सही करें)

1	सर्विस कनेक्शन क्रमांक	
2	वर्तमान के पंजीकृत उपभोक्ता का नाम	
3	उपभोक्ता की श्रेणी	
4	संविदा मांग / भार	
5	पता	
		दूरभाष / मोबाइल क्रमांक ई-मेल
6	उस व्यक्ति का नाम जिसके पक्ष में कनेक्शन स्थानांतरित करना है (बड़े अक्षरों में)	
7	प्रयोजन बदलने हेतु आवेदन	
(i)	यदि आवेदन उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन के लिये है, तो वांछित टैरिफ श्रेणी दर्शित करें।	(इस आवेदन के साथ संलग्न टैरिफ कैटेगरी देखें)
(ii)	यदि आवेदन परिसर में परिवर्तन का है तो— (अ) नया पता जहां वर्तमान कनेक्शन को स्थानांतरित करना है। (ब) उपकरण जिसे स्थानांतरित करना है। (मीटर, सर्विस लाइन, निम्न/उच्चदाब लाइन, ट्रांसफार्मर आदि)	
7	प्रयोजन बदलने का कारण	

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न है (जो उपयुक्त हो चिन्हांकित करें) –

1. हाल में भुगतान किये बिल की प्रति।
2. विधिक स्वामित्व/अधिवासी का दस्तावेज़।
3. यदि उपलब्ध है/सम्भव है तो वर्तमान उपभोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
4. रजिस्ट्रीकृत अनुबंध/वसीयतनामा/उत्तराधिकार पत्र/तब्दीली (म्यूटेशन) पत्र (अन्य कोई प्रपत्र हो तो स्पष्ट करें)
5. अन्य उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कनेक्शन एक उत्तराधिकारी के नाम से परिवर्तित करना है।

दिनांक—
स्थान—

उपभोक्ता का हस्ताक्षर
नाम :

पावती

वर्तमान में सर्विस कनेक्शन क्रमांक जो कि श्री के नाम है का आवेदन पत्र दिनांक को श्री के नाम पर बदलने/अन्य हेतु प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद:

संलग्न प्रपत्र-5

**आवेदन प्रपत्र – संविदा मांग/भार में वृद्धि /कमी तथा प्रदाय वोल्टेज में परिवर्तन हेतु
(जो आवश्यक है उसे सही करें)**

1	आवेदक / संस्था का नाम	
2	सर्विस कनेक्शन नंबर	
3	परिसर का पता जहां विद्युत प्रदाय किया जा रहा है	दूरभाष / मोबाइल क्रमांक ई-मेल
4	संविदा मांग/भार में वृद्धि के प्रकरण में (i) वर्तमान संविदा मांग/भार (ii) प्रस्तावित संविदा मांग/भार	
5	संविदा मांग/भार में कमी के प्रकरण में (i) वर्तमान संविदा मांग/भार (ii) प्रस्तावित संविदा मांग/भार	
6	संविदा मांग/भार में वृद्धि/कमी करने का कारण	
7	भार में वृद्धि/कमी का विवरण (उपकरण का नाम सहित) (अ) प्रकाश (ब) मोटर (अ) कृषि (अ) अन्य (स्पष्ट करें)	
8	यदि आवेदन प्रयोजन/प्रदाय वोल्टेज में परिवर्तन का है (जो लागू हो उसे चिन्हीत करें)	(अ) एलटी एकल फेज से एलटी 3 फेज (ब) एलटी तीन फेज से एलटी एकल फेज (स) निम्नदाब से उच्चदाब (द) उच्चदाब से निम्नदाब (इ) उच्चदाब से अति उच्चदाब

दिनांक—
स्थान—

उपभोक्ता का हस्ताक्षर
नाम :

टीप :- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न है (यदि लागू हो)–

- यदि उपभोक्ता की स्थापना में परिवर्तन किया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ठेकेदार से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं जांच रिपोर्ट।
- हस्ताक्षर हेतु अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में अधिकार पत्र।

पावती

संविदा भार में वृद्धि/कमी हेतु श्री का आवेदन पत्र सर्विस कनेक्शन क्रमांक..... दिनांकप्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक आवंटित किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद:

संलग्न प्रपत्र-6

विद्युत आपूर्ति के अस्थायी विच्छेदन पश्चात उपभोक्ता को सूचित किये जाने वाले पत्र का प्रारूप

दिनांक

अनुज्ञापिधारी के कार्यालय का पता
सर्विस कनेक्शन नंबर
उपभोक्ता का नाम
उपभोक्ता की श्रेणी
संविदा भार / मांग
उपभोक्ता का पता

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपकी विद्युत आपूर्ति दिनांक से निम्नलिखित कारणों से अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दी गई है—

.....
.....

आपके द्वारा माह से विद्युत बिल का भुगतान बंद कर दिया गया है तथा वर्तमान में आपके उपरोक्त कनेक्शन के विरुद्ध रु. की बकाया राशि देय है।

आपसे निवेदन है कि विद्युत विच्छेदन के कारणों को दूर कर शीघ्र इस कार्यालय को सूचित करें। आपसे यह भी निवेदन है कि विद्युत कनेक्शन के विच्छेदन व पुनर्संयोजन हेतु रु. सहित रु. (यदि कोई शेष है तो) का भुगतान करें।

यदि इस नोटिस के 15 दिवस के भीतर विद्युत विच्छेदन के कारणों को इस कार्यालय की संतुष्टि के अनुसार दूर नहीं किया गया तथा उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया तो यह मान लिया जायेगा कि आप विद्युत आपूर्ति चालू रखने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार आपके परिसर में लगाया गया मीटर हटा लिया जायेगा तथा आपकी विद्युत आपूर्ति अनुबंध अवधि के बीतने के पश्चात आगे और कोई बिना नोटिस के स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी।

धन्यवाद,

भवदीय,
हस्ताक्षर
नाम व पद
सील

संलग्न प्रपत्र-7

स्थायी रूप से विद्युत विच्छेदन तथा अनुबंध की समाप्ति हेतु आवेदन

दिनांक

सर्विस कनेक्शन नंबर
उपभोक्ता का नाम
उपभोक्ता की श्रेणी
संविदा भार / मांग
उपभोक्ता का पता
महोदय,

निवेदन है कि उपरोक्त कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित कर संबंधित अनुबंध समाप्त करने का कष्ट करें।

धन्यवाद,

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न है—

1. पिछले बिल की कॉपी।
2. पिछले बिल की भुगतान रसीद।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर
नाम
दूरभाष
पता

दिनांक —
स्थान —

पावती

विद्युत विच्छेदन एवं अनुबंध समाप्ति हेतु श्री का आवेदन दिनांक
.....प्राप्त हुआ जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए प्रकरण क्रमांक
आवंटित किया गया।

अनुज्ञाप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद:

संलग्न प्रपत्र-8

अनुबंध समाप्ति पश्चात उपभोक्ता को सूचित किये जाने वाले पत्र का प्रारूप

दिनांक

अनुज्ञाप्तिधारी के कार्यालय का पता
सर्विस कनेक्शन नंबर
उपभोक्ता का नाम
उपभोक्ता की श्रेणी
संविदा भार / मांग
उपभोक्ता का पता

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि आपके हार्सपावर/किलोवाट के
प्रयोजन हेतु लिया गया विद्युत कनेक्शन जिसका सर्विस कनेक्शन क्रमांक से संबंधित
आपके व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य हुआ अनुबंध दिनांक से निम्नलिखित
कारणों से समाप्त कर दिया गया है –

.....
.....

आपकी विद्युत आपूर्ति स्थाई रूप से विच्छेदित कर दी गई है। विद्युत बिल व अन्य शुल्क के
समायोजन पश्चात –

1. रु. की राशि जो आपको देय है का चेक क्रमांक दिनांक
..... संलग्न है।
2. रु. की राशि आपके द्वारा देय है। आपसे निवेदन है कि इस पत्र प्राप्ति के 7
दिवस के भीतर इसका भुगतान करें अन्यथा उक्त राशि के वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की
जायेगी।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर
नाम व पद
सील

मीटर से संबंधित शिकायत/ मीटर परीक्षण हेतु आवेदन

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त शिकायत क्रमांक (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लिखा जायेगा)

1. सर्विस कनेक्शन नंबर
2. उपभोक्ता का नाम
3. उपभोक्ता का पता एवं दूरभाष क्रमांक
4. शिकायत का संक्षिप्त विवरण – मीटर का जल जाना/पूरी तरह से रुक जाना/मीटर की तीव्र गति/सील का टूटना/मीटर की जाँच
5. अन्य कोई सूचना यदि हो

दिनांक

उपभोक्ता का हस्ताक्षर

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

1. स्थल परीक्षण सूचना

हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)

2. संबंधित अधिकारी द्वारा टिप्पणी

हस्ताक्षर (संबंधित अधिकारी)

पावती

शिकायत दर्ज नंबर (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान किया जायेगा)

शिकायत प्राप्त किया गया द्वारा (नाम एवं पद)

शिकायत प्राप्ति की तिथि

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर व सील
नाम एवं पद:

संलग्न प्रपत्र-10

सर्विस कनेक्शन/ट्रांसफार्मर तथा पावर लोड हेतु अनुशंसित केबल साइज

क्रमांक	प्रयोजन व वोल्टेज	विवरण	भार क्षमता
1	सड़क बत्ती 250/440V	केबल डब्ल्यू.पी. एल्युमिनियम 1 कोर 1.5 वर्ग मि.मी. पॉलिथीन	समस्त श्रेणी के लेम्प (लाइट)
2	घरू कनेक्शन 250/440V 650/1100 V	(अ) 2.5 वर्ग मि.मी. 1 कोर केबल डब्ल्यू.पी. एल्युमिनियम पी.व्ही.सी. पॉलिथीन (ब) उपरोक्त 2(अ) अनुसार (स) 6 वर्ग मि.मी. 1 कोर केबल डब्ल्यू. पी. एल्युमिनियम पी.व्ही.सी. पॉलिथीन (द) उपरोक्त 2(स) अनुसार	10 एम्पियर तक 3 से 5 हार्सपावर 20 एम्पियर 7.5 से 10 हार्सपावर
3	पावर सर्विस 650/1100 V	(अ) 2.5 वर्ग मि.मी. 1 कोर केबल डब्ल्यू.पी. एल्युमिनियम पी.व्ही.सी. पॉलिथीन/पी.व्ही.सी. (ब) 95 वर्ग मि.मी. 3.5 कोर पॉवर केबल आर्मड एल्युमिनियम 3 कोर 95 वर्ग मि.मी. 650/1100 या पॉवर केबल एल्युमिनियम 3.5 कोर 90/55 वर्ग मि. मी. (स) 120 वर्ग मि.मी. 3.5 कोर पॉवर केबल आर्मड एल्युमिनियम 3 कोर (120 वर्ग मि.मी.) 3.5 कोर (150/70 वर्ग मि. मी.) पी.व्ही.सी./पी.व्ही.एल.	15 से 30 हार्सपावर और 25 के.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर 50 से 60 हार्सपावर 60 से 100 हार्सपावर तक
4	वितरण ट्रांसफार्मर	(अ) 120 वर्ग मि.मी. 3.5 कोर 3(स) अनुसार (ब) पॉवर केबल आर्मड एल्युमिनियम 3. 5 कोर 300/150 वर्ग मि.मी. पी.व्ही.सी. /650/1100 वोल्ट	63 से 100 के.व्ही.ए. 160 से 200 के.व्ही.ए.

1500 चक्कर प्रति मिनट के किसी इन्डक्शन मोटर में सीधे लगाये जाने हेतु अनुशंसित केपेसिटर का विवरण

मोटर कि.वा.	मोटर हार्सपावर	अधिकतम के.व्ही.ए.आर. क्षमता
1.865	2.5	1
3.730	5	2
5.595	7.5	3
7.460	10	4
9.325	12.5	4.5
11.2	15	5
13.1	17.5	5.5
14.9	20	6
16.8	22.5	6.5
18.7	25	7
20.5	27.5	7.5
22.4	30	8
24.2	32.5	8.5
26.1	35	9
28.0	37.5	9.5
29.8	40	11
31.7	42.5	11
33.6	45	11.5
35.4	47.5	12
37.3	50	13
41.0	55	13.5
44.8	60	14.5
48.5	65	15.5
52.2	70	16.5
56.0	75	17
59.7	80	19
63.4	85	20
67.1	90	21
70.9	95	22
74.6	100	23

टीप— उपरोक्त सारणी में दर्शित केपेसिटर की अनुशंसित क्षमता मुख्यतः सामान्य मार्गदर्शन हेतु है। जहां लगाये गये मोटर में औसत मासिक पावर फेक्टर अंकित करने की सुविधा नहीं है वहां उपरोक्त दर्शित सारणी में संबंधित मोटर की क्षमता के समक्ष दर्शित अनुशंसित कार्यरत केपेसिटर की क्षमता उपयुक्त मानी जायेगी

केपेसिटर लगाते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता है—

1. बेहतर परिणाम के लिए हर मोटर के टर्मिनल पर मोटर की क्षमता के अनुरूप केपेसिटर लगाना चाहिए ताकि विद्युत प्रदाय के साथ केपेसिटर भी स्विच आफ/स्विच आन हो सके।
2. यदि कोई छोटे मोटरों के लिए एक स्थल पर सम्मिलित केपेसिटर लगाया गया है तो सिर्फ प्रकाश व पंखे चालू रहने की स्थिति में केपेसिटर स्विच आफ करे अन्यथा कम लोड या लोड नहीं होने की स्थिति में ओवर कम्पन्सेशन के कारण औसत मासिक पावर फेक्टर पर प्रभाव पड़ सकता है।

संलग्न प्रपत्र-12

- (ए) षिरोपरि लाइन के सबसे नीचे तार की भूमि से ऊंचाई (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 58)
- (1) सर्विस लाइन सहित सड़क के आरपार खींची गई षिरोपरि लाइन का तार या उसके भाग की ऊंचाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए—
 - (i) लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो 5.8 मीटर
 - (ii) लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो 6.1 मीटर
 - (2) सर्विस लाइन सहित सड़क के साथ खींची गई षिरोपरि लाइन का तार या उसके भाग की ऊंचाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए—
 - (i) लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो 5.5 मीटर
 - (ii) लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो 5.8 मीटर
 - (3) सर्विस लाइन सहित सड़क के साथ व उसके आरपार के अतिरिक्त अन्य स्थल पर खींची गई षिरोपरि लाइन का तार या उसके भाग की ऊंचाई निम्न से कम नहीं होनी चाहिए—
 - (i) लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही तक यदि खुला तार हो 4.6 मीटर
 - (ii) लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही तक यदि इंसुलेटेड तार हो 4.0 मीटर
 - (iii) लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो हो 5.2 मीटर
 - (4) 33 के.व्ही. से अधिक वोल्टेज के लाइन के लिये भूमि से ऊंचाई 5.2 मीटर तथा प्रति 33 के.व्ही. या उसके भाग पर 0.3 मीटर की दर के योग से कम नहीं होनी चाहिए बर्तते कि किसी भी सड़क के आरपार या उसके साथ ऊंचाई 6.1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
- (बी) ऐसे सर्विस लाइन तथा लाइन की भवन से दूरी जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 60)
- (1) जहां तक सम्भव हो कोई षिरोपरि लाइन किसी स्थित भवन के ऊपर से नहीं जानी चाहिए तथा किसी स्थित लाइन के नीचे कोई भवन निर्माण नहीं करनी चाहिए।
 - (2) जहां ऐसी षिरोपरि लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक न हो किसी भवन के ऊपर से या पास से गुजरती है या किसी भवन के पास समाप्त होती है तो अधिकतम झूल के आधार पर भवन के किसी पहुंच बिन्दु से तार की दूरी निम्नानुसार से कम नहीं होनी चाहिए —
 - (i) किसी समतल छत, खुले बालकनी, बरामदा छत तथा झुके छत के लिए —
 - (अ) जब लाइन भवन के ऊपर से जाती है तो भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु से ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) ऊंचाई 2.5 मीटर
 - (ब) जब लाइन भवन के पास से गुजरती है तो भवन के सबसे पास बिन्दु से क्षैतिज (हारिजेन्टल) दूरी 1.2 मीटर
 - (ii) झुके छत के लिये —
 - (अ) जब लाइन भवन के ऊपर से गुजरती है तो लाइन के एकदम नीचे से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 2.5 मीटर
 - (ब) जब लाइन भवन के पास से गुजरती है तो क्षैतिज (हारिजेन्टल) दूरी 1.2 मीटर

- (3) ऐसा तार जिसकी स्थिति उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम होती है को पर्याप्त इन्सुलेटेड होनी चाहिए तथा उपयुक्त दूरी पर तार से जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ 350 किलो से कम न हो के माध्यम से भूयोजित होनी चाहिए।
- (4) क्षैतिज दूरी का माप ऊर्ध्वाधर से वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन (डिप्लेसन) की स्थिति में मापा जायेगा।
- (सी) भवन से 650 से अधिक वोल्टेज के लाइन की दूरी (सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम की कंडिका 61)
- (1) षिरोपरि लाइन किसी स्थित भवन के ऊपर से नहीं जानी चाहिए तथा किसी षिरोपरि लाइन के नीचे कोई भवन निर्माण कार्य नहीं करनी चाहिए।
- (2) जहां 650 वोल्ट से अधिक वोल्ट की षिरोपरि लाइन किसी भवन या उसके भाग के ऊपर या पास से गुजरी है तो अधिकतम झूल की स्थिति में लाइन के एकदम नीचे स्थित भवन के सबसे ऊंचे भाग की दूरी निम्नांकित से कम नहीं होनी चाहिए—
- | | | |
|------|--|--|
| (i) | लाइन जो 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो | 3.7 मीटर |
| (ii) | लाइन जिसका वोल्टेज 33 के.व्ही. से अधिक हो | 3.2 मीटर + प्रति 33 के.व्ही. या भाग पर 0.3 मीटर अतिरिक्त |
- (3) भवन के किसी भाग तथा सबसे पास के तार में वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन की स्थिति में दूरी निम्न से कम नहीं होनी चाहिए—
- | | | |
|-------|---|--|
| (i) | लाइन जिसका वोल्टेज 650 वोल्ट से अधिक हो परन्तु 11 के.व्ही. से अधिक न हो | 1.2 मीटर |
| (ii) | लाइन जिसका वोल्टेज 11 के.व्ही. से अधिक हो परन्तु 33 के.व्ही. से अधिक न हो | 2.00 मीटर |
| (iii) | लाइन जिसका वोल्टेज 33 के.व्ही. से अधिक हो | 2.0 मीटर + प्रति 33 के.व्ही. या भाग पर 0.3 मीटर अतिरिक्त |
- (डी) उच्च व अति उच्चदाब लाइन से सुरक्षित कार्य दूरी :- जहां 650 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति, परिवर्तन, ट्रांसफार्म या उपयोग किया जाता के लिये न्यूनतम सुरक्षित कार्य दूरी निम्नानुसार है—
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| उच्चतम प्रणाली वोल्टेज कि.वोल्ट में | सुरक्षित कार्य दूरी मीटर में |
| 12 | 2.6 |
| 36 | 2.8 |
| 145 | 3.7 |
| 245 | 4.3 |

संगलन प्रपत्र 13 (ए)

कंडिका 4.53 संबंधी उदाहरण – अपूर्ण विकसित कॉलोनी को विद्युत आपूर्ति

मान लीजिए कुल प्लोटों की संख्या 100 है जिसमें से 30 संयोजन प्राप्ति के इच्छुक हैं कंडिका 4.51 के आधार पर 30 आवेदनों के आकलित भार 120 किलोवाट है।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित औसत दर रु.3000 प्रति किलोवाट है, तो 30 आवेदकों से प्राप्त राशि रु.3.60 लाख (रु.3000X120) होगी।

यदि इन 30 आवेदकों को विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रु. 12 लाख होती है जो कि अनुमति योग्य विस्तार कार्य की राशि रु.14.4 लाख (3.6 X4) से कम है तो 30 आवेदकों से विस्तार कार्य हेतु 3.6 लाख रुपए प्राप्त कर लाइन विस्तार कार्य किया जा सकता है।

यदि इन 30 आवेदकों को विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रु.16 लाख होती है जो कि अनुमति योग्य विस्तार कार्य की राशि रु. 14.4 (3.6 X4) लाख से अधिक है तो अतिरिक्त प्राक्कलित राशि रु.1.6 (16-14.4) लाख की राशि इन 30 आवेदकों से उनके भार के समानुपात में रु.3000 प्रति किलोवाट की दर से आकलित राशि से अतिरिक्त ली जायेगी।

वितरण ट्रांसफॉर्मर का स्थान सभी 100 प्लोटों के भार को ध्यान में रख कर भार केन्द्र के आधार पर तय किया जायेगा परन्तु ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वर्तमान के 30 आवेदकों के भार के आधार पर तय की जायेगी।

तत्पश्चात 100 प्लोटों में से विद्युत आपूर्ति हेतु आने वाले आवेदकों को रु.3000 प्रति किलोवाट की दर से राशि जमा करनी होगी भले ही लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न पड़े।

भविष्य में इन 100 प्लोटों में से आने वाले संयोजन में यदि लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता होती है तो ऐसी ही प्रक्रिया अपनायी होगी।

संगलन प्रपत्र 13 (बी)

कंडिका 4.56 संबंधी उदाहरण – छोटे/गृह उद्योगों को विद्युत आपूर्ति

मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में 15 हासपावर के हालर/आटा चक्की हेतु आवेदन प्राप्त होता है जिसके लिये लाइन विस्तार कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रु.80000 होती है यदि आयोग द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र हेतु औसत दर रु.3500 प्रति हासपावर हो तो आवेदक द्वारा लाइन विस्तार कार्य हेतु देय राशि रु.52500 (3500 x 15) होगी।

चूंकि लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रु.80000 जो कि अनुमति योग्य राशि रु. 105000 (52500 x 2) से कम है अतः आवेदक से लाइन विस्तार कार्य हेतु रु.52500 प्राप्त कर लाइन विस्तार कार्य किया जा सकता है।

यदि लाइन विस्तार कार्य की प्राक्कलित राशि रु.1.2 लाख होती है जो कि लाइन विस्तार हेतु अनुमति योग्य राशि अर्थात् रु.1.05 लाख से अधिक है तो अतिरिक्त राशि रु.0.15 (1.2-1.05) लाख आवेदक द्वारा रु.52500 के अतिरिक्त लाइन विस्तार कार्य हेतु देय होगा।

भविष्य में ग्रामीण क्षेत्र में अन्य आने वाले छोट/लघु उद्योग के लिये रु. 3500 प्रति हासपावर की दर से आवेदक द्वारा लाइन विस्तार कार्य राशि जमा की जायेगी भले ही उसके लिये लाइन विस्तार कार्य की आवश्यकता न हो।
